हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, 26 अगस्त, 2016 को माननीय अध्यक्ष,श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

26/08/2016/1100/MS/AG/1

स्थगित प्रश्न संख्याः 2775

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सूचना सभा पटल पर रखी है उसमें फिगर्ज दी है कि इतने लोगों को पांच साल की सेवा अवधि पूर्ण करने के बाद नियमित किया गया है। मैं मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि प्रदेश में नियमित आधार पर भी कर्मचारियों की नियुक्तियां हो रही हैं, अनुबन्ध आधार पर भी हो रही हैं, आउटसोर्स पर भी हो रही हैं, एडहॉक पर भी हो रही हैं और कुछ बैकडोर एंट्रीज भी हो रही हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के कैडर में एकरूपता लाने के लिए जो अनुबन्ध आधार पर भर्तियां होती हैं इनको बन्द करके नियमित आधार पर ही भर्तियां करेंगे? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में नौकरी हेतु 45 साल अप्पर एज़ लिमिट है और जब कोई व्यक्ति 45 साल में नौकरी ज्वाइन करता है तो वह 50-52 साल तक नियमित होता है और उसके बाद सीधा 58 साल के बाद वह रिटायर हो जाता है और फिर उसको पैंशन मिल जाती है। क्या सरकार ऐसा प्रावधान करने का विचार रखती है या प्रावधान करेगी कि सभी कर्मचारियों की अलग-अलग कैटेगरी में भर्ती न करके नियमित आधार पर नियुक्तियां दी जाएंगी?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, सरकार प्रतिवर्ष सैंकड़ों नहीं बल्कि हजारों कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों में सरकारी सेवा में लेती है और सभी को प्रथम दिवस से ही नियमित नियुक्ति देना संभव नहीं है क्योंकि सरकार के पास इतने वित्तीय संसाधन नहीं हैं

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

26.08.2016/1105/जेके/एजी/1

प्रश्न संख्याः 2775:----**जारी**--

मुख्य मंत्रीः----जारी--------

कि हम सभी को from the date of appointment ही उनको रैगुलर कर दें। कुछ पद हैं जिनकी रैगुलर भर्ती होती है, मगर अधिकांश पद वे हैं जो कि कुछ समय तक उनको कान्ट्रैक्ट में रखा जाता है और उसके बाद उनको रैगुलर किया जाता है। इस अवधि के बारे में जो माननीय सदस्य ने पूछा है उसमें मैं कहना चाहता हूं कि दिनांक 10.04.2015 से 28.02.2016 तक पूछा था इस दौरान 2,842 अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित किया गया है। साथ-साथ में नियमित भी हो रहे हैं। आगे भी आप जब प्रश्न पूछेंगे तो हजारों-हजारों कर्मचारी वे नियमित किए गए हैं। वर्तमान में जो ये प्रणाली है उसको छोड़कर यदि हम और कोई प्रणाली अपनाएंगे उस बोझ को अभी सरकार उठाने के काबिल नहीं है।

श्री सुरेश भारद्वाजः माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जैसे कि बताया गया है कि मैडिकल ऑफिसर्ज़, आयुर्वेदिक ऑफिसर्ज़, डैंटल ऑफिसर्ज़ हैं और हमारे जो सिविल डिस्पैंसरीज, पी0एच0सीज0 और हॉस्पिटल्ज डॉक्टर्ज के बगैर खाली पड़े हैं। डॉक्टर्ज की भी कई बार जब ज्यादा सेवा हो जाती है,जब उनको प्रॉपर कंडिशन्ज नहीं मिलती है तो वे छोड़ करके भी जाते हैं। इसलिए ऐसी पोस्टें जो फंक्शनल है, जिनकी जरूरत है, जैसे डॉक्टर्ज हैं, नर्सिज़ हैं या इसी प्रकार के समकक्ष दूसरे लोग हैं क्या उनके बारे में ऐसा विचार कर सकते हैं कि उनको नियमित आधार पर आप नौकरी दे दें ताकि वे स्थाई रूप से यहां पर काम कर सकें यानि छोड़ करके बीच में यहां से न जाएं?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो यह प्रणाली है यह सभी को लागू है। क्लास-IV से लेकर क्लास-I तक यह प्रणाली लागू है। इसमें डॉक्टर भी शामिल हैं और वे भी पहले

26.08.2016/1105/जेके/एजी/2

कॉन्ट्रैक्ट पर ही रहते हैं और पांच साल के अन्दर वे रैगुलर हो जाते हैं। यह प्रणाली अच्छी तरह से चल रही है। जिनको नौकरी मिली है वे भी खुश हैं और सरकार के ऊपर भी ज्यादा

बोझ नहीं पड़ रहा है। आपके समय में भी आर0के0एस0 में लेते थे इसलिए एक ही बात है, सिर्फ नाम बदल दिया गया है। जब भाजपा सरकार थी अधिकांश कर्मचारी जो भर्ती होते थे वे आर0के0एस0 के माध्यम से भर्ती होते थे।

श्री हंस राजः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो कर्मचारी वर्ष 2002 के बाद हिमाचल प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे कोई 76 हजार कर्मचारी है, उनका सी0पी0एफ0 या इ0पी0एफ0 के माध्यम से पैसा कटता था। अनुबन्ध के बाद जो अब रिटायर हो रहे हैं उनको जिस तरह से पैसा जिस अमाऊंट में कटा था, उनको उस अमाऊंट के मुताबिक पैसा नहीं मिल रहा है, मतलब जिस तरह से पैसा कटा था उस तरह से वह पैसा नहीं कट रहा है। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी आश्वस्त करेंगे कि जी0पी0एफ0 जिस तरह से कटता था 2002 से पहले और आज की डेट में सी0पी0एफ0 या इ0पी0एफ0 जिन 76 हजार कर्मचारियों का कट रहा है और जो रिटायर हो रहे हैं, उनको मात्र 1500 या 1600 रूपए मिल रहे हैं। वह पैसा शेयर मार्किट में लगा है इस तरह की सूचनाएं हैं। क्या मुख्य मंत्री जी आश्वस्त करेंगे या सदन को जानकारी देंगे कि उन 76 हजार कर्मचारियों के बारे में सरकार कोई निर्णय लेगी?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है we are looking into this matter. हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी उनका जी0पी0एफ0 बढ़ा है वह कम न मिले at the time of retirement.

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

26.08.2016/1110/SS-AS/1

प्रश्न संख्याः 2775 क्रमागत

डॉ0 राजीव बिंदलः माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के परिशिष्ट-"क" पर 21 नम्बर पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि 136 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी नियमित किये गए। हम यह जानना चाहते हैं कि ये जो 136 अधिकारी नियमित किये गए,

इसमें जो आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी को-लोकेशन पैटर्न पर लगे थे, क्या वे भी शामिल हैं और यदि नहीं हैं तो क्या सरकार उनको भी रेगुलर करेगी?

मुख्य मंत्रीः प्रश्न यह नहीं है कि कौन कर्मचारी किस जगह पर लगा हुआ है, कहीं भी लगा हो, सेवाकाल के कुछ निर्धारित समय के बाद उनको रेगुलर किया जाता है irrespective of the fact where they are posted.

प्रश्न समाप्त

26.08.2016/1110/SS-AS/2

प्रश्न संख्याः 3192

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले तो मेरी इनसे यह जानने की उत्सुकता रहेगी कि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर राशनकार्ड होल्डर्ज़ हैं, आपने आज के उत्तर में कहा है कि लगभग 18,20,924/- राशन कार्ड होल्डर्ज़ हैं लेकिन इससे पहले जो इसी सदन में प्रश्न आया था उसमें आपने जवाब दिया था कि 18 लाख 24 हजार राशनकार्ड होल्डर्ज़ हैं। पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि राशनकार्ड होल्डर्ज़ की संख्या में कमी आने के क्या कारण हैं?

दूसरा, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो राशन का आबंटन किया जाता है जिसमें चीनी प्रति व्यक्ति 600 ग्राम दी जाती है और 600 ग्राम चीनी दिये जाने की जो मात्रा है उसके बारे में आपने तीन वर्षों की सूचना दी है। उस तीन वर्षों की सूचना में जो मैंने कैलकुलेट किया है, थोड़ी-सी जानकारी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि चीनी जितनी इन तीन वर्षों में बांटी जानी थी उससे ज्यादा चीनी आपने क्रय की है। लेकिन जो फील्ड की रिपोर्ट है वह यह है कि बहुत से ऐसे डिपो और राशनकार्ड होल्डर्ज़ हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं जिनको कई महीनों की चीनी नहीं मिली है। मेरा पहला आपसे प्रश्न रहेगा कि जो चीनी उन राशनकार्ड होल्डर्ज़ के परिवारों को नहीं मिली उसके क्या कारण रहे? दूसरा, आपने जो दालें क्रय की हैं, आपने प्रश्न के उत्तर में पूरी डिटेल दी है। आपने इंगित किया है कि जिस परिवार में तीन से कम व्यक्ति होंगे उसके लिए मेरे ख्याल में एक किलो दाल रखी हुई है। जिस परिवार में तीन और चार व्यक्ति होंगे, उसके लिए

दूसरी दाल एक किलो दी जायेगी। जिसमें पांच या पांच से ज्यादा व्यक्ति होंगे उसके लिए एक किलो दाल और दी जायेगी। अगर उन सारी कैटेगिरीज़ की गणना करते हैं तो क्योंकि एक से दो सदस्य वाले परिवार 2,73,365/- हैं, तीन से चार सदस्य वाले परिवार 7,44,832/- हैं

जारी श्रीमती के0एस0

26.08.2016/1115/केएस/एएस/1

प्रश्न संख्याः 3192 जारी----

श्री महेन्द्र सिंह जारी----

और पांच से अधिक सदस्यों वाले परिवार 07,05,924 हैं और अगर इन सभी परिवारों को आपने एक किलो, दो किलो और तीन किलो जो दालें देनी है, उसको अगर हम जोड़ते हैं तो इन तीन वर्षों की लगभग 15,69,338 क्विंटल दाल बनती है। आपका जो उत्तर आया है, उसके मुताबिक आपने 14,22,595 क्विंटल दालें क्रय की है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कम दालें क्रय करने के क्या कारण है ? आज अगर हम पूरे प्रदेश के अंदर गांव में जाएं डिपुओं में दालें नहीं मिल रही है। क्या माननीय मंत्री जी बतलाएंगें कि ये जो इतना बड़ा एक गैप है इसको आप किस रूप में, किस वक्त पूरा करेंगें ?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि यह सरकार समय पर और आम नागरिक को मंहगाई से इन्स्युलेट रखने के लिए माननीय वीरभद्र सिंह जी ने वर्ष 2006 के करीब चलाई थी और आज वह बिल्कुल अच्छी तरह से चल रही है और इसमें जो आपने पहले पूछा कि 18 लाख 20 हजार कैसे हो गए, तो यह डिज़िटिलाईजेशन हो रही है। जिन्होंने डिज़िटिलाईजेशन के फॉर्म भरे, उनके कारण यह नम्बर आया है, एक तो आपका यह सवाल था। दूसरे, आपने कहा कि चीनी डिपुओं में नहीं पहुंच रही है। हमारे चीनी का इस महीने का कोटा भी

डिपुओं में पहुंच चुका है। हमारे पास आज दिन तक इस सम्बन्ध में कोई भी शिकायत नहीं आई है। अगर आपके पास कोई सूचना है कि फ्लां जगह पर चीनी नहीं पहुंची है तो कृपया यहां सूचना रख दें, उसकी यथास्थिति क्या है, वह मैं आपको आज ही बता दूंगा। तीसरे, आपने कहा कि जो पहली दाल है, दूसरी दाल है, फिर आपने केल्कुलेट किया कि इतने आदमी है, महेन्द्र सिंह जी, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग दाल नहीं लेते। इसके कारण वह गैप हो सकता है। हम उतना ही माल मंगवाएंगें जितना कि बिक गया होगा। इसमें हम ए.पी.एल. और बी.पी.एल. दोनों को देते हैं। कुछ लोग अगर समझते है कि हमने

26.08.2016/1115/केएस/एएस/2

दाल नहीं खानी है तो नहीं लेते उसके कारण भी over the period तीन साल में यह आंकड़ा हो सकता है। तो ये तीन सवाल आपने पूछे हैं और पहली, दूसरी और तीसरी दाल , जितनी भी दालें हैं वे गोदामों में आ चुकी है और लोगों को मिल रही है, मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है। कल शाम को मुझे पांवटा साहब से एक फोन आया है, उसके लिए आज मैंने अधिकारियों को कहा है कि पता लगा कर मुझे बताएं।

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने अब डिजिटल सिस्टम से राशन कार्ड बनाने शुरू किए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनसंख्या कितनी है और आपके राशनकार्ड होल्डर के माध्यम से कितना राशन कितने व्यक्तियों को पूरे प्रदेश में बांटा जा रहा है? आपने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि आप 78 लाख लोगों को राशन बांट रहे हैं। और इस प्रदेश की जनसंख्या क्योंकि अब तो अधिकतर आधार कार्ड भी बन चुके हैं, तो उस लिहाज़ से दोबारा से इसको चैक करने की आवश्यकता है। चीनी के बारे में आपने कहा कि चीनी सभी डिपुओ में मिल रही है, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है, आपने 2013 में जैसे ही आप सत्ता में आए, आपने जो चीनी उससे पहले 12 रुपये और 13 रुपये 50 पैसे में दी जाती थी, आपने उसका रेट उसने एक छलांग लगाई और वह 18 रुपये और 19 रुपये 50 पैसे हो गई, उसके क्या कारण रहे?

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

26.8.2016/1120/av-dc/1

प्रश्न संख्या : 3192 --------- क्रमागत

श्री महेन्द्र सिंह----जारी

क्या कारण है कि वर्ष 2013 से पहले तक चीनी शुगर मिलों से ली जाती थी इसलिए चीनी का रेट 12 रुपये या 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम रहता था। आपने जैसे ही ओपन मार्किट से चीनी लेना शुरू की उसी वक्त से चीनी के रेट में 6 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ओपन मार्किट से यानि जहां से भी आपने चीनी ली हुई है वहां का और शुगर मिल्ज का 2.45 रुपये प्रति किलोग्राम डिफरैंस आ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों किया गया? तीसरा, मेरा आपसे दालों के बारे में प्रश्न रहेगा। आपने कहा कि कुछ लोग लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं, जो कुछ नहीं लेते हैं उसके क्या कारण है? क्या आप कभी उसकी बैक्ग्राउंड में गये? वे इसलिए नहीं लेते हैं, माननीय मंत्री जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। मैंने यह बात परसों भी आपके ध्यान में लाई थी कि आपके राजमाह सड़े हुए होते हैं और हिमाचल प्रदेश के लोग सड़ी हुई चीजें नहीं खाना चाहते। इसीलिए लोग राजमाह को नहीं ले रहे हैं, क्या आप इसकी छानबीन करवायेंगे? इसी उत्तर में कहा गया है कि आपके 443 सैम्पल फेल हुए हैं। आपके जो 443 सैम्पल फेल हुए हैं उनके प्रति आपने क्या कार्रवाई की है?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने राजमाह सैम्पल के बारे में पूछा है कि क्या कार्रवाई की गई। मैं बताना चाहता हूं कि हम समय-समय पर कार्रवाई करते रहते हैं। मैं यहां पर थोड़ा आंकड़े पढ़ देता हूं। अगर किसी एक पर्टिकुलर सैगमैंट या कनसाईनमैंट में किसी का सैम्पल फेल होता है तो हम उस पूरी कनसाईनमैंट के 20 प्रतिशत के हिसाब से पैसे काटते हैं। इसमें हम अब तक वेरियस केटेगरी में 12.50 करोड़ रुपये की पेनेल्टी लगा चुके हैं। दूसरी बात, अगर किसी कम्पनी

का सैम्पल 5 बार फेल हो जाता है तो उस कम्पनी को अगले तीन टैंडर के लिए बाहर कर देते हैं। आपने यह भी कहा कि राजमाह गल नहीं रहे। अब मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं भी

26.8.2016/1120/av-dc/2

राशन नहीं लेता। मगर मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। हमने चैक करवाने के लिए जो सैम्पल लिए हैं उनके बारे में मैं बता देता हूं कि हमने कितने सैम्पल लिए हैं। आपकी सरकार के समय हमारे से 10 प्रतिशत अतिरिक्त सैम्पल फेल हुए। हमने जो सैम्पल लिए उसमें से 443 फेल हुए और जो फेल हुए उसको ऐज़ पर लॉ तथा टैंडर की कंडिशन के हिसाब से पेनेल्टी लगा दी है व पेनेल्टी कवर भी कर ली है। आपने अभी यह भी कहा कि जब हमारी पार्टी की सरकार बनी तो उस समय चीनी का रेट 13.20 रुपये प्रति किलोग्राम था। हमने चीनी के रेट नहीं बढ़ाये। केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है। मैं आपको सलाह देता हूं कि जब आप अगली बार दिल्ली जाओ तो जेटली जी और पासवान जी से मिलकर आना। वहां आप मिलकर पता कर लेना कि रेट कौन तय करता है। वहां से तय हुआ कि वह हमें 32 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से पैसे देंगे। अगर 13.20 रुपये मिल रही थी तो फिर उन्होंने हमें 32 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से पैसे क्यों देने थे। उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन और वैट लगता है तथा दूसरी चीजें भी हैं। इसलिए इस तरह की बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी का ध्यान प्रश्न संख्या 1406 की तरफ ले जाना चाहता हूं जो कि दिनांक 11.12.2014 को लगा था। इस प्रश्न के उत्तर को आप खुद भी और आपका विभाग भी पढ़ें। इस प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि जून, 2013 एवं आगे की अवधि के लिए ।

श्री टी0सी0 द्वारा जारी

26/08/2016/1125/TCV/DC/1

प्रश्न संख्याः 3192 क्रमागत।

श्री महेन्द्र सिंह ---- जारी।

जून, 2013 में उस समय यहां भी आपकी सरकार थी और वहां भी आपकी सरकार थी, तब आपने आगे की अवधि के लिए खुली मार्किट से चीनी लेने का निर्णय लिया था, न की जेटली जी और पासवान जी ने लिया था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी आटा 14 किलो प्रति महीना मिलता था और चावल 7 किलो प्रति महीना मिलते थे। आपने आटे की रेशो 14 किलो से घटाकर 12 किलो कर दी और चावल की रेशो 6 किलो से घटाकर 5 किलो कर दी। इसके क्या कारण रहे हैं? मैं एक और बात पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि तेल की खरीद में आपके और आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी फूड एण्ड सिविल सप्लाई के बीच में किस रेट/कम्पनी को लेकर सहमति नहीं बन पाई? इसके अलावा जो 12.50 करोड़ रूपये की पनल्टी लगाई गई थी, वह कहां है, वह राशि किस खज़ाने में जमा हुई है, क्या मंत्री जी उसकी पूरी डिटेल देंगे?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पनल्टी लगती है,वह विभाग के पास है, क्योंकि उनको अपील करने का अधिकार है। वे कोर्ट में भी जा सकते हैं और सेक्रेटरी के पास भी अपील कर सकते हैं। दूसरा, जो इन्होंने तेल की बात कही है, एस0एल0पी0सी0 की मीटिंग 24-05-2016 को हुई थी। ग्लोबल टैंडर हुए और उसमें 86 रूपये मस्टर्ड ऑयल का रेट आया था और दूसरी बार जब टैंडर हुए तो इसका रेट 99 रूपये 39 पैसे आया । इसका रेट तकरीबन 14-15 रूपये ज्यादा आया और इसका कैबिनेट में जाकर कैबिनेट ने फैसला लिया। मुझे किसी भी अधिकारी के साथ काम करने की दिक्कत नहीं है, वह किसी और को हो सकती है। मेरे सभी अधिकारियों से बड़े अच्छे ताल्लुक़ात हैं। आप उसकी चिन्ता न करें।

प्रश्न समाप्त।

26/08/2016/1125/TCV/DC/2

प्रश्न संख्याः 3231

डॉ0 राजीव बिंदलः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही कोई शिलान्यास या उद्घाटन कर सकता है लेकिन स्थिति इसके विपरीत है। कांग्रेस के नेताओं द्वारा प्रदेश भर में

शिलान्यास/उद्घाटन व स्कूलों को शुरू करने की प्रक्रिया जारी है। जो नोफिकेशन की कॉपी साथ में लगी है, माननीय अध्यक्ष जी, इसकी वॉयलेशन लगातार हो रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि जिस किसी भवन का शिलान्यास पहले हो चुका है, उसका दोबारा शिलान्यास करना क्या अधिकृत है या नहीं? दोबारा शिलान्यास करने के लिए क्या मापदण्ड है और शिलान्यास दोबारा क्यों किये जाते हैं? दूसरा, यदि किसी भवन या किसी प्रकल्प का उद्घाटन किया जाता है, तो जो पूर्व में शिलान्यास पट्टिका है, सरकार ने उसको किस प्रकार से लगाने के निर्देश दिए हैं? माननीय अध्यक्ष जी , डिग्री कॉलेज नाहन का शिलान्यास दोबारा किया गया। हैल्थ सब-सेंटर नैणीधार का भी दोबारा शिलान्यास किया गया और हॉस्पिटल नाहन,पांवटा साहिब तथा प्राईमरी हैल्थ सैंटर कोलोवालां हुड के हैल्थ सैंटर के शिलान्यास की पट्टिकाओं की तरह ऐसी सैंकड़ों शिलान्यास की पट्टिकाएं उपलब्ध नहीं हैं। उसके संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी क्या आदेश पारित करेंगे?

माननीय मुख्य मंत्री श्रीमती नीना सूद द्वारा जारी ----

26/08/2016/1130/NS/AG/1

प्रश्न संख्याः 3231------क्रमागत

मुख्य मुत्रीः स्पेसिफिक पट्टिकों के बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है। आमतौर पर यह इन्सट्रक्शन्ज़ हैं कि अगर किसी भवन की पट्टिका है, वे उस विभाग के मंत्री द्वारा अधिकृत होने पर ही वहां के मुख्य संसदीय सचिव और वहां के विधायक कर सकते हैं। जहां तक उद्घाटन का प्रश्न है, तो सबसे पहले जो विभाग के मंत्री हैं, उनको करने का अधिकार है। मुख्य मंत्री कर सकते हैं और अगर दोनों उपलब्ध न हों तो उस विभाग के जो मुख्य संसदीय सचिव हैं, वे भी कर सकते हैं। परन्तु हमने कई जगह दूरदराज़ के इलाकों में बोर्ड या कार्पोरेशन्ज़ के चेयरमैन को भी अधिकृत किया है। वे अधिकृत होने पर ही उद्घाटन कर सकते हैं। दूसरा, जो आपने प्रश्न पूछा कि अगर किसी भवन के ऊपर कोई पहले के

शिलान्यास की पट्टिका लगी हुई है, तो निश्चित रूप से वह पट्टिका हटनी नहीं चाहिए, वहीं रहनी चाहिए।

श्री जय राम ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया कि किसी उद्घाटन के लिए वहां के स्थानीय विधायक, बोर्ड और कार्पोरेशन्ज़ के चेयरमैन और वाईस चेयरमैन को अधिकृत करते हैं बशर्ते कि उस विभाग का मंत्री उनको अनुमति दे या उनसे परमिशन ले। पिछले ही सत्र में इसी मान्य सदन में मैंने प्रश्न उठाया था, जिसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पी.एच.सी. बागाचणोगी, पी.एच.सी खोलानाल के उद्घाटन का मैंने पूछा था कि कब उद्घाटन हुआ? माननीय मंत्री जी ने इस मान्य सदन में उत्तर दिया है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उसका उद्घाटन कब हुआ है और न ही मुझे इस बात की जानकारी मिली कि उद्घाटन के लिए मुझसे कोई परमिशन ली गई थी। उन्होंने बिल्कुल साफ मना किया है। अगर ऐसी परिस्थिति में मंत्री महोदय को पूछे बिना उन जगहों पर उद्घाटन कर दिया जाता है तो क्या ऐसे में इस बात को सुनिश्चित

26/08/2016/1130/NS/AG/2

करेंगे कि जो उद्घाटन करने वाले हैं, उनको इस बारे में पूछा जाएगा कि आपने जो मंत्री महोदय की इज़ाज़त और स्वीकृती के बिना उद्घाटन किया हैं क्या उसमें कोई कार्रवाई करने का प्रावधान है? दूसरा, मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि बहुत जगहों पर ऐसा हो रहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी शिमला में होते हैं लेकिन इनके नाम का उद्घाटन और शिलान्यास की पट्टिका उन विधान सभा क्षेत्रों में लग रही हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी के सौज़न्य से इस प्रकार का ज़िक्र करके ऐसी पट्टिकाएं लगाई जा रहीं हैं। ठीक है। हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। मुख्य मंत्री जी आएं उनका अभिनन्दन है, स्वागत है, वे जो उद्घाटन करना चाहते हैं तथा शिलान्यास करना चाहते हैं, करें। लेकिन वहां पर मुख्य मंत्री महोदय, मंत्री महोदय उपस्थित नहीं हैं और उनके नाम के साथ वहां पर पट्टिका लगा दी जाती है क्योंकि उन्होंने अपना नाम उनके साथ लगाना

होता है तो क्या इस प्रकार की व्यवस्था आपने यहां से ज़ारी की है? क्या सरकार ने ऐसे आदेश दिए कि जहां मुख्य मंत्री महोदय उपस्थित नहीं हैं, वहां पर इस प्रकार के नाम लगाए जा सकते हैं। जहां मंत्री महोदय उपस्थित नहीं हैं , वहां पर उनके नाम का ज़िक्र लग सकता है। क्या आपने शिलान्यास की पट्टिका के लिए कोई नॉर्म्ज़ तय किए हैं?

मुख्य मंत्रीः मैं यह पहले कह चुका हूं और इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। आजकल स्वयं जाकर ही उद्घाटन नहीं होते हैं। आजकल टैलीफोन के द्वारा, रेडियो कॉन्फ्रैंस के द्वारा भी उद्घाटन किए जाते हैं। एकदफा प्रधान मंत्री जी ने चार सौ उद्घाटन टैलीफोन करके कर दिए थे। ऐसा हो सकता है क्योंकि आजकल इलैकट्रॉनिक्स का ज़माना है। यह जरूरी नहीं है कि मुख्य मंत्री या मंत्री वहां पर उपस्थित हो, उनकी गैरहाजिरी में भी उनकी अनुमति से टैलीफोन के द्वारा या किसी दूसरे माध्यम से उद्घाटन किया जा सकता है। वहां पर लोग बैठे होते हैं तो जो टैलीफोन के माध्यम से बोला जाता है वह सारी-की-सारी बात लाउड स्पीकर के माध्यम से सुनाई देती है और उसके मुताबिक उद्घाटन हो जाता है।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

26.08.2016/1135/RKS/AG/1

प्रश्नः3231...जारी

अध्यक्षः क्या आप सभी सदस्य एक साथ बोलेंगे? You speak one by one.

डॉ0 राजीव बिन्दलः माननीय अध्यक्ष जी, मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मुझे अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। नाहन में सिविल अस्पताल और पांवटा साहिब, अस्पताल का शिलान्यास पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने किया था, जबकि इन अस्पतालों का उद्घाटन स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। अभी हाल ही में माननीय स्वास्थ्य मंत्री, ठाकुर कौल सिंह जी कौलां वाला भूड्ड में

अस्पताल का उद्घाटन करने आए थे, जहां पर मैं भी उनके साथ मौज़ूद था। इस अस्पताल का शिलान्यास मैंने स्वयं स्वास्थ्य मंत्री के नाते किया था। इन संस्थानों की शिलान्यास पट्टिकाएं नहीं लगाई गई हैं और कुछ अधिकारियों ने तो अपनी सीमाएं लांघकर लगी हुई पट्टिकाओं को भी उखाड़ कर हटा दिया है। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस संबंध में शिलान्यास पट्टिकाओं को उचित स्थान पर लगाने के निर्देश देंगे?

मुख्य मंत्रीः आपका विचार अति शुभ है परन्तु इसके कई कारण हो सकते हैं। डॉ0 यशवन्त सिंह परमार जब मुख्य मंत्री थे तो मैं उनके साथ कई समारोह में गया हूं। उस समय भी पुलों, भवनों या किसी अन्य संस्थानों के उद्घाटन हुए परन्तु आज मुझे वे पट्टिकाएं नज़र नहीं आती हैं। इसी तरह से जब ठाकुर राम लाल जी मुख्य मंत्री थे उस वक्त भी मैं, उनके साथ तीन पुलों के उद्घाटन में मौज़ूद था। उन उद्घाटनों में उनके नाम के साथ-साथ मेरा नाम भी पट्टिकाओं में था। वे पट्टिकाएं भाजपा सरकार के राज में तोड़ दी गई। ...(व्यवधान) "Yes"...(व्यवधान)। यह सच्चाई है...(व्यवधान)। यह एक गलत बात है...(व्यवधान) । जिसने जिस जगह उद्घाटन किया हो, उसकी पट्टिका नहीं तोड़ी जानी चाहिए। बम्सन की स्कीम अपने वक्त की सबसे बड़ी पेयजल योजना थी। उसका शिलान्यास मैंने स्वयं अवाह देवी के सामने वाली सड़क पर किया था परन्तु जब भाजपा सरकार आई तो उस समय मेरी शिलान्यास पट्टिका को उखाड़ कर धार के ऊपर जो टैंक बने हुए हैं, उनके बीच में

लगा दिया गया। यह प्रथा गलत है और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही यह प्रथा चलाई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही पूर्व सरकार की पट्टिकाओं को तोड़ा-मरोड़ा गया, खड्ड में डाला गया और धारों पर ले जाया गया। हम ऐसा कार्य नहीं करते हैं। मैंने लोक निर्माण विभाग को भी आदेश दिया है कि पुलों और भवनों के ऊपर जो भी पट्टिकाएं

थी उन्हें वापिस लगाया जाए। पट्टिकाओं को तोड़ने से इतिहास नहीं बदलता है। मैं यह भी मानता हूं कि जो पट्टिकाएं हैं, वे अपने स्थान पर रहनी चाहिए।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सारे इश्यू को नया मोड़ दे दिया है और ऐसा डाइवर्शन करने की इनकी आदत भी है।

मुख्य मंत्रीः यह आदत आपकी है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः मुख्य मंत्री जी, शायद आपको इन्फैक्शन हो गई हो। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय जी ने बताया की पूर्व मुख्य मंत्री डॉ0 यशवन्त सिंह परमार और श्री राम लाल जी की तीन जगह पट्टिकाएं तोड़ दी गई।

मुख्य मंत्रीः मैं आपको इस बारे में लिखकर भेजूंगा। दो बार यह बिलासपुर में हुआ है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः आप 5-6 बार

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

26.08.2016/1140/SLS-AS-1

प्रश्न संख्या : 3231....जारी

प्रोफ़ेसर प्रेम कुमार धूमल ....जारी

सांसद रहे और आठवीं बार विधायक हैं। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जब प्रश्न पूछा जा रहा हो तो सुनना चाहिए कि प्रश्न क्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह तथ्य नहीं है कि कांगड़ा सैंट्रल कौपरेटिव बैंक बिल्डिंग का धर्मशाला में मैंने उद्घाटन किया था और आपने वह उद्घाटन पट्टिका तुड़वाई कि यह तो बहुत बड़ी लग गई; मैं भी इतने वर्षों तक मुख्य मंत्री रहा, लेकिन मेरी पट्टिका इतनी बड़ी नहीं लगी। यह भी कहा कि उन कर्मचारियों और अधिकारियों पर इसके पैसे लगाओ जिन्होंने वह पट्टिका लगाई थी और वहां छोटा पत्थर लगाओ। यह हुआ

कि नहीं हुआ? कुछ दिनों के बाद आप धर्मशाला सर्किट हाऊस से जा रहे थे तो यूरिन जाने के बहाने आपने यह चैक किया कि वह पत्थर हटा कि नहीं हटा।

मुख्य मंत्री : *(हंसी-मज़ाक में)* आपको कैसे पता कि मैंने पेशाब किया या नहीं? क्या आप वहां पर कोई चौकीदार लगे थे?

प्रोफ़ेसर प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, इनके पेसाब होने के गवाही इनके लोग होते हैं कि कहां पेसाब हुआ या नहीं हुआ। वही जानकारियां बाहर देते हैं।

दूसरे, मैं आपसे स्पैसिफिक पूछना चाहता हूं। सर्किट हाऊस रोहड़ू का आपने वर्ष 1997 में जाते-जाते शिलान्यास कर दिया। वर्ष 1998 में हमारी सरकार आई। हमने वह सर्किट हाऊस बनवाया। आपकी शिलान्यास की पट्टिका भी लगी और सामने उद्घाटन की लगी। आप 2003 में फिर सत्ता में आए। आप वहां गए और आपने वहां मेरी पट्टिका देखी। यह सब आपने रोहड़ू जाकर देख लेना। अध्यक्ष महोदय, वह दोनों पट्टिकाएं हटाई गई और फिर काफी बड़ी पट्टिका बनाकर लिखा कि इसका शिलान्यास श्री वीरभद्र सिंह जी ने किया। नीचे एक लाईन लिखी है कि इसका उद्घाटन प्रेम कुमार धूमल ने किया। यह मानसिकता आपकी है। अवाहदेवी,

26.08.2016/1140/SLS-AS-2

बमसन-लगवालथी स्कीम के आपने जो पत्थर लगावाए थे उसका उद्घाटन मैं दिसम्बर 2002 में कर चुका था। आपने जहां किया, वहां बस स्टैंड बना है। पत्थर वहां लगे हैं जहां टैंक बना है। वह सड़क के किनारे हैं। आप मानेंगे कि बस स्टैंड तो आपने रामपुर में बदलवा दिया। जहां आवश्यकता पड़ती हैं वहां परिवर्तन किए जाते हैं। इसी विधान सभा में एक भवन का उद्घाटन होना था। आपके विधायक दल ने वायकॉट की धमकी दे दी कि जब तक शिलान्यास का पत्थर नहीं ढूंढ़ा जाता, तब तक हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हमने पत्थर ढुंढ़वाया और रातोंरात आपका पत्थर लगवाया। यह बात मैंने तब भी आपसे कही थी कि पत्थरों से फर्क नहीं पड़ता। कितने तोड़े गए हैं, मैं उसकी चर्चा ही नहीं करना चाहता।

लोगों की यादाश्त में अगर पत्थरों से कोई जिंदा रहता तो बहुत से लोग पत्थरों से ही जीते। विकास की इबारत लोगों के दिलों पर लिखी जाती है और भारतीय जनता पार्टी ने वह लिखी है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक और चर्चा शुरू हो गई है। इससे प्रश्नकाल का समय कम होगा। मैं किसी और वक्त इसका जवाब दूंगा। मगर एक बात मैं ज़रूर कहूंगा। इन्होंने कहा कि कांगड़ा सैंट्रल बैंक की जो शाखा है उसकी पट्टिका मैंने बदली है। क्यों? मैंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में सारे देश में और विदेशों में भी मैं जहां गया, कहीं नहीं देखा कि एक कमरे की पूरी दीवार को पट्टिका बना दिया हो। पट्टिका नहीं थी, पूरी दीवार को पट्टिका बना दिया। All the length and width of the wall was covered by the Patika. Yes, I got a photograph of that. उसमें बड़े-बड़े अक्षरों में सारी दीवार पर लिखा गया था। लेकिन यह vulgar है। Its vulgar. अगर आप सारी दीवार के ऊपर पट्टिका लगा दें, its vulgar. This is a display of power and vulgarity. हमने कहा कि इसकी और पट्टिका बनाकर वहां पर लगाई जाए। आप बताइए कि क्या कोई पट्टिका ऐसी होती है जो पूरे कमरे की लंबाई और चौड़ाई के मुताबिक बनें और

जारी .... श्री गर्ग जी

26/08/2016/1145/RG/AS/1

प्रश्न सं. 3231------क्रमागत

मुख्य मंत्री -----**क्रमागत**

बड़े-बड़े तथा मोटे-मोटे अक्षर कवर करे? जिन लोगों ने वह पट्टिका लगाई, आपको उन्हें डांटना चाहिए था। उन्होंने आपकी खुशामद में एक तरीके से आपका अपमान किया। मैं यह नहीं कहता कि वह आपने लगवाई। उन्होंने अपनी खुशामद दिखाने के लिए वह लगाई। यानि एक पूरी दीवार को तांबे की प्लेट से कवर कर दिया और उसके ऊपर बड़े-बड़े अक्षर लिखे नहीं गए बल्कि उनको अक्षर बनाकर उसमें लगाया गया। यह तो सबको मालूम है कि नहीं है? This is the height of vulgarity; height of *Khusamad* and height of

nonsense and you went. अगर मैं होता, तो मैं कहता हूं कि मैं इसको इनॉगरेट ही नहीं करता। ---(व्यवधान)---अगर इस प्रकार की पट्टिका बनी होती, तो नहीं करता। यह बात है।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, यह मानसिकता बहुत विचित्र है। यदि किसी दूसरे की बात आए, तो वलगैरिटी नज़र आती है। मुख्य मंत्री महोदय, यह अपनी ही वलगैरिटी को रिफलैक्ट करता है। आपका एक सबूत मैं आपको देना चाहूंगा। आप सोलन बहुत जाते हैं। जो सोलन की सब्जी मण्डी बनी है। मुख्य मंत्री के तौर पर वहां किया गया मेरा पहला शिलान्यास दिनांक 14 अप्रैल, 1998 का था। हमने ही उसको तैयार किया और उसके उद्घाटन का एक छोटा सा पत्थर अंदर लगा था। आपने वहां किस चीज का उद्घाटन किया जो आपके फोटो सहित फ्रंट में जी.टी. रोड पर लगा है, वैब पोर्टल का? मैं नहीं बोलूंगा, आपकी शालीनता का एक जबरदस्त उदाहरण है जो लोग देख रहे हैं।

मुख्य मंत्री : गर्दन झुकाकर अपने दिल को देखो कि उसमें कितना मैल, विष और प्रतिशोध की भावना भरी हुई है।-----(व्यवधान)----

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, छठी बार का मुख्य मंत्री विधान सभा में जिस भाषा का मापदण्ड स्थापित कर रहा है, मुझे लगता है कि या तो आपको इसको ऐक्सपन्ज कर देना चाहिए या इनको ये शब्द वापस लेने चाहिए या आने वाली जनरेशन के लिए परमानेंट इनकी भाषा का सबूत यहां रहेगा?

मुख्य मंत्री : सबूत रहने दो।----(व्यवधान)------

डॉ. राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत हाईली ऑब्जक्शनेबल है। या तो इनको ऐक्सपन्ज कर देना चाहिए या इनको ये शब्द

26/08/2016/1145/RG/AS/2

वापस लेने चाहिए, नहीं तो हम लोग इसके खिलाफ प्रोटैस्ट करेंगे।----(व्यवधान)---अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। ये हर विधान सभा में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ---(व्यवधान)-----

अध्यक्ष : कृपया आप लोग बैठ जाएं। I have request every Member because day in and day out, the Question Hour is being marred due to …(interruption)… No,

no, I am not blaming anybody. I am telling you something. I request the Hon'ble Members that you have put some questions for your supporters/ constituents. Let them be solved as time is very short. We have not to indulge in such discussions, which lead to nothing.

डॉ. राजीव बिन्दल : अध्यध महोदय, क्या उसका उत्तर गालियों में सुनना है? क्या हमारे नेता को गालियां देने के लिए हैं?

मुख्य मंत्री : हमने सच्ची बात की है। यदि आपको सच्ची बात गाली लगती है, तो क्या बात है? बिन्दल साहब, आप बैठिए। आपका रिकॉर्ड तो काला है।----(व्यवधान)---

एम.एस. द्वारा जारी

26/08/2016/1150/MS/DC/1

(**व्यवधान**)

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह कहा कि सोलन की मण्डी इन्होंने बनाई जबकि वर्ष 1993 से लेकर 1998 तक कांग्रेस सरकार रही और वह मण्डी हमने बनाई है।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो स्टेटमैंट दी है अगर वे ठीक स्टेटमैंट दे रहे हैं तो हम लोग रिजाइन करेंगे नहीं तो मंत्री जी इस सदन से रिजाइन करेंगे। -(व्यवधान)-14 अप्रैल, 1998 को इस मण्डी का शिलान्यास हुआ you will have to resign. आपको रिजाइन करना पड़ेगा। मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः क्या आपने मण्डी दो महीने में बना दी?

डॉ0 राजीव बिन्दलः हमने अढ़ाई साल में बनाई।-(व्यवधान)-

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुःख है कि केबिनैट मंत्री उद्घाटन और शिलान्यास में अंतर नहीं जानते। मैंने स्पष्ट कहा था कि 14 अप्रैल, 1998 को उस मण्डी का शिलान्यास हुआ। उद्घाटन भी बाद में हमने वर्ष 2001 में किया और इसका सैकिण्ड फेज भी हमने बनाया। मंत्री जी बैठे-बैठे सोकर उठे और कह दिया कि हमने बनाई थी। अगर हमने बनाई होगी तो आप रिजाइन कीजिए अगर आपने बनाई होगी तो हम रिजाइन करेंगे।

Speaker: Please be quite. Next Question.

26/08/2016/1150/MS/DC/2

प्रश्न संख्याः 3264

अध्यक्षः प्रश्न संख्याः 3264 माननीय सदस्य श्री रविन्द्र सिंह।
(अनुपस्थित)

26/08/2016/1150/MS/DC/3

प्रश्न संख्याः 3278

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना दी गई है, उसके माध्यम से ही अपने आप में बड़े प्रश्न पैदा हो रहे हैं। जी0ए0डी0 की जो वर्किंग है, चाहे वह मकान की अलॉटमैंट से संबंधित है, चाहे हम लोगों को हिमाचल भवन या हिमाचल सदन में एकॉमोडेशन दिलवाने की बात है, सचमुच में ये मर्जी के मालिक हैं। जिनके लिए इन्होंने कुछ करना होगा, जिनके लिए इन्होंने आरक्षण करना होगा वह सब उनकी अपनी मर्जी के मुताबिक होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहता हूं कि ये जो मकान के आबंटन की प्रक्रिया है इस प्रक्रिया पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि इसकी किस प्रकार से एलॉटमैंट

होती है? दूसरे, अध्यक्ष जी जब जनरल पूल की बात आती है या जनरल पूल जब कह दिया गया तो इसमें बहुत सारे विभाग के कर्मचारी एप्लाई करते हैं कि हम इतने सालों से फलां जगह पोस्टिड हैं, इतने साल की हमारी सर्विस लैंथ हो गई है इसलिए अब हमें सरकारी आवास दिया जाए। उनको जी0ए0डी0 की ओर से कह दिया जाता है कि आप अपने विभाग के पूल में से एप्लाई कीजिए। जब विभाग के पूल में गुंजाइश नहीं है तो स्वाभाविक रूप से वह जी0ए0डी0 के जनरल पूल से एप्लाई करेगा। एक आदमी को तो यह कहकर मना कर दिया जाता है कि आपको आवास नहीं मिलेगा, आपको अपने विभाग में एप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जब उससे जुनियर एकॉमोडेशन के लिए एप्लाई करता है तो उसको यह नहीं कहा जाता है कि तुम अपने विभाग के पूल से एप्लाई करो। उसको जी0ए0डी0 के पूल से ही एकॉमोडेशन प्रदान कर दी जाती है। कारण है कि उसकी चलती है।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

26.08.2016/1155/जेके/डी0सी/1

प्रश्न संख्याः 3278ः----**जारी**----

श्री जय राम ठाकुरः-----**जारी**----

चलती कैसे है, जी0ए0डी0 वाले अपनी डिस्क्रिशनरी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि यह जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हमें समझाएं। बहुत सारे कर्मचारी वर्षों से इन्तज़ार कर रहे हैं, उन्होंने आवास के लिए अप्लाई किया है लेकिन उनको आवास नहीं मिल पा रहे हैं। उसके बावजूद जुनियर लोग जो उनसे कम सीनियोरिटी में हैं वे लोग अकमोडेशन ले करके वहां पर बैठ गए हैं। यहीं नहीं अध्यक्ष महोदय जो उनको एन्टाइटलमैंट थी उससे भी ज्यादा बढ़ा कर दे दिए गए। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में नियम क्या हैं, कृपया इसे स्पष्ट करें?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, नियम काफी लम्बे-चौड़े हैं, **<u>उनकी एक प्रतिलिपि मैं माननीय सदस्य को भेज दूंगा।</u>**

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि नियम की प्रतिलिपि दे देंगे। यही होगा कि मुझे लिखित रूप से आ जाएगा क्योंकि विभाग की तरफ से यहां पर ज़वाब देना हो नहीं पा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आगे पार्ट के दो भाग (घ) व (ङ) में पूछा गया है कि क्या यह सत्य है कि सरकारी आवासों की मुरम्मत (रंग-रोगन) इत्यादि का प्रावधान है? इन्होंने कहा, जी नहीं । दूसरे अगले भाग (ङ) में लिखा है कि किस विभाग के माध्यम से उनकी रिपेयर और मैंटिनैंस का काम किया जाता है? इसमें उत्तर आया कि प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, आखिर इसका ज़वाब क्या है? एक बार जब कोई भवन बनता है क्या जिन्दगी भर उसकी मेंटिनैंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? यह क्या ज़वाब दिया है?

26.08.2016/1155/जेके/डी0सी/2

मुख्य मंत्रीः मैं भी इस ज़वाब से सहमत नहीं हूं। जो सरकारी मकान है किसी को आबंटित होता है उसकी समय-समय पर मुरम्मत करना, रंग-रोगन करना यह सरकार का कर्त्तव्य है चाहे वह जी0ए0डी0 विभाग करें, चाहे वह लोक निर्माण विभाग के द्वारा हो।। corrected this reply.

26.08.2016/1155/जेके/डी0सी/3

प्रश्न संख्याः3419

अध्यक्षः श्री खूब राम, अनुपस्थित।

26.08.2016/1155/जेके/डी0सी/4

प्रश्न संख्याः 3420

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, शहरी विकास मंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का ज़वाब दिया है। शिमला शहर में पहली बार ऐसा हुआ है जब पानी की सप्लाई बिल्कुल भी घरों को नहीं पहुंची जो प्रमुख कॉलोनीज़ हैं, जहां पर पानी हमेशा पहुंचता था शायद वहां पर भी इस बार नहीं आया है। मैं, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने शिमला शहर में पानी की सप्लाई के लिए वैकल्पिक क्या व्यवस्था की है, क्योंकि आपकी सप्लाई आई0पी0एच0 करता है और यहां पर डिस्ट्रीब्युशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करता है? अगर आई0पी0एच0 से पूरा पानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिला है जो कि आपने अब एक ही सर्कल बना दिया है तो लोगों को यहां पर पानी जून-जुलाई में क्यों अवेलेबल नहीं हुआ, पूरा पानी अवेलेबल नहीं हुआ? दूसरे, आपने पानी की राशनिंग कब की है? आपने खुद माना है कि एक दिन छोड़ करके पानी दिया जा रहा है। वह राशनिंग आपने कब से शुरू की है और राशनिंग करने के क्या कारण है, जबकि पूरा पानी यहां पर अवेलेबल था? तीसरे, आप जब पानी एक समय दे रहे हैं और एक दिन छोड़ करके दे रहे हैं, बीच में बिल्कुल नहीं दे रहे हैं तो जो फ्लैट रेट में आप लोगों से पैसा ले रहे हैं क्या उसको आप बन्द करेंगे? साथ ही साथ जो आप सीवरेज़ सैस लगा रहे हैं क्या जहां पर सीवरेज़ नहीं है उस सीवरेज़ सैस को वहां पर बन्द करेंगे या नहीं करेंगे? यह मैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

26.08.2016/1200/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 3420 क्रमागत

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा कि जून और जुलाई में बिल्कुल भी पानी नहीं आया, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 28 जुलाई, 2016 को भारी बारिश हुई। उसके चलते उस दिन और उसके बाद दो दिन और पानी की सप्लाई सोर्स में गाद आने के कारण बाधित रही। लेकिन उस दिन भी 20

एम0एल0डी0 पानी आया। इसी प्रकार पिछले वर्ष भी हुआ था। इन्हीं बरसात के महीनों में, तिथि में एक दिन का फर्क है 27 जुलाई, 2015 को 20.2 एम0एल0डी0 पानी आया। उसके बाद 2015 में ही उसके दो, तीन या चार दिन तक इस वर्ष से ज्यादा गम्भीर स्थिति थी। लेकिन आप जानते हैं कि जो अश्वनी खड्ड है जहां से पानी उठाया जाता था, वहां से लगभग 10 एम0एल0डी0 पानी आता था, इसको बंद कर दिया गया है। उसी कारण शिमला में पानी की सप्लाई की व्यवस्था बनाई गई है।

इसके अतिरिक्त जो आपने सीवरेज सैस की बात की, तो कोई भी सीवरेज सैस नहीं लिया जा रहा है जहां पर कोई सीवरेज कनैक्शन नहीं है। वर्तमान में जो पानी की सप्लाई की स्थिति है वह सारे शहर में लगभग सुचारू रूप से चल रही है। 40 से 43 एम0एल0डी0 पानी दिया जा रहा है और अगले वर्ष इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो, जहां से पानी आता है, सील्ट जो ज्यादा रहती है उसको रोकने के लिए प्रावधान किया जा रहा है। देहा साइड से जो पानी आता है वहां पर एक जगह ढूंढ करके चैकडैम लगाकर सील्टिंग को रोकने का प्रावधान किया जा रहा है। ऐसे ही जो गुम्मा का सोर्स है वहां पर भी चैकडैम लगा करके सील्ट को रोकने का इंतजाम किया जा रहा है ताकि आने वाले वर्षों में इस प्रकार की कोई पानी की कमी शिमला शहर में न हो।

प्रश्न काल समाप्त

26.08.2016/1200/SS-AG/2

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

डॉ0 राजीव बिंदलः अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय है। "एल0ई0डी0 बल्ब की फर्जी एंटरियां कर किया तीन करोड़ का घोटाला।"

अध्यक्षः ये क्या है?

डॉ0 राजीव बिंदलः अध्यक्ष महोदय, यही तो जानना चाह रहा हूं।

Speaker: This is no time.

डॉ0 राजीव बिंदलः किसी कम्पनी ने 10 रुपये की एंटरी की। 100 रुपये का बल्ब दिया। 100 रुपये जमा हुए और 10 रुपये खाते में जमा हुए। ये जो मामला है यह बहुत गम्भीर है और बहुत अच्छे से अखबारों के अंदर आया। यह मेरे पास दैनिक भास्कर अखबार है। बाकी अखबारों में भी आया हुआ है। यानी इस योजना में तीन करोड़ रुपये की एंटरियों का घपला हुआ है और वे जो बंदे हैं कोई अजय और जो अन्य व्यक्ति हैं वे इस समय फरार हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है। अगर संज्ञान नहीं लिया है तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? यह मैं आपके माध्यम से सदन और माननीय मंत्री जी के ध्यान में ला रहा हूं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, मैंने आपसे कल भी रिक्वैस्ट की थी कि आप मिस-टाइम करते हो। This is not the proper time. अगर आप अखबार की खबर बता रहे हैं तो आप कम-से-कम उसे टेबल पर रखिये। Let me study that. मैं उस पर ऐक्शन लूंगा। I will give you time thereafter. लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि आप अखबार हिलाकर कहते हैं कि यह खबर है। This is not the problem. आप इसे टेबल पर रख दीजिए। I will study it. अभी एजेण्डा चला हुआ है। --(व्यवधान)-- यह भी टेक अप करेंगे। डैफिनेटली करेंगे but why do you go away with this Agenda? इतने महत्वपूर्ण मुद्दे चले हुए हैं। --(व्यवधान)--मैं इसको समझ नहीं पाया।

जारी श्रीमती के0एस0

26.08.2016/1205/केएस/एजी/1

अध्यक्ष जारी----

मैं समझ नहीं पाया। आप अपनी बात रखिए। I will give you time. मैं देख कर बताऊंगा कि क्या करना है। I will give you time for that. इसको आप टेबल पर रखिए।

26.08.2016/1205/केएस/एजी/2

<u>कागज़ात सभा पटल पर</u>

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगें।

मुख्य मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियन्त्रण), अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16; और

ii. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (डी0पी0सी0) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 ।

26.08.2016/1205/केएस/एजी/3

अध्यक्षः अब बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगें।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, निदेशक, कृषि, वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःएग्र0ए0-ए(3)-2/2014 दिनांक 27.05.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.06.2016 को प्रकाशित;

ii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, सहायक निदेशक(विधि), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःएग्र0ए0-बी(2)-

iii. 6/2014 दिनांक 19.07.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2016 को प्रकाशित;

iv. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, अधीक्षक ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःएग्र0ए0(3)-4/2005 दिनांक 20.07.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2016 को प्रकाशित; और

(iv) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 I

26.08.2016/1205/केएस/एजी/4

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब श्री अजय महाजन, सदस्य, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

श्री अजय महाजनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17), के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः

(i) समिति का 146वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13

(राज्य के वित्त) पर आधारित तथा पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित है;

(ii)समिति का 147वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त/सिविल) पर आधारित तथा पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित है; और

(iii)समिति का 148वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 47वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा राजस्व विभाग से सम्बन्धित है ।

26.08.2016/1205/केएस/एजी/5

अध्यक्षः अब श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2016-17), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति (वर्ष 2016-17), के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

i. समिति का 22वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) जोकि समिति के 41वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान

सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा विद्युत विभाग से सम्बन्धित है; और

ii. समिति के 23वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 35वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि विद्युत विभाग से सम्बन्धित है ।

अध्यक्षः अब श्री संजय रतन , सदस्य, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2016-17), समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगें तथा सदन के पटल पर भी रखेंगें।

श्री संजय रतनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2016-17), समिति का 59वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 32वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

26.08.2016/1205/केएस/एजी/6

अध्यक्षः अब श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सदस्य, कल्याण समिति, (वर्ष 2016-17),समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगें तथा सदन के पटल पर रखेंगें।

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति, (वर्ष 2016-17), का 28वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 21वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2016-17), समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगें तथा सदन के पटल पर रखेंगें।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2016-17), का 18वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

26.08.2016/1205/केएस/एजी/7

विधायी कार्य :

सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016(2016 का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।
अनुमति दी गई।

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 201((2016 का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करेंगें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक15) पुरःस्थापित हुआ।

अ0व0 द्वारा जारी-

26.8.2016/1210/av-as/1

विधायी कार्य क्रमागत---

अध्यक्ष : जारी----

◌्रअब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू

26.8.2016/1210/av-as/2

उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 18) पुरःस्थापित हुआ।

26.8.2016/1210/av-as/3

अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 20) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 20) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 20) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 20) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)
अनुमति दी गई।

अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 20) को पुरःस्थापित करेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिम संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 20) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 20) पुरःस्थापित हुआ।

26.8.2016/1210/av-as/4

अब माननीय शहरी विकास मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका(संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 16) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका(संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 16) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका(संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 16) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका(संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 16) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

श्री टी.सी.वी. द्वारा जारी....

26/08/2016/1215/TCV/AS/1

अध्यक्षः अब शहरी विकास मंत्री हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, (2016 का विधेयक संख्यांक-16) को पुरःस्थापित करेंगे।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-16) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-16) पुरःस्थापित हुआ।

अब माननीय शहरी विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-17) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, (2016 का विधेयक संख्यांक-17) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, (2016 का विधेयक संख्यांक-17) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, (2016 का विधेयक संख्यांक-17) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई

26/08/2016/1215/TCV/AS/2

अध्यक्षः अब शहरी विकास मंत्री हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, (2016 का विधेयक संख्यांक-17) को पुरःस्थापित करेंगे।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, (2016 का विधेयक संख्यांक-17) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, (2016 का विधेयक संख्यांक-17) पुरःस्थापित हुआ।

26/08/2016/1215/TCV/AS/3

श्री राम कुमारः अध्यक्ष महोदय, परसों 24 तारीख को माननीय सदन में लॉ एण्ड ऑर्डर पर चर्चा हुई। माननीय सदस्य डा0 राजीव बिंदल जी ने मेरा नाम लेकर कुछ बातें कही। मैं डॉ0 राजीव बिंदल जी से कहना चाहूंगा कि जो शीशे के घरों में रहते हैं, वह दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते। जब इनकी सरकार थी, उस समय में डॉ0 राजीव बिंदल जी का एक उद्योग मेरे चुनाव क्षेत्र किशनपूरा में लगा है, जिसमें कैंसर के इंजैक्शन बनाये जाते हैं। उसके फलस्वरूप --(व्यवधान)- भारद्वाज जी मुझे बोलने के लिए समय मिला है। मुझे बोलने दीजिए। --(व्यवधान)- वह कैंसर के इंजैक्शन बनाने की फैक्टरी, जिसको लगाने के लिए पूरे भारत वर्ष में कहीं इज़ाजत नहीं मिली, वह इनकी सरकार ने घूस देकर यहां पर लगाई है। --(व्यवधान)- डॉ0 राजीव बिंदल जी बताएं कि कितनी घूस देकर इन्होंने इस फैक्टरी को यहां लगाने की परमिशन दी है। डॉ0 बिंदल जी ने बात की कि विधायक के कार्ड चलते हैं। मैं बिंदल साहिब को बता देना चाहता हूं कि मैं जिस दिन से विधायक बना हूं, मैंने कोई कार्ड नहीं छपवाया है। यदि ये मेरा एक भी कार्ड बता देंगे तो मैं रिज़ाइन करूंगा वरना बिंदल साहिब रिजाइन करें। मैं डॉ0 बिंदल साहिब से पूछना चाहूंगा कि जब इनकी सरकार थी, पूरे प्रदेश में लोग सड़कों पर उतरें। बिंदल साहिब के नारे लगते थे कि 'गली गली में शोर है, राजीव बिंदल चोर है।' उसके साथ-साथ माननीय धूमल जी को भी छींटे पड़े। घूसखोरी का वह आलम बिंदल साहिब ने कायम किया है। --(व्यवधान)- एक मुनिश ठाकुर नाम का इन्सपैक्टर डॉ0 राजीव बिंदल जी ने वहां तैनात कर दिया था लेकिन उसने उगाही करने से इन्कार कर दिया। --(व्यवधान)- करोड़ों रूपये इन्होंने अपने आकाओं को दिए। डॉ0 राजीव बिंदल बताएं कि मुनिश ठाकुर ने क्यों रीज़ाइन किया? मुनिश ठाकुर ने इनके डर के मारे और सरकार के दवाब में आकर रीज़ाइन कर

दिया था। ऐसे-ऐसे कार्य बिंदल साहिब ने किए हैं। बद्दी-नालागढ़ में इनके भाई की फैक्टरी है जो धर्म का सहारा लेकर के हर ज़गह जग 'जय श्री राम' करते रहते हैं।

श्रीमती नीना सूद द्वारा जारी ----

26/08/2016/1220/NS/DC/1

श्री राम कुमार द्वारा ---- जारी

मैं बिन्दल जी से पूछना चाहूंगा कि एक साईड गुरूद्वारा है और एक साईड पर इनके भाई की इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री को बचाने के लिए चाहे गुरूद्वारा गिर जाए तब इनका धार्मिक धर्म भ्रष्ट हो गया। डॉ. बिन्दल जी को शर्म आनी चाहिए। इन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए एन.एच की एलाईनमैंट चेंज़ करवा दी कि उसमें चाहे आधा गुरूद्वारा आ जाए लेकिन इनके भाई की इंडस्ट्री बच जाए।

अध्यक्षः आप मेरी बात सुनिए। आप अपनी बात कीजिए।

श्री राम कुमारः मैं डॉ. बिन्दल जी से पूछना चाहूंगा कि इनके राज में एक एस.एच.ओ. थे जिनका नाम निराला था और वे सोलन क्षेत्र से संबंध रखते थे, उनके तीन तबादले तीन महीने में किए गए। उनके तबादले क्यों किए गए? क्योंकि उन्होंने इनके एक विधायक की शराब पकड़ ली थी। (व्यवधान)

अध्यक्षः आप अपनी बात कीजिए। (व्यवधान)

श्री राम कुमारः हिमाचल प्रदेश में अगर कोई करप्ट नेता हैं तो वे आप हैं। आपसे बढ़कर कोई करप्ट नहीं है। (व्यवधान) सारे प्रदेश को पता है कि मैं एक कारोबारी और राजनीतिक परिवार का सदस्य हूं। (व्यवधान) मेरे ट्रक चलते हैं, मेरा कारोबार चलता है, काम करना गुनाह नहीं है। गुनाह वह है जो आप घूसखोरी करते हैं। डॉ. बिन्दल साहब आप अपने अन्दर झांक कर देखिए। आपसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं हो सकता है। हम

कारोबार करते हैं और कारोबार करके खाना कोई गुनाह नहीं है। यह मेरा संवैधानिक हक है।

Speaker: Please keep quiet.

26/08/2016/1220/NS/DC/2

श्री राम कुमारः आपने बद्दी क्षेत्र की एक मीटिंग में कहा कि " बद्दी में दादा का और प्रदेश में राजा का राज नहीं चलेगा।" आज प्रदेश की सरकार और ज़नता ने आपको बता दिया कि बद्दी में दादा का और प्रदेश में राजा का राज कायम है। डॉ. बिन्दल जी आपको इस बात पर रीज़ाईन करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः एक मिनट आप सभी बैठ जाएं। कृप्या एक ही सदस्य बोलें। यह कल जो remarks इन पर किए गए थे, उस पर अपनी स्टेटमैंट दे रहे थे। श्री सुरेश भारद्वाज जी आप बोलिए।

श्री सुरेश भारद्वाजः सर, कभी भी कोई व्यक्ति खड़ा होता है और वह अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन देनी है तो वह दे सकता है, लेकिन यह सब कुछ रूल्ज़ के अंतर्गत होगा। वह रूल्ज़ के अंतर्गत परमिशन मांगेगा और प्रोपर तरीक से तय विषय पर अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकता है, वह दूसरों के बारे में एलिगेशन नहीं लगा सकता है। जब मैं प्वाईंट ऑफ ऑर्डर मांग रहा हूं तो यह सब जो इस मान्य सदन में कहा गया है, यह किस नियम के अन्तर्गत कहा गया है? जब मर्ज़ी चाहे तब खड़े होकर बोलना शुरू कर देंगे। अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, मैं इसको मना नहीं करता लेकिन उसको अपनी एक्सप्लेनेशन बाकयदा रिटन में देनी पड़ती है। उसको लिखित में देना पड़ता है। He should give in writing before the House. आप उसको अलौ करेंगे। जब तक आप हमें अलौ नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं बोल सकते। इस तरह से बोलने का जो तरीका है, इसको सारा सदन, प्रदेश तथा सारी दिल्ली देख रही है कि किस तरह पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा है? मैं

प्वाईंट ऑफ ऑर्डर मांग रहा हूं और वह मिल नहीं रहा है। Sir, this is very strange. यहां पर मुख्य मंत्री महोदय और सभी माननीय सदस्य बैठे हैं।

अध्यक्षः मैं आपको एक बात बता दूं कि कल डॉ. बिन्दल ने पूरा वक्तव्य इन्हीं के बारे में दिया है, हमने तो इसके लिए कुछ नहीं कहा है। He stated what he should not

26/08/2016/1220/NS/DC/3

have stated. पर्सनल एलिगेशन लगाए गए लेकिन हमने इसके लिए कुछ नहीं कहा। ये एलिगेशन चार्ज़ नहीं कर रहे हैं। यह तो कल जो डॉ. बिन्दल जी ने एलिगेशन लगाया था उसका जवाब दे रहे हैं।

डॉ. राजीव बिन्दलः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री राम कुमार जी ने मेरा नाम ले करके बहुत सारी बाते उदधृत की हैं। इन्होंने कहा कि कोई कैंसर की दवाई बनाने की फैक्टरी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के अंदर आज कनफैस करके एक बात कहना चाहता हूं कि चाहे कैंसर की फैक्टरी हो या किसी और चीज़ की। पूरे देश के किसी भी हिस्से में चाहे वह बद्दी हो या नालागढ़ हो, सोलन हो या

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

26.08.2016/1225/RKS/DC/1

डॉ0 राजीव बिन्दल.....जारी

नाहन हो मेरी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। ...(व्यवधान) मेरी बात तो दर्ज करने दो...(व्यवधान)।

अध्यक्षः कृपया सुन लीजिए। (व्यवधान)।

डॉ0 राजीव बिन्दलः माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा इन्होंने कहा कि इस प्रकार की कोई इंडस्ट्री है जिसका संबंध मेरे साथ है, ये इस बात को साबित करें । इन्होंने रीज़ाइन करने

की बात कही है अगर ये इस चीज़ को साबित करेंगे तो सबसे पहले मैं रीज़ाइन करूंगा, नहीं तो he should resign. मुझे बात करने दो ...(व्यवधान)। आप बैठिए...(व्यवधान)। माननीय अध्यक्ष जी, केवल गुण्डागर्दी, झूठ बोलने और आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आपकी सरकार ने पिछले 15 वर्षों से मेरे खिलाफ विज़लैंस लगाई है और विज़लैंस लगातार इस पर काम करती रही। आज भी आपने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमें न्यायालय में दर्ज़ किए हुए हैं। मैं उन मुकदमों को आज भी भुगत रहा हूं। आपको तो हमने चेयरमैन बनाया था...(व्यवधान)। कांग्रेस ने तो आपको बाहर कर दिया था..(व्यवधान)। माननीय अध्यक्ष जी, जितनी भी बातें इन्होंने कही है, वे सारी बातें गलत है और जो बात मैंने कही है वह अखबार के अंदर उद्धृत हुई है। अधिकारी की ट्रांसफर हुई, यह बात मैंने नहीं कही बल्कि पूरे मीडिया के अंदर यह खबर छपी और सरकार ने उस अधिकारी को ट्रांसफर भी किया। जो भी मैंने बात कही है वह सारी-की-सारी डॉक्यूमैंटरी है। जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उस व्यक्ति का नाम लिया जाए तब जाकर ही मैंने व्यक्ति का नाम लिया अन्यथा नाम लेने में मेरी कोई रुचि नहीं थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की बात ये कर रहे हैं आज "सौ चूहे खाकर बिल्ली हज़ को चली" इस तरह की बात करना सर्वथा अनुचित है। ...(व्यवधान)।

Speaker: I will not allow now. काफी हो गया।

26.08.2016/1225/RKS/DC/2

डॉ0 राजीव बिन्दल: माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो मेरे ऊपर पर्सनल एलिगेशन्ज़ लगाए हैं, ये उन्हें अप्रूव करें या तो इन बातों को एक्सपंज किया जाए। यह बिल्कुल गलत है, निराधार है मेरा कोई बिज़नैस नहीं है और न ही मैं किसी प्रकार का व्यापार करता हूं। मैं केवल चिकित्सा कार्यकर्ता था और केवल सामाजिक काम करता हूं। इसके अलावा मैं कोई काम नहीं करता हूं।

26.08.2016/1225/RKS/DC/3

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

अध्यक्षः आज गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस है, अब श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी सदन में संकल्प प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद इस संकल्प पर चर्चा होगी।

श्री गुलाब सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में जो तरखान जाती के लोग हैं वे एस.सी का दर्ज़ा न मिलने की वजह से एक बहुत बड़े अन्याय का सामना कर रहे हैं, उस विसंगती के निराकरण के लिए यह महत्वपूर्ण संकल्प मैं इस माननीय सदन में लाया हूं। मैं आशा करता हूं कि इस विसंगती को दूर करने के लिए जो तरखान जाति के साथ हुई है, यह माननीय सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य इसमें अपनी सहमति प्रकट करेंगे। सरकार भी इसमें अपनी सहमति प्रकट करेगी

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

26.08.2016/1230/SLS-AG-1

श्री गुलाब सिंह ठाकुर ....जारी

क्योंकि यह जाति संबंधी मामला है और काफी संवेदनशील होता है। इसमें जब कई प्रकार के तर्क-वितर्क किए जाएं, अगर उनमें कोई गलत शब्द निकल जाए तो उसका कोई दूसरा अर्थ भी निकाला जा सकता है। इस संवेदनशील मसले को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने विचार लिखकर रखे हैं और लिखे हुए विचार मैं इस माननीय सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं जो इस प्रकार से हैं - प्रदेश में पिछड़ी जाति को उनके आर्थिक-सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से संविधान में आरक्षण और विकास में प्राथमिकता के प्रावधान किए गए हैं ताकि संबंधित जातियों का समयबद्ध तरीके से विकास सुनिश्चित हो सके। प्रदेश में

लोहार जाति अनुसूचित जाति में शामिल है तथा तरखाण जाति, जो कि हर लिहाज से लोहार जाति के अनुरूप व्यवसाय तथा आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक पिछड़ेपन को झेल रही है, उसको अनुसूचित जाति की श्रेणी से बाहर रखी गई है। वह अन्य पिछड़ावर्ग यानी ओ.बी.सी. में शामिल है। इस विसंगति के कारण वह जाति अनुसूचित जाति के लाभों से भी वंचित है तथा इस विसंगति को वह अपने साथ अन्याय मान रही है। तरखाण जाति की भी लोहार जाति की तरह अनुसूचित जाति में शामिल होने की मांग लगातार आ रही है। इस संबंध में कुछ तथ्य इस माननीय सदन के समक्ष रखना चाहूंगा जो इस प्रकार हैं - तरखाण जाति जो कि अधिकतर कांगड़ा व मण्डी जिलों में है, पिछड़ी जाति में शामिल की गई है। वैसे तो आज हिमाचल प्रदेश के सभी भागों में तरखाण जाति के लोग हैं तथा दूसरे जिले, जैसे बिलासपुर, हमीरपुर में भी यह अनुसूचित जाति में लोहार जाति के रूप में शामिल है। यह जाति, जिसकी परंपरा समानता आर्थिक व सामाजिक स्तर पर स्थापित भी है, किन्हीं अज्ञात कारणों या प्रशासनिक भूल के कारण; मैं समझता हूं कि इसमें प्रशासनिक भूल बहुत हुई है, जिन्होंने यह सूची ड्राफ्ट की, वहीं आर्टिकल्ज में, सूची में इसकी प्रशासनिक भूल हुई है जिसके कारण यह जाति अपने वास्तविक अधिकार से वंचित रही है। सारे प्रदेश में तरखाण जाति की जनसंख्या 50-60 हजार के लगभग है। तरखाण जाति के समकक्ष लोहार जाति प्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों में विद्यमान है तथा इन दोनों जातियों का आर्थिक-सामाजिक स्तर तथा

26.08.2016/1230/SLS-AG-2

सांस्कृतिक विधाएं व कार्यक्लाप हर लिहाज से एक जैसे हैं। सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं के अंतर्गत भी इन दोनों जातियों को समाज द्वारा एक दृष्टि स्तर पर रखा गया है व इनका कार्यक्षेत्र व पेशा हर लिहास से एक ही है। परंतु मात्र तरखाण व लोहार के नाम में भिन्नता के कारण लोहार अनुसूचित जाति में शामिल है व प्रत्येक सुविधा के पात्र हैं जो कि अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं। वह इन सुविधाओं का पूरा-पूरा लाभ ले रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत तरखाण जाति ओ.बी.सी.

श्रेणी में शामिल है तथा उन लाभों और विकास के प्रावधानों से वंचित रह गई है जो अनुसूचित जाति को उपलब्ध हैं। इन दोनों जातियों का आपस में शादी-विवाह, रीति-रिवाज का अभिन्न रिश्ता भी है तथा आर्थिक रूप से एकरूपता है क्योंकि दोनों जातियां लोहा और लकड़ी की कारीगरी व इमारती कार्यों में समान रूप से जुड़ी हुई हैं। अतः इनका आर्थिक स्तर भी आपस में एक प्रकार का है। इस प्रकार दोनों जातियों की आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक एकरूपता के अनुसार इन्हें सरकार द्वारा एक स्तर पर रखना चाहिए और तरखाण जाति को भी अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु भारत सरकार को इस माननीय सदन द्वारा प्रस्ताव भेजना अति आवश्यक है ताकि इस विसंगति का निराकरण हो सके। मैं इस माननीय सदन में कहना चाहूंगा कि हमारे अपने गांव में ही ऐसे परिवार है

जारी .... श्री गर्ग जी

26/08/2016/1235/RG/AG/1
श्री गुलाब सिंह ठाकुर------क्रमागत

जो एक ही परिवार के दो भाई हैं। एक अपने आगे 'लोहार' लगाता है वह तो अनुसूचित जाति में आ जाता है और जो दूसरा भाई 'तरखान' लगाता है, वह अन्य पिछड़ी जाति में है। तो यह एक बहुत बड़ी विसंगति आ गई है। इसके निराकरण के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। इसलिए मैं इस सदन से अनुरोध करुंगा, इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां बैठे हैं कि तरखान जाति जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर लोहार जाति के समकक्ष है इसलिए इस जाति को भी लोहार जाति की तरह अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखना अत्यन्त आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं इस माननीय सदन से अनुरोध करता हूं कि इसके अनुमोदन हेतु मैं अपना संकल्प इस माननीय सदन में रखना चाहूंगा। इसमें अधिक तर्क देने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। क्योंकि जो शब्दावली होनी चाहिए वही विवरण मैंने यहां प्रस्तुत किया है। आप पर हम कोई दोषारोपण करें या किसी और पर करें, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपना संकल्प

प्रस्तुत करता हूं कि 'यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में एक ही समुदाय व व्यवसाय से जुड़े तरखान जाति (OBC) को लोहार जाति की तर्ज पर अनुसूचित जाति (SC) में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाए ।' धन्यवाद।

समाप्त

26/08/2016/1235/RG/AG/2

अध्यक्ष : इस संकल्प पर कुछ सदस्यों ने भी बोलने के लिए अपने नाम दिए हैं। इसमें श्री कुलदीप कुमार जी बोलना चाहते हैं। इसलिए मैं उनसे कहूंगा कि वे चर्चा में भाग लें।

श्री कुलदीप कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी ने यहां रखा है जोकि 6-4-2016 को रखा गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से डेफर होकर आज यह लिस्ट हुआ है। आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है। एक ही परिवार में एक दीवार सी पैदा हो गई है। जबकि लोहार और तरखान जाति एक ही परिवार के सदस्य हैं। अगर पिछला राजस्व रिकॉर्ड भी निकाला जाए और इसका रिकॉर्ड एक धीमान कल्याण सभा है उसके पास पूरा इसका राजस्व रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। एक ही बाप के दो बेटे थे उनमें से एक ने लोहार का काम करना शुरू कर दिया और दूसरे ने तरखान का काम शुरू कर दिया, लेकिन वे एक ही बाप के दो बेटे थे यानि कि वह एक ही परिवार था। जैसे-जैसे यह आगे बढ़ता गया, लोहार अनुसूचित जाति में आ गए, तो वहां एक विसंगति रह गई। लोहार और तरखान एक ही जाति के लोग हैं, रोटी-बेटी का इनका संबंध है और शादियां भी होती हैं। एक परिवार में हमारे घर में ही दो किस्म के लोग हैं। अगर आप इसको इन्टर कॉस्ट मैरिज में लें, तो इन्टर कॉस्ट मैरिज भी सरकार इनको नहीं मानती है। यदि वे इन्टर कॉस्ट मैरिज के लिए क्लेम करते हैं, तो सरकार इसको भी नहीं मानती है और कहती है कि आपकी एक ही जाति है।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के ही ऊपर के इलाके में जो तरखान है, बढ़ई, बादी इस तरह से हैं, इनका नाम है जोकि अनुसूचित जाति में हैं, लेकिन जो हमारे जिला हमीरपुर,

ऊना और कांगड़ा के लोग हैं वहां पर यह विसंगति रह गई है और वह अभी तक चली आ रही है।

अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मुख्य मंत्री जी केन्द्र में स्टील मंत्री थे, तो इन्होंने काफी मदद की थी। हम लोग वहां गए और धीमान कल्याण सभा के लोग वहां गए। उस समय श्री मुकुल वासनिक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हुआ करते थे उन्होंने भी हमारी आवाज सुनी।

जारी **एम.एस. द्वारा जारी**

26/08/2016/1240/MS/DC/1

श्री कुलदीप कुमार जारी-----

हमारा डेपुटेशन पूरा था और उसके बाद जो रजिस्ट्रार जनरल थे उनके पास हमें भेजा। वहां भी यह मामला उठाया गया लेकिन किन्हीं तकनीकी कारणों से यह वहां से रिजैक्ट हो गया और उन्होंने कोई क्वायरीज लगा दी। मैं यही कहना चाहूंगा जैसे गुलाब सिंह जी ने कहा और सरकार की भी मंशा है कि यह विसंगति जो एक ही परिवार में खड़ी हो गई है जैसे जब यह लोहार शब्द आया था तो उसमें लोहार और तरखान दोनों ही के लिए एक शब्द आना चाहिए था। जैसे ऊपर के हिमाचल में बाडी और बढ़ई जो एक ही काम यानी तरखान का काम करते हैं वे अनुसूचित जाति में हैं वैसे ही इनके लिए भी होना चाहिए था क्योंकि ये भी दो भाइयों का मामला है इसलिए इनको भी एक ही जगह लोहार की तरह अनुसूचित जाति में रखा जाए। मैं इतना ही कहते हुए इस संकल्प का समर्थन करता हूं और सरकार से भी निवेदन करता हूं कि केन्द्र सरकार को यह संकल्प पास करके भेजा जाए। धन्यवाद।

अध्यक्षः श्री ईश्वर दास धीमान जी भी कुछ बोलना चाहेंगे?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, जो यह संकल्प आया है सरकार इससे सहमत है और इसको पास कर दिया जाएगा। इस पर आगे चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है।

अध्यक्षः धीमान साहब, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि यह संकल्प हमें स्वीकार है और हम इसको पारित करके केन्द्र को भेज देंगे। इसमें चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसके विरूद्ध कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। अगर विरोध में नहीं बोलना चाहते हैं तो रहने दीजिए।

मुख्य मंत्रीः अगर माननीय सदस्य इसके विरूद्ध बोलना चाहते हैं तो बेशक बोल लीजिए।

26/08/2016/1240/MS/DC/2

श्री ईश्वर दास धीमानः अध्यक्ष महोदय, यह संकल्प जो पिछले सत्र में आदरणीय गुलाब सिंह जी ने प्रस्तुत किया था लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाई थी, उस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा। यानी जो यह भेदभाव हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा।

अध्यक्ष जी, मैं पंजाब की बात करूंगा। पंजाब में लोहार और तरखान एक ही परिवार से संबंध रखते थे और इनका रोटी और बेटी का साथ है। मैं अगर अपना स्वयं का उदाहरण दूं तो मेरी बड़ी बेटी तरखान के घर में है और छोटी बेटी लोहार के घर में है। एक बेटी के परिवार को आरक्षण का लाभ मिल रहा है और दूसरी बेटी के परिवार को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। इसी विधान सभा में आदरणीय कुलदीप सिंह जी को पता है कि यह विषय पहले भी दो बार चर्चा के लिए आया है और हमने उसमें भाग भी लिया है और संकल्प केन्द्र में भी गया है। हम इसका पीछा भी करते रहे हैं लेकिन कारणों का ही पता नहीं चलता कि किन कारणों से इस बात को सुना नहीं जा रहा है। शाह कमीशन जो वर्ष 1966 में आया उसने पंजाब के कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में मिलाया और हिमाचल प्रदेश में जब पंजाब के वे क्षेत्र मिले तो ये लोहार-तरखान भी हिमाचल प्रदेश में आ गए। होता यह था कि हिमाचल प्रदेश में लोहारों को आरक्षण का लाभ मिलता था और पंजाब में नहीं मिलता था। यदि कांगड़ा जिला का कोई व्यक्ति सिरमौर में जाकर बस जाता है और वह भी इस अपने अधिकार (आरक्षण)को मांगता है तो उसको इन्कार हो जाता है और कहा जाता है कि यह आरक्षण केवल लोहार जाति को ही जो पहले यहां के हैं उनको ही मिलेगा। इसलिए उसे कोर्ट में जाना पड़ा और शायद जो संबंधित लोग हैं जिनमें आदरणीय कुलदीप जी हैं, मनोहर जी हैं या दूसरे लोग हैं इनको पता होगा कि फिर जाती-जाती बात

यह सुप्रीम कोर्ट तक गई। वर्ष 1977 में यह फैसला हुआ कि पंजाब के जितने भी लोहार जाति के लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश में मिले हैं उन्हें भी यह आरक्षण का लाभ दिया जाए और उसके बाद हमें यह आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हुआ। लेकिन इसमें विसंगति यह थी,

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

26.08.2016/1245/जेके/एजी/1

श्री ईश्वर दास धीमानः-----जारी----

कि लोहार अलग थे और तरखान अलग थे। वे लकड़ी और लोहे का काम पहले इकट्ठे करते थे। जब यह काम जुदा-जुदा करने लगे तो जो लोहे का काम करता था उसको लोहार का नाम दे दिया और जो लकड़ी का काम करता था उसको तरखान का नाम दे दिया लेकिन यह परिवार एक है। यह समुदाय एक है। इनकी रिश्तेदारियां आपस में है। आर्थिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी समाज यह मानता है,समाज की नज़र में भी जो ये दो जातियां अलग-अलग कही जाती हैं ये एक ही जाति है। यह विडम्बना है कि लोहार जाति को आरक्षण का लाभ मिल रहा है और तरखान जाति उससे वंचित है। इसलिए मेरी आपसे पुरजोर अपील है कि आदरणीय ठाकुर गुलाब सिंह जी ने बहुत सामायिक विषय उठाया है। पहले भी कोशिश करते रहे हैं और इन्होंने भी कोशिश की है। मैं भी इसमें अपने आपको शामिल करता हूं, जिस तरह से इसमें कुलदीप जी शामिल हुए। मैं सदन से यह अनुरोध करता हूं, मुख्य मंत्री महोदय यहां पर बैठे हुए हैं इनसे भी अनुरोध करता हूं। यह जबरदस्ती विसंगति हुई है। यह उन लोगों के साथ अन्याय है जो हजारों की तादाद में इस आरक्षण से वंचित है। इसमें कोई अड़चन नहीं है केवल एक समझ की बात है कि पंजाब के लोग लोहार व तरखान की शक्ल में जो हिमाचल प्रदेश में आए उनमें से लोहारों को यह लाभ मिल गया, लेकिन तरखानों को यह लाभ नहीं मिला और आरक्षण से वह समुदाय वंचित हो गया। इसलिए मेरी भी यह पुरज़ोर अपील सरकार से है कि इसे

ठीक ढंग से केन्द्र तक पहुंचाया जाए और वहां पर इसको फॉलो किया जाए। पहले भी कोशिश होती रही है, लेकिन उसमें वह कामयाबी नहीं मिली है, परन्तु मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार जो गुलाब सिंह जी ने यह प्रस्ताव रखा है यह कामयाबी वहां से मिलेगी और तरखानों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में भी यह लाभ मिलना शुरू होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

26.08.2016/1245/जेके/एजी/2

अध्यक्षः श्री मनोहर धीमान जी।

श्री मनोहर धीमानः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो ठाकुर गुलाब सिंह जी ने प्रस्ताव इस सदन में रखा है, मैं भी अपने आपको उसमें शामिल करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ तथ्य लाया था, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले ही पारित करने का आश्वासन दे दिया है। मैं इस सदन का और माननीय मुख्य मंत्री जी का अपनी ओर से और सारे समुदाय की ओर से धन्यवाद करता हूं।

26.08.2016/1245/जेके/एजी/3

अध्यक्षः तो यह जो प्रस्ताव इस माननीय सदन में ठाकुर गुलाब सिंह जी के द्वारा प्रस्तुत हुआ था इसके लिए चर्चा में ऐसा लगा कि श्री कुलदीप कुमार, श्री आई0डी0 धीमान और श्री मनोहर धीमान इस प्रस्ताव से सहमत है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी खुद सरकार की सहमति इस सदन ज़ाहिर की है। अब मैं इस प्रस्ताव को आपके समक्ष पास करने के लिए पेश करता हूं।

तो प्रश्न यह है कि यह सदन सिफारिश करता है कि प्रदेश में एक ही समुदाय व व्यवसाय से जुड़े तरखान जाति (OBC) को लोहार जाति की तर्ज़ पर अनुसूचित जाति (SC) में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

यह प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार कर लिया है। आप सभी को मुबारकवाद। गुलाब सिंह जी आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी---

26.08.2016/1250/SS-DC/1

अध्यक्ष क्रमागतः

अब दूसरा संकल्प ठाकुर महेन्द्र सिंह जी का है। तो मैं श्री महेन्द्र सिंह जी से अपना संकल्प प्रस्तुत करने के लिए कहूंगा।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुझे कम-से-कम एक घंटा लगेगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मैं अपना संकल्प प्रस्तुत कर देता हूं और इस पर लंच के बाद चर्चा कर लेंगे।

अध्यक्षः लंच दो बजे कर लेंगे।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं तो लंच खाता नहीं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।

अध्यक्षः वैसे यह लास्ट आइटम है। जैसे माननीय सदन की अनुमति हो, आप इसे प्रस्तुत कर दीजिये और लंच के बाद इस पर चर्चा होगी।

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है जो पूरे प्रदेश के किसानों और बागवानों से जुड़ा हुआ है। प्रदेश के बागवानों और किसानों की फसलों को, उनके फलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली जानवरों में जिनमें मुख्यतः बंदर, सुअर, नील गाय, आवारा पशु हैं और इसके अलावा पक्षी हैं। पक्षियों में भी बहुत पक्षी हैं। मैं सबसे पहले अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन सरकार से मांग करता है कि प्रदेश में जंगली जानवरों/आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान की रोकथाम के लिए एक वृहद योजना बना कर वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार को भेजी जाए।

अध्यक्षः तो संकल्प प्रस्तुत हुआ कि यह सदन सरकार से मांग करता है कि प्रदेश में जंगली जानवरों/आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान की रोकथाम के लिए एक वृहद योजना बना कर वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार को भेजी जाए। इस संकल्प के लिए 45 मिनट निर्धारित किये गए हैं। अब लंच का समय हो रहा है। तो मैं सदन से कहूंगा कि लंच के बाद तुरन्त इस पर चर्चा करेंगे। संकल्प को लेंगे।

अब इस मान्य सदन की बैठक लंच के लिए 2:00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

26.08.2016/1400/केएस/एजी/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत अपराह्न 1400 बजे पुनः आरम्भ हुई)

Speaker: Presence is thinning towards the end of the Session. श्री महेन्द्र सिंह जी ने अपना संकल्प प्रस्तुत कर दिया है। मैं उनसे आग्रह करुंगा कि वे संक्षेप में अपनी बात रखें क्योंकि इसके लिए 45 मिनट निर्धारित हुए है । और भी बोलने वाले हैं इसलिए निवेदन है कि आप संक्षेप में बोलें।

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, संकल्प तो मैंने पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। हम सभी जितने भी चुने हुई नुमाइंदे यहां पर बैठे हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखते हों या शहरी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हों, आज एक ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर पैदा हो चुकी है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें बन्दरों का बहुत ज्यादा प्रकोप हो चुका है और हम महसूस कर रहे हैं कि इनकी संख्या निरन्तर जिस प्रकार से बढ़ रही है, अगर इस संख्या को कम करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए, कोई नीति नहीं बनाई गई,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

26.8.2016/1405/av-ag/1

श्री महेन्द्र सिंह----जारी

कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया गया प्रदेश सरकार की तरफ से जिसमें प्रदेश सरकार और जनभागिता हो। बंदरों की संख्या के बारे में इस हाऊस के बीच में बहुत बार अलग-अलग

संख्याओं का जिक्र किया गया है। यहां पर वन मंत्री जी बैठे हैं। बंदरों की गणना वर्ष 2005 में की गई थी जो कि उस वक्त 3.17 लाख थी। उसके बाद वर्ष 2013 में फिर गणना की गई और आंकड़ा घटकर 2.26 लाख तक आया। वर्ष 2015 में दोबारा गणना की गई और आंकड़ा उससे भी घटकर 2.7 लाख पर पहुंचा है। इसी विधान सभा के अंदर एक प्रश्न बंदरों की गिनती के बारे में लगा था। उस गिनती के अनुसार प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को एक पत्र लिखा कि हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर इन-इन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इतने-इतने बंदर हैं। उन सारे आंकड़ों को जब जोड़ दिया गया तो बंदरों की संख्या 2,89,990 निकली, यह संख्या यहां लगे प्रश्न के उत्तर में आई है। मैं यह नहीं कहता है कि यह ठीक है या गलत है। लेकिन अगर हम अपने दिल से पूछें तो मुझे लगता है कि बंदरों की संख्या जो वर्ष 2005 में 3.17 लाख थी वह संख्या आज बढ़कर लगभग 10 लाख तक पहुंच गई होगी। आज पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि जो स्कूल गोईंग बच्चे हैं, वह चाहे ग्रामीण क्षेत्रों के हों या शहरी क्षेत्रों के हों; उन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए घर के किसी-न-किसी बड़े सदस्य को साथ जाना पड़ता है। उनको अब स्कूल ले जाने और लाने के लिए घर से किसी एक आदमी की आवश्यकता पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्र में एक और समस्या पैदा हो गई है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के बंदर पुरुषों से तो कुछ डरते हैं लेकिन महिलाओं से बिल्कुल नहीं डरते तथा महिलाओं के ऊपर प्रहार करते हैं। बंदरों ने कितने लोगों को काट दिया वह आंकड़े माननीय वन मंत्री महोदय के पास है। ऐसा नहीं है कि वह इनकी वजह से है या सरकार की वजह से है या फिर किसी और की वजह से है। ग्रामीणक्षेत्रों में बंदरों की संख्या बढ़ी है और संख्या बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि हमारे जो गांव के किसान थे,

श्री टी0सी0 द्वारा जारी

26/08/2016/1410/TCV/AS/1

श्री महेन्द्र सिंह जी -- जारी ।

जो अपने खेतों में काम करते थे, अब उन्होंने खेती करनी छोड़ दी है। इसका सबसे बड़ा कारण रहा है, बंदरों की बढ़ती संख्या और बंदरों का उत्पात। वे (बन्दर) झूण्डों में आते हैं। पहले एक बंदर आएगा, वह पूरे क्षेत्र की रैकी करेगा और जैसे ही वह पूरे क्षेत्र की रैकी करेगा, उसके उपरान्त वह एक छोटा सा इशारा करता है। उस छोटे-से इशारे के उपरान्त उनकी पूरी टीम /गिरोह 5 मिनट के अन्दर वहां पर पहुंच जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर स्लेटपोज़ मकान हैं। बन्दरों ने अब एक नई तकनीक शुरू कर दी है। वे छप्पर के ऊपर आ करके स्लेटों को हटाते हैं। कहीं 10-20 या 12-24 का स्लेट हैं, उनको हटाते हैं और ऊपर से घर के अन्दर घूस जाते हैं। उसके उपरान्त जो भी घर के अन्दर मिले उसको तहस-नहस करके चले जाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक किसान कहां-कहां पहरा करें। अगर वह खेत में पहरा करता है, तो घर लूट जाता है, यदि वह घर का पहरा करता है तो खेत बर्बाद हो जाता है। आज ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश के अन्दर बन्दरों की संख्या बढ़ने की वज़ह से पैदा हो चुकी है। मेरा यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। मैं आज देख रहा था कि कुछ दूसरे लोगों के भी यहां ऐजीटेशन हो रहे हैं। आज बंदर, सुअर, नीलगाय, आवारा पशु और पक्षी, कितने जंगली जानवर एक किसान के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। अगर हम इनको पकड़ने/रखने का कोई ठीक स्थान नहीं ढूंढेंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब लोग खेती करना पूरी तरह से छोड़ देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करना चाहूंगा, मेरे चुनाव क्षेत्र में लगभग 40-50 किलोमीटर तक का एरिया, रखोह से लेकर आवाहदेवी, आवाहदेवी से टिहरा और टिहरा से संधोल तक के क्षेत्र में लोगों ने एक भी खेत नहीं बीज़ा हुआ है। यहां पर राजस्व मंत्री नहीं है। राजस्व विभाग द्वारा हर वर्ष गिरदाव़री होती है। उसमें पटवारी, गिरदावर और जो वहां का कंसर्निंग तहसीलदार है, वह भी जाता है। माननीय वन मंत्री जी मेरा आपसे निवेदन है, आपने जो आंकड़े उन क्षेत्रों को लेकर भारत सरकार को भेजे हैं कि यहां पर ज्यादा बंदर हैं। मैं आपके आंकड़ों के मुताबिक आपसे निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि आपकी तरफ़ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास इतना स्टॉफ़ ही नहीं है। आप बंदरों की गिनती कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपको सबसे सुगम मैथ्ड अपनाना है तो राजस्व विभाग के जो पटवारी और कानूनगोह हैं, आप उनसे रिकार्ड मंगवाईये और पता लगाईये कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसी कितनी कृषि/बागवानी भूमि है, जिसमें पहले किसान कृषि बीजता था लेकिन अब उसने कृषि बीजना बंद कर दिया है। उससे आपको पता चलेगा कि आज कितनी हैक्टेयर

26/08/2016/1410/TCV/AS/2

भूमि हिमाचल प्रदेश के अन्दर बंजर पड़ चुकी है। इसके बंजर पड़ने का सबसे बड़ा कारण बंदर है। आपने जो आंकड़े भारत सरकार को भेजे हैं, हम उसमें भी निवेदन करना चाहते हैं। आपने जो आंकड़े भेज दिए, चलो वे तो भेज दिए।

श्रीमती नीना सूद द्वारा जारी ----

26/08/2016/1415/NS/AS/1

श्री महेन्द्र सिंह द्वारा------- जारी।

लेकिन जो भारत सरकार से आपको 38 या 39 क्षेत्रों के लिए अनुमति मिली है कि वहां के बन्दरों को वर्मिन घोषित किया गया है। आपको वहां के बन्दरों को मारने की इज़ाज़त मिली है। आज प्रदेश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि अगर हम क्लवबोर गन्ज़ का लाईसैंस मांगते हैं तो लाईसैंस नहीं मिलता है। इन बन्दरों को कौन मारेगा? आपको एक साल की अनुमति तो मिल गई है लेकिन एक साल की अनुमति मिलने के बाद भी इन बन्दरों को कौन मारेगा? जो वर्मिन घोषित हुए हैं, उनकी पहचान कौन करेगा? मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जो आपने 38 या 39 तहसीलें आइडैंटिफाईड की हुई हैं और आपका जो आइडैंटिफाई करने का तौर-तरीका रहा है, मैं उस तौर-तरीके पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूं। मैं यह चिन्ह इसीलिए लगा रहा हूं कि आपने जो कुल्लू ज़िला के क्षेत्र आइडैंटिफाई किये हैं, जहां ज्यादा बन्दर थे आपने उन एरियाज़ को तो छोड़ दिया और जहां कम बन्दर थे, उन क्षेत्रों को शामिल कर लिया। उदाहरण के रूप में, अगर मैं सोलन क्षेत्र की बात करूं तो आपने सुबाथू में 3426 बन्दर दर्शाएं हैं। सोलन में 3944 बन्दर, नालागढ़ में 128 बन्दर दर्शाए हैं। आप खुद ही अन्दाज़ा लगाएं कि जिस क्षेत्र में आपने 128 बन्दर दर्शाए हैं और जहां चार-चार हज़ार बन्दर थे, उस क्षेत्र को आपने छोड़ दिया तथा 128 बन्दरों वाले क्षेत्र को ले लिया। इसी प्रकार से अगर आप देखें कि कुल्लू के जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बन्दर हैं, वह आनी का क्षेत्र है। आनी में 5601, निथर में 3196 बन्दर हैं। आपने

सैंज का क्षेत्र लिया जिसमें 947 बन्दर हैं। आपने उस क्षेत्र को वंचित कर दिया, जहां बन्दर ज्यादा थे और जिस क्षेत्र में कम बन्दर थे, उसको आपने इसमें डाल दिया। मैं आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप पूरे प्रदेश के वन मंत्री हैं। जब सूर्य भगवान की किरणें इस ब्रम्हांड पर पड़ती हैं तो वे एक-समान पड़ती हैं। जब किसी देश या प्रदेश में किसी पार्टी की सरकार बनती है तो वह पूरे देश की सरकार होती है और मंत्री पूरे प्रदेश का होता है। आप अपने क्षेत्र के लिए 19-21 कर लो लेकिन ऐसा मत करो कि आप उन क्षेत्रों को वंचित ही कर दो जहां सबसे ज्यादा बन्दर हैं। आपने तहसीलों की बात की। आपने कहा कि हमने तहसीलों को ही आइडैंटिफाई किया हुआ है और उन तहसीलों में

26/08/2016/1415/NS/AS/2

हमारे मण्डी ज़िला की सिर्फ एक तहसील ली है और वह तहसील सुन्दरनगर है। आपके फोरैस्ट की गिनती में सुन्दरनगर शामिल ही नहीं है। यह आपका जवाब है, इसमें सुन्दरनगर नहीं है, इसमें सुकेत है। सुकेत में बन्दर कम हैं। हमारे क्षेत्रों में इतने ज्यादा बन्दर हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं है और आपने उन क्षेत्रों को छोड़ दिया है। हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना रहेगी कि अगर आपने एक फेज़ को भारत सरकार से स्वीकृत करवाया है तो ऐसा नहीं है कि यह एक एंडलैस काम हो गया है। आप द्वितीय चरण में जो-जो क्षेत्र पूरे प्रदेश में बच चुके हैं, उनको शामिल करें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप धर्मपुर को शामिल करें, बल्कि पूरे प्रदेश में जो क्षेत्र बच गए हैं और जहां ज्यादा बन्दर हैं उनको द्वितीय फेज़ में शामिल करें। आपने 38 क्षेत्रों को वर्मिन घोषित करवा दिया लेकिन वहां पर बन्दरों को मारने वाले कोई नहीं हैं। वहां पर कोई शूटर नहीं है। उन क्षेत्रों को वर्मिन घोषित करवाने का कोई फायदा नहीं है।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

26.08.2016/1420/RKS/DC/1

श्री महेन्द्र सिंह...जारी

मेरी आपसे प्रार्थना है कि जिस क्षेत्र को आपने आइडंटिफाई करवा लिया है वहां आप शूटर भेजने की कृपा करें ताकि उस क्षेत्र के किसान को राहत मिल सके। आपने प्रश्न के जवाब में बताया है कि बन्दरों द्वारा इन्सानों के काटने के 1887 मामले हैं। बंदर का काटना और कुत्ते का काटना एक समान होता है। इसके लिए जो इंजैक्शन लगता है वह कॉस्टली होता है और स्वास्थ्य विभाग कहता है कि हम इसका खर्चा नहीं उठा सकते। वन विभाग वाले कहते हैं कि खेतों में काटा है और कृषि विभाग कहता है कि यह हमारा काम नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति को काटा है वह अपना दर्द किसके पास लेकर जाए? माननीय वन मंत्री और माननीय कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। भले ही स्वास्थ्य मंत्री यहां नहीं बैठे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि किसी एक विभाग की ड्यूटी लगाई जाए ताकि जिस व्यक्ति को भी बंदर काटे, चाहे वह शहर हो, खेत हो या वन हो, उसका पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी।

पिछले कल अखबार में खबर छपी थी कि "12 वोल्ट का झटका बंदरों को भगाएगा खेत से दूर"। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले सत्र में भी सौर ऊर्जा की बात कही थी। उत्तराखंड में कोई ऐसी नई तकनीक निकली है कि सौर ऊर्जा से जो बिजली पैदा होगी, उस बिजली का कनैक्शन खेत की बाड़-बंदी के लिए दे दिया जाएगा और जैसे ही कोई पशुधन उस बाड़-बंदी के साथ छुएगा तो उसे झटका लगेगा और वह पशु वहां से भाग जाएगा। मुझे इसकी कॉस्टिंग के बारे में मालूम नहीं है परन्तु मैं अखबार के माध्यम से पढ़ रहा था कि आप इसमें 60 प्रतिशत सब्सिडी देंगे और 40 प्रतिशत खर्चा किसान स्वयं करेगा। 40 प्रतिशत खर्च करने के बावजूद क्या उस खेत में इतनी आमदनी हो पाएगी कि किसान उस खेत से बीज और मजदूर का खर्चा निकाल पाएगा? किसान को भी तो कुछ बचना चाहिए। अगर किसान को कुछ बचता है, तब तो ठीक है। अगर इसकी कास्टिंग इतनी ज्यादा होगी कि किसान को कुछ बचेगा ही नहीं तो बाड़-बंदी लगाने से क्या फायदा। गांव में बहुत ज्यादा

26.08.2016/1420/RKS/DC/2

पेड़ लगे हुए हैं और बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा कर खेतों के अंदर घुस जाते हैं। बाड़-बंदी की ऊंचाई 6 फुट से ज्यादा नहीं हो सकती और बंदर ऊपर-ऊपर से ही, जहां उन्हें फसल दिखेगी, वहां अटैक कर देंगे। मैं यह सारी बातें माननीय कृषि मंत्री और वन मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यदि इस योजना को हिमाचल प्रदेश सरकार लागू करने की तरफ बढ़ रही है तो इसकी प्रति हैक्टेयर, प्रति एकड़ और प्रति बीघा कॉस्टिंग निकाली जाए फिर इसका आक्कलन किया जाए कि क्या यह योजना हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू की जा सकती है? क्या किसान इस योजना को मानने के लिए तैयार है या नहीं? बंदरों और आवारा कुत्तों के कारण हर जगह पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। सरकाघाट बाजार में आवारा कुत्तों की एक ऐसी टीम बनी है कि रात को अगर कोई सड़क पर आएगा तो वे कुत्ते उसे नौंच देंगे। इन आवारा कुत्तों को कौन सा विभाग देखेगा? इन्हें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग देखेगा या वन विभाग देखेगा, यह हमें मालूम नहीं है। हम तो सरकार के समक्ष अपनी बाते रख रहे हैं। आदरणीय श्री महेश्वर सिंह जी ने आवारा कुत्तों के ऊपर एक प्रश्न लगाया था और बड़े विस्तार से इसके बारे में पूछा था। आवारा कुत्तों की संख्या कितनी है, इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, परन्तु एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि लगभग 78 हजार आवारा कुत्तों की गिनती हिमाचल प्रदेश में की गई है।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

26.08.2016/1425/SLS-DC-1

श्री महेन्द्र सिंह....जारी

अगर यह संख्या 78,000 हो तो क्या होगा?

आदरणीय अध्यक्ष जी, अब आवारा कुत्तों और बंदरों में दोस्ती हो गई है। वह समय अब चला गया है जब कुत्ते बंदरों को भगाते थे। अब ये एक-दूसरे को छेड़ते तक नहीं हैं। कुत्ता बैठा रहेगा और बंदर अपना काम करता रहेगा। ...(व्यवधान)... राजनीतिक पार्टियों की भी दोस्ती हो जाती है लेकिन वह इस हाऊस से बाहर होती है, अंदर नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन रहेगा कि इस ओर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 1978 में बंदरों के निर्यात पर पावंदी लगी थी। लेकिन बंदरों को पकड़ कर इनको एक्सपोर्ट करने की बात होनी चाहिए। हमारा यह प्रस्ताव विशेषकर इसी बात को लेकर है कि बंदरों की एक्सपोर्ट पर 1978 में जो पावंदी लगी थी, उसे हटाया जाना चाहिए। वर्ष 2004-05 में भी यू.एस.ए. से डिमांड आई थी। जो मुझे छोटा-मोटा ज्ञान है, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि उन्होंने एक अच्छे साईजेबल अमाऊंट के रूप में एक बंदर की कौस्ट कही थी। इसलिए हम इस तरफ विशेष ध्यान दें। यह प्रस्ताव इसीलिए ही लाया गया है अन्यथा यह काम प्रदेश सरकार के बस से बाहर है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश सरकार इस सारे काम को करने में सक्षम है। हम इसलिए कहते हैं कि इस कृषि भूमि को बचाने के लिए, बागवानी भूमि को बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार; वह चाहे आपकी हो या कल को हमारी हो, सरकार इस योग्य नहीं है कि वह इस बोझ को उठा सकें। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि बंदरों के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगा है, हम उसके लिए भी सर्वसम्मति से भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजें कि इस एक्सपोर्ट की पावंदी को हटाया जाए ताकि हम इनको पकड़ कर बेच सकें और इस तरह हमारी धार्मिक भावनाएं भी आहत न हों तथा प्रदेश को भी इससे कुछ-न-कुछ धनराशि मिलती रहे।

26.08.2016/1425/SLS-DC-2

ग्रामीण विकास मंत्री यहां पर बैठे हैं। इधर से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कई बार निवेदन किया गया है और मेरा आपसे फिर निवेदन है कि हम एक प्रयास करें कि मनरेगा

में जो लैंड डवलपमैंट है, भूमि सुधार का काम है, भूमि सुधार के इस काम में बंदरों को भगाने के लिए राखे रख दिए जाएं। मैं समझता हूं कि उसमें कोई बुराई नहीं है। आपने कोशिश की होगी लेकिन कुछ चीजें दिखाने की नहीं होती कि भारत सरकार से ही आपको परमीशन मिलेगी। आप अपने आप भी निर्णय ले लिया करो; जनहित में निर्णय ले लिया करो कि जहां-जहां मनरेगा के मस्ट्रौल लगे हैं वहां यह व्यवस्था हो। यह कोई 12 महीने और 24 घंटों की ड्यूटि नहीं है। यह तो मात्र उस वक्त के लिए है जब फसल तैयार होने को आती है। फसल तैयार होने में hardly it will take one and a half month. डेढ़ महीने की बात है। गंदम की फसल तैयार होने में दो महीने लेती है। इसलिए दो महीनों के लिए अगर आप राखे रख लें जो मनरेगा के काम में लगे हैं, तो मैं ऐसा समझता हूं कि जब तक भारत सरकार से हमारे इस प्रस्ताव का जवाब नहीं आता, उस वक्त तक हमारी मदद मनरेगा से हो सकती है। इसके लिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री से निवदेन रहेगा।

इसके अलावा एक और समस्या है। वह समस्या आवारा पशुओं की है। आज पूरे प्रदेश के अंदर भयंकर स्थिति पैदा हो चुकी है। मैंने पहले भी कहा है कि किसान बेचारा किस-किस से लड़ाई करेगा? वह बंदरों को भगाने का काम करेगा या अवारा पशुओं को हटाने का काम करेगा? गौ माता, जो हमारे जीवन के अंत में वैतरणी को पार करवाती है; एक समय था जब अंतिम सांस लेते समय गौ माता की पूंछ उस प्राणी से पकड़ाई जाती थी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और बदले हालात में क्या हो रहा है? अब उस गौ माता की ऐसी दुर्गति हुई है कि जब तक वह दूध देगी तब तक तो अच्छी लगेगी, गौशाला में खूंटे से बंधी रहेगी, लेकिन जैसे ही वह दूध देना बंद करेगी, उसको छोड़ देते हैं। अब एक नया सिस्टम शुरू हुआ है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी-छोटी पिकअप गाड़ियों के ड्राइवर्ज़ के साथ सांठ-गांठ होती है कि तुझे मैं 3000 रुपये दे दूंगा, मेरी गाय को तूने रात को ले जाना। इसको रात को ले जाकर कहीं छोड़ आना।

जारी .... श्री गर्ग जी

26/08/2016/1430/RG/AG/1

श्री महेन्द्र सिंह-------क्रमागत

अब दो बातें पैदा हो गईं कि जिसने दूध पीया और उसका घी भी खाया, उसके दिल में इतना भी दया और धर्म नहीं रहा कि उस गौ माता को अपने खूंटे पर बांधकर घास खिला सके और पानी पिला सके। वह तीन या चार हजार रुपये देकर उसको किसके हवाले कर रहा है वह एक जीप वाले के हवाले कर रहा है और जीप वाला क्या कर रहा है कि वहां से उस गौ माता को अपनी गाड़ी में लोड करके चार किलोमीटर दूर जाकर सड़क पर छोड़ देता है। आज एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि यदि बूचड़ भैंसों को न ले जाते, तो आज प्रदेश की जो सड़कें हैं जहां आवारा पशुओं में गौ माता, बैल, बछड़े और भैंसें भी यदि छोड़ दी जातीं, तो हमारी ये सड़कें पूर्ण रूप से बंद हो जातीं। इसलिए आवारा पशुओं के कारण आज एक भयंकर स्थिति पैदा हो चुकी है। हम अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर देखते हैं। ऐसा नहीं है कि यह स्थिति केवल मात्र एक ही क्षेत्र में विषम है बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में यह एक गंभीर समस्या बन चुकी है कि जिन बैलों को हम जोतते थे, जिनकी हम पूजा करते थे, वे आज बहुत कम दिखाई देते हैं। आज एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि छोटे-छोटे ट्रैक्टर चले हुए हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह रहेगा। इसका सबसे बड़ा कारण क्या हुआ कि ये जो छोटे-छोटे ट्रैक्टर चल पड़े, उन्होंने क्या कर दिया कि हमारा जो बैल धन है वह आवारा हो गया और उसके आवारा होने से क्या हो गया कि हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को जैविक खेती की तरफ ले जाएंगे। लेकिन जब हमारे पास गोबर ही नहीं होगा, तो हम जैविक खेती की तरफ प्रदेश को कैसे ले जाएंगे? आप लोगों ने गऊओं को निकाल दिया, बैलों को निकाल दिया और भैंसों को बूचड़खाने में भेज रहे हैं। जो जैविक खेती है, जो गोबर है जिससे जैविक खाद बननी है, जब गोबर ही नहीं होगा, तो जैविक खेती कैसे होगी? आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि आज का किसान केवल मात्र बाजार की खादों पर निर्भर हो चुका है। वह बीज बीजता है और ऊपर से खाद डालता है। जितनी खेती होगी, ठीक है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा सबसे बड़ा कारण हमारा डिपुओं का राशन है। डिपुओं के राशन ने भी हमारे लोगों को बेकार कर दिया है। तीसरा बड़ा कारण 'मनरेगा' है। ठीक है ये अच्छी स्कीम्ज हैं, लेकिन ऐसा न हो कि हमारे इस देश का नौजवान, हमारे इस देश की आबादी बरबादी की तरफ न चली जाए? हम काम करने से दूर न

26/08/2016/1430/RG/AG/2

भागें? कम-से-कम हम अपने लोगों को काम पर तो लगाएं। आज नशीले पदार्थों का सेवन किया जा रहा है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि उसका सबसे बड़ा कारण घर में कोई काम का न होना है।

अध्यक्ष महोदय, परसों हमारा एक प्रश्न यहां लगा था और माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किए हैं कि हर पंचायत में एक गौ सदन बनेगा। इसी सदन में श्री जय राम ठाकुर जी ने एक सुझाव दिया था कि 4-5 पंचायतों का एक क्लस्टर बना दिया जाए और उन पांच पंचायतों के क्लस्टर में बीच में एक जगह गौ सदन बने। लेकिन गौ सदन बनना, उसमें गाय या बैल रखना और उसको चलाना सबसे मुश्किल काम है। संबंधित मंत्री जी उस दिन नहीं थे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी ने इस प्रश्न का जवाब दिया कि पंचायत स्तर पर जो गौ सदन बनेंगे, हम उनके लिए चारे की व्यवस्था नहीं करेंगे, सरकार चारे की व्यवस्था नहीं करेगी। तो फिर सरकार का क्या योगदान रहा? अगर यह पंचायत स्तर पर बनना है, आपने चारे की व्यवस्था नहीं करनी है, फिर आपका क्या योगदान रहा? आपने 13वें वित्तायोग के पैसों की बात कर दी और यहां कर्नल साहब को फंसा दिया कि 13वें वित्तायोग के पैसों से हम गौ सदन बना देंगे और उस पैसे से हम चारे का प्रबन्ध करेंगे। आप नहीं कर सकते, आपने गलत किया, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, माननीय वन मंत्री और माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा और विशेष निवेदन माननीय मुख्य मंत्री जी से रहेगा कि इस तरफ आप विशेष ध्यान दें। आप गौ सदन बनाएं, लेकिन जब आप जमीन ही नहीं देंगे, तो गौ सदन कैसे बन सकते हैं? या तो आप जमीन आईडैन्टीफाई करिए, आप क्लस्टर बना लें, आपके पास 3226 पंचायतें हैं। उन 3226 पंचायतों में जाकर चार-चार या पांच-पांच पंचायतों का क्लस्टर बना लें। वहां जमीन आईडैन्टीफाई करिए और जमीन का केस लेकर हाई कोर्ट चले जाओ कि एफ.सी.ए. में हमें जमीन ट्रांसफर करने की परमीशन नहीं मिलती।

एम.एस. द्वारा जारी

श्री महेन्द्र सिंह जारी----------

माननीय उच्च न्यायालय ने आपको आदेश किया हुआ है इसलिए इसको उनके गले में डालो कि इस जमीन को ट्रांसफर कर दो। साथ में जो गो-सदन चल रहे हैं उनके ऊपर भी विशेष नज़र रखो कि वहां पर क्या हो रहा है। वहां पर सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि उनमें से कई गो-सदनों में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। उससे भी हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि ये जो आवारा पशु हैं इनकी स्थिति यह है कि एक गांव वाले लाठी पकड़ते हैं और उनको दूसरे गांव में छोड़ आते हैं। फिर दूसरे गांव वाले लाठी पकड़ते हैं तथा तीसरे गांव में छोड़ देते हैं और अन्त में ऐसा होता है कि जहां जंगलों में बाघ होते हैं वहां पर उनको इकट्ठा करके छोड़ दिया जाता है। ऐसे सैंकड़ों केसिज इस प्रदेश के अंदर हुए हैं कि हमारी गायों, बैलों और बछड़ों को सड़क के किनारे बाघ ने आधा खाकर छोड़ा होता है। फिर उस पशु की सड़क के किनारे इतनी बदबू पड़ती है कि आने-जाने वाले राहगीरों को वहां से गुजरने में मुश्किल होती है। इसलिए वहां पर उन पशुओं को दफनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, यह एक ऐसा विषय है जिस पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इसके बारे में इस सदन में चर्चा करते रहे, भाषण देते रहें और भाषण देने के बाद अगला सत्र जब दुबारा आए तो हम यहां पर दुबारा इस विषय को लेकर आ जाएं कि हमने इस विषय को पहले भी चर्चा के लिए लगाया था और अब दुबारा लगा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम केवल औपचारिकता न निभाएं। जब तक इस विषय पर सरकार अपनी गम्भीरता प्रदर्शित नहीं करेगी क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि कई बार इस सदन के बीच में हमने औपचारिकता निभाई है। चाहे वह विषय नियम 101 के तहत लगा हो या नियम 130 के तहत लगा हो। यह विषय बहुत बार लगा है लेकिन उसमें कोई गम्भीरता किसी भी तरफ से नहीं आई है। यह मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इस पर विशेष-से-विशेष ध्यान दें।

इसके अलावा अध्यक्ष जी, जब तक किसान बंदरों से हटते हैं और आवारा पशुओं से बचते हैं फिर जो तीसरा अटैक रात को होता है वह सुअरों और सैल का होता है। अब ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि किसान किस-किस का पहरा करे।

26/08/2016/1435/MS/AG/2

सुअरों की संख्या इतनी बढ़ गई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। सुअरों ने कई लोगों को जख्मी कर दिया है और सुअरों के जख्मी किए हुए आदमी के बचने की संभावना बहुत कम होती है। मेरा निवेदन है कि जो रात को हमला करने वाले सुअर और सैल हैं और इसके अलावा जो दिन में पक्षी फसलों पर हमला करते हैं बल्कि आजकल तो पक्षियों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। मोरनी तो लाल मिर्च, गन्दम के सिले, मक्की और मटर को बहुत खाती है। वह तो ऐसी है कि जिस खेत में पड़ जाएगी उस खेत में समझो सफाई है। मेरा निवेदन है कि हम इस पर बड़ी गम्भीरता से चर्चा करे और सोचे की हम इस पर क्या कर सकते हैं।

इसी तरह से नील गाय है। हमने तो कभी नहीं सुना था कि ये हमारे क्षेत्र में भी होती हैं लेकिन इस बार मैं ऐसा सुन रहा हूं। ठाकुर गुलाब सिंह जी अभी सदन में नहीं हैं। मेरा क्षेत्र और उनका क्षेत्र साथ लगता है। हमारे यहां पता नहीं कहां से 100 नील गायें आ गई हैं। वे इतनी तेज भागती हैं कि उनको शूटर भी गोली नहीं मार सकता क्योंकि वह तो पता हीं नहीं लगने देती कि कहां गायब हो गई। वह जिस खेत में पड़ जाएगी समझो वह सारा-का-सारा खेत सुबह को साफ हो जाएगा। इससे हजारों दुर्घटनाएं भी घट रही हैं। पूरे प्रदेश के अंदर इनकी वजह से सड़क के बीच में हजारों दुर्घटनाएं हो चुकी हें। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इन सभी बातों पर गौर करें। इसी तरह से तोतों, कौओं, मोरनी, गिलहरी और चूहों का हमला है। यहां तो आसमान से लेकर पाताल तक हमले हैं। आसमान से पक्षी हमला करता है, जमीन पर बंदर और सुअर तथा पाताल से चूहे आकर हमला करते हैं। हमारे किसान के लिए एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि वे बेचारे करे तो क्या करे। मेरा छोटा सा सुझाव रहेगा कि हम भारत सरकार को इसके लिए कहें क्योंकि मैंने पहले कहा है कि हमारी प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि हम अपने तौर पर इस सारी व्यवस्था को कर सके। जैसे आपने सौर ऊर्जा की बात कही है। मुझे नहीं पता कि वह कितना सफल होगा। उसकी कॉस्टिंग क्या है? जैसे मैंने "मनरेगा" की बात कही है इसमें मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि आप सिर्फ साढ़े तीन महीने की हिम्मत रखो। मर्द वाली बात करो। आप कम-से-कम वहां पर "राखे" रखने की हिम्मत करो।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

श्री महेन्द्र सिंहः---जारी---

इसके लिए मनरेगा वालों को कहो। इसके साथ-साथ जो हमारी वाईल्ड लाईफ सैंक्चुरीज हैं उनमें मैंने पीछे भी कई बार कहा था कि हम अपने प्रदेश के अन्दर ऐसे स्थानों को चिन्हित् कर दें जहां पर हम इन बन्दरों को पकड़ करके रख सकें, जब तक आपको एक्सपोर्ट करने की परमिशन भारत सरकार से नहीं मिलती है। जितनी भी हमारी वाईल्ड लाईफ सैंक्चुरीज़ हैं, हमारे पास बहुत बड़ी-बड़ी वाईल्ड लाईफ सैंक्चुरीज़ हैं। मेरे ख्याल से 30-32 के लगभग हैं और कुछ ज़ू भी हैं, वहां पर अगर इनको रखा जाए और वहां पर इनको दानें इत्यादि की व्यवस्था कर दी जाए, पानी की व्यवस्था कर दी जाए तो मैं समझता हूं कि वे इधर-उधर भागने की कोशिश नहीं करेंगे। पहली मेरी आपको यह सलाह रहेगी। दूसरी सलाह मेरी यह रहेगी कि जो मंकी स्टैरिलाइजेशन है, क्योंकि पहले काफी स्टैरिलाइजेशन केन्द्र थे लेकिन अब जो मुझे सूचना मिली है वे बन्द होने जा रहे हैं। उसकी क्या वज़ह है, क्या कारण है? एक तो स्टैरलाईजेशन में पता नहीं क्या-क्या हुआ है, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि यदि यह हो तो प्रॉपर हो। ऐसा नहीं हो कि स्टेरिलाइजेशन करती बार कहीं से बन्दरों की गाड़ियां पकड़ी और कहीं दूसरी जगह छोड़ दी। उसमें भी विशेष ध्यान दिया जाए। इन सब बातों को मिला करके हम एक फील्ड रिसर्च एण्ड स्टडीज़ की कोई कंसल्टैंसी हासिल करें। उसको कहीं से भी हासिल करें। हिमाचल प्रदेश के अन्दर नहीं है तो आप इसे आऊट सोर्स कर लो। वैसे भी आऊट सोर्स आप बहुत सी चीजें कर रहे हैं। उसको आप आऊट सोर्स कर लो। आऊट सोर्स करके उसके लिए एक डी0पी0आर0 तैयार करो। फिर उस डी0पी0आर0 में आप उन सारी बातों को लो कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। कितने बन्दर हमारे पास है, कौन से ऐसे क्षेत्र है, जहां पर हम इन बन्दरों को पकड़ करके छोड़ने की व्यवस्था करें। उसमें कितना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, कितना उनको पकड़ने का खर्चा होगा, कितना वहां पर दाने-पानी का खर्चा होगा, यह सब कुछ करना होगा?

दूसरे, जो आवारा पशु हैं,---(व्यवधान).. जगजीवन पाल जी आपको बन्दूक दे दें तो आप बन्दरों को मारना शुरू कर देंगें? उनको कौन मारेगा?सी0पी0एस0 साहब आप यहां पर नहीं थे। हमने सरकार के ध्यान में एक बात लाई है कि जो आपको 38 जगहों की परमिशन मिली है, क्या आपने उन जगहों पर मुड़कर देखा? कोई रिर्पोट वहां से आपने ली कि कितने बन्दरों को वहां पर मारा गया? आज एक ऐसी स्थिति है जब तक आप उनको मारने वालों की टीम तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि किसी के पास ऐसी केपेसिटी ही नहीं है। इस करके मेरा आपसे निवेदन है कि जहां 38 जगहों की आपको परमिशन मिली है, कम से कम वहां तो आप इसको इम्पलीमैंट कर दो। वहां पर शूटर्ज़ की टीम बना दो। हिमाचल प्रदेश में इतने एक्स सर्विसमैन है, जिन्होंने पाकिस्तान को हराया है, जिन्होंने हमारी सरहदों की रक्षा की है। आप उन्हीं में से शूटर्ज़ की टीमें तैयार कर लो ताकि जो 38 जगह हैं, वहां पर कम से कम उन लोगों को राहत मिल सके। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो हमारे आवारा पशुओं की बात है, हमारे पास आज आवारा पशुओं की संख्या कम से कम एक लाख तक है। माननीय मुख्य मंत्री जी यह बात मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं कि कम से कम एक लाख के करीब संख्या है। एक लाख पशुओं को कितने गऊ सदन बनाने पड़ेंगे और कितना इन्फ्रास्ट्रक्चर हमें खड़ा करना पड़ेगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद फिर उनके लिए चारे की व्यवस्था कितनी करनी पड़ेगी। उनकी सेवा के लिए कितने सेवादार रखने पड़ेंगे। यह सारा ऐस्टिमेट बनाएं क्योंकि आप भारत सरकार को यदि ऐसे ही एक लैटर लिख देंगे तो उस लैटर का कोई फायदा नहीं होगा आप इसके लिए एक डी0पी0आर0 बनाओ। पूरे प्रदेश का एक मास्टर प्लान बना दो। उस मास्टर प्लान के अन्तर्गत इन सभी बातों को ले लो। उसमें बन्दरों को ले लो, आवारा पशुओं को ले लो। इसके साथ-साथ जो सूअर आदि हैं उनके लिए सरकार क्या नहीं कर सकती है। सरकार के पास ब्यूरोक्रेसी बैठी है, जो सबसे इन्टैलिजैंट होते हैं। आप उनसे कहें कि इसके लिए

रास्ता बताइए, क्या रास्ता निकल सकता है। उसके मुताबिक उस मास्टर प्लान के अन्तर्गत एक अच्छी डी0पी0आर0 बना करके, एक

26.08.2016/1440/जेके/एजी/3

अच्छा मास्टर प्लान बना करके अगर आप भारत सरकार को भेजते हैं तो मुझे इतना विश्वास है कि भारत सरकार की तरफ से किसी भी प्रदेश सरकार को, विशेष करके हिमाचल प्रदेश को किसी भी प्रकार की आर्थिक दृष्टि से कोई कमी नहीं रहने वाली है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

26.08.2016/1445/SS-AS/1

श्री महेन्द्र सिंह क्रमागतः

इसलिए मैं मंत्री जी और सरकार से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप आज का जो मेरा संकल्प है इस संकल्प को आप एक औपचारिकता न समझें और औपचारिकता न निभाते हुए इसकी एक मास्टर प्लान के अन्तर्गत बृहद डी0पी0आर बना करके भारत सरकार को भेजें ताकि वहां से इसके लिए आपको धनराशि मिल सके तथा इस प्रदेश में जो बंदरों, आवारा पशुओं व जंगली जानवरों का आतंक पैदा हो चुका है कम-से-कम उस आंतक से हमारे प्रदेशवासियों को राहत मिल सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

26.08.2016/1445/SS-AS/2

अध्यक्षः अब श्री कुलदीप कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह द्वारा गैर-सरकारी सदस्य संकल्प प्रस्तुत किया गया, उसके ऊपर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

एक बात देखने में आई है कि समस्या बहुत गम्भीर है। जब से यह विधान सभा का गठन हुआ तब से हर सत्र में बंदरों, आवारा पशुओं और जंगली जानवरों के बारे में प्रस्ताव आता रहा। समस्या आती रही, हम इसके ऊपर चर्चा करते रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि यह समस्या कितनी गम्भीर है। पिछली सरकारों ने भी प्रयत्न किये लेकिन कामयाब नहीं हुए और समस्या जैसे-जैसे दवा की वैसे-वैसे बढ़ती गई। यह समस्या इतनी गम्भीर है कि आज बंदर इतने ज्यादा हो गये हैं कि उनकी वजह से किसानों ने खेतीबाड़ी करना छोड़ दिया है। यहां तक कि सड़कों पर लोगों ने ब्रैड का कारोबार शुरू कर दिया है। हर जगह ब्रैड और चने की दुकानें खोल दी हैं। लोग आते हैं और सड़कों पर बदरों को चने या ब्रैड डालते हैं तथा सड़कों पर बंदरों की फौज-की-फौज होती है। सबसे गम्भीर समस्या यह है कि किसानों ने खेतीबाड़ी करना बंद कर दिया है क्योंकि रात को सुअरों की वजह से पहरा देना पड़ता है और दिन में बंदरों से निजात पाने के लिए पहरा देना पड़ता है। अभी हाल में कल-परसों मैं देख रहा था, शिमला में हम एक सड़क पर आ रहे थे तो किसी के टीफिन को ही बंदरों ने छीन लिया। कहीं टीफिन में वह रोटी ले जा रहा था तो बंदरों ने वह टीफिन उससे छुड़वा लिया। डर से वह टीफिन को ही छोड़कर चला गया। इस प्रकार बंदरों की समस्या गम्भीर हुई, इस पर चर्चा होती रही। इस पर प्रयत्न होते रहे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी काफी गम्भीरता से इस समस्या को लिया है। प्रयास होते रहे, मंथन होता रहा और आज उसी का ही परिणाम है कि इन बंदरों को शिमला में और दूसरी जगह में वर्मिन घोषित किया गया है। यह सरकार के प्रयास हैं। मैं चाहता था कि माननीय सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह जी इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते क्योंकि पिछली चर्चाओं में कई सदस्य मांग करते रहे कि बंदरों को वर्मिन घोषित किया जाए। अब ये वर्मिन घोषित हुए, शिमला और दूसरी जगह पर भी वर्मिन घोषित हुए लेकिन अब वह समस्या खड़ी हो गई है जिसे आप बता रहे हैं कि बंदरों को मारना कोई नहीं चाहता। अब इतने दिन हो गए लेकिन किसी ने बंदरों को मारने

26.08.2016/1445/SS-AS/3

के लिए प्रयत्न नहीं किये। अब सरकार के पास यह समस्या खड़ी हो गई है कि बंदर वर्मिन तो घोषित हो गए और उनको मारने का समय खत्म हो रहा है --(व्यवधान)-- आपने कुटलैहड़ में कितने मार दिये। तो सरकार के लिए यह समस्या है कि बंदरों को वर्मिन घोषित किये हुए समय बीतता जा रहा है लेकिन इनको मारने के लिए कोई तैयार नहीं है।

इसके लिए भी सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी सोच रहे हैं कि इसका क्या हल निकाला जाए और ज़रूर इसका हल निकलेगा।

जारी श्रीमती के0एस0

26.08.2016/1450/केएस/डीसी/1

श्री कुलदीप कुमार जारी---

दूसरे, जहां तक स्टेरिलाइजेशन की बात है, स्टेरिलाइजेशन करके बन्दरों को वहां पर ही छोड़ देते हैं जिससे कि बन्दर बड़े खुंखार हो जाते हैं और कई जगह लोगों को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। यह बड़ी गम्भीर समस्या है।

अध्यक्ष महोदय, अवारा पशुओं और जंगली जानवरों की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने काफी प्रयत्न किए हैं। सरकार गऊशालाएं बना रही है। हमारे जिला में भी कई पंचायतों में गऊशालाएं बनाने का काम शुरू है जिससे आवारा पशुओं की समस्या से निजात मिलेगी। मैं अभी पीछे अजय महाजन जी के चुनाव क्षेत्र नूरपुर जा रहा था । तैण से लेकर नूरपुर तक जितनी सड़क है , हर किलोमीटर पर आवारा गाय व बैल थे। इतने ज्यादा आवारा पशु हो गए हैं। माननीय सदस्य, महेन्द्र सिंह जी तो कह रहे हैं कि एक लाख तक उनकी संख्या हो गई है। इन्होंने गिनती की होगी, लेकिन यह समस्या सभी के लिए बड़ी गम्भीर है। इसमें राजनीति वाली बात नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बड़ा मन्थन करके मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना नामक स्कीम चलाई। आज उसका फायदा किसानों को मिल रहा है। इसमें कई शंकाए जाहिर की गई लेकिन आज उस योजना के अंतर्गत किसान को 60 प्रतिशत सबसिडी सरकार दे रही है। हमारे जिला में कई जगह लोगों ने इस योजना का फायदा लेना शुरू कर दिया है। पूरे गांव के लोगों ने इकट्ठा हो कर कांटे वाली तार लगा कर उसमें करंट देकर आवारा पशुओं और बन्दरों से अपने सारे गांव को बचाया है। माननीय विपक्ष के नेता जानते हैं, मैं गांव का नाम

भी बता देता हूं, अम्बुआ गांव में सभी लोगों ने इकट्ठा होकर कांटे वाली तार लगाकर माइल्ड करंग छोड़कर अपने सारे खेतों का बचाव किया है। बन्दरों की यह प्रवृत्ति है कि उनको एक बार करंट लग जाए तो दोबारा वे नज़दीक नहीं आते और पशु जो कांटे वाली तार है, वह लगभग 6 फुट तक होती है उससे पशु नहीं जा सकता और लोगों ने इस स्कीम का फायदा लिया है और धीरे-धीरे ज्यादा लोग इस

26.08.2016/1450/केएस/डीसी/2

स्कीम का फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बन्दरों और आवारा पशुओं से किसानों को निज़ात मिल सके और दोबारा से किसान अपने खेतों में फसल बीज सकें।

अध्यक्ष महोदय, मुझे हैरानी हुई कि माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी ने सस्ते राशन की स्कीम का ही विरोध करना शुरू कर दिया कि सस्ते राशन की स्कीम चलाई तो लोगों ने खेतों में फसल बीजना ही बन्द कर दिया। महेन्द्र जी, आज हालात यह है कि अगर हिमाचल प्रदेश में सस्ता राशन की योजना नहीं होती तो हिमाचल की गरीब जनता 200 रु0 किलो दाल नहीं खरीद सकती थी। उनका जीना मुश्किल हो जाता । माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2006 में जो सस्ता राशन योजना चलाई थी, उसका आज लोगों को फायदा मिल रहा है। उस स्कीम का आज हिमाचल प्रदेश को फायदा हो रहा है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

26.8.2016/1455/av-ag/1

श्री कुलदीप कुमार-------- जारी

(---व्यवधान---) मैं आपके (श्री महेन्द्र सिंह जी को कहा।) सुझाव पर ही बोल रहा हूं। उस स्कीम का आज हिमाचल प्रदेश को फायदा हो रहा है और जनता को महंगाई से राहत मिली है। यह ठीक है कि खेतों में समस्या है। लेकिन खेतों का (---व्यवधान---) चुप कीजिए। यह स्कीम पिछली सरकार के समय में भी चलती रही। आपने देखा कि लोगों को

इसका फायदा हो रहा है। जहां तक खेतों का सवाल है तो मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना से काफी लोगों को फायदा हो रहा है। इस स्कीम की जब धीरे-धीरे लोगों में चर्चा होगी, पब्लिसिटी होगी तो इसका फायद अवश्य होगा।

जहां तक आवारा पशुओं का सवाल है तो माननीय वन मंत्री जी आवारा पशुओं और बंदरों के बारे में बड़े प्रयत्नशील रहते हैं। यहां पर माननीय महेन्द्र सिंह जी ने जो ऐक्सपोर्ट करने की बात कही है उसका आप जरूर प्रयास करें। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे यहां अम्ब से मैहतपुर तक सड़क निर्माण के लिए एक चाइना की कम्पनी आई थी। वहां पर एक कुत्ता भी नहीं बचा था, उन्होंने वहां पर सारे कुत्ते-बिल्ले साफ कर दिए थे। उनको ऐक्सपोर्ट करने के लिए अगर केंद्र सरकार परमिशन दे दें तो बंदर की सारी समस्या का समाधान हो जायेगा। मैं इसमें यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने जहां तक गो सदन खोलने का फैसला लिया है तो आप उन गो सदनों को सही तरीके से संचालित करने का भी प्रयास करें ताकि आपकी गो माता की रक्षा करने की मन्शा सही ढंग से पूरी हो सके। मैं यहां पर एक और सुझाव दूंगा। कुछ गो रक्षक दल भी होते हैं। आजकल पूरे देश में इस प्रकार के गो रक्षक दल चले हुए हैं। उनका भी आपने अड्रैस ले लेना और उनसे पूछना कि आपको कितने-कितने पशु भेजें। यहां जो सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं वह उनके पास भेजें ताकि यह पता चल सके कि वे इनकी रक्षा कितनी ईमानदारी से करते हैं। (---व्यवधान---) दलित पिटाई हो रही है। दलित का बड़ा अच्छा काम था कि जब कोई पशु मरता था तो वह उसकी खाल उधेड़ता था। यह दलित का एक बिजनैस /प्रोफैशन है और

26.8.2016/1455/av-ag/2

समाज के लिए इस तरह से वह सेवा का काम करता था। मगर आज ऐसा ढोंग रचा गया कि दलितों की पिटाई शुरू कर दी कि दलित गऊ को मार रहा था। इसलिए ऐसे गऊ रक्षक दलों की आप पूरी सूची बनाए और उनसे पूछे कि हम आपके पास कितने-कितने पशु भेजें। ऐसा करने से इस समस्या का काफी ज्यादा समाधान निकल सकता है। मैं ज्यादा न कहता हुआ सरकार का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये स्कीमें चलाई हैं। इससे सरकार

की संवेदना का पता चलता है कि सरकार इस समस्या के प्रति गम्भीर है। इसके अतिरिक्त जो वर्मिन घोषित किए हुए हैं और इसके लिए जो समयसीमा रखी गई है, उसमें अभी तक कोई मारने वाला आगे नहीं आ रहा है क्योंकि इसके साथ लोगों की धार्मिक भावना जुड़ी हुई हैं। इस बारे में भी सरकार सोच रही है कि क्या किया जाए, आउट सोर्स किया जाए। सरकार ने किसान के फायदे के लिए और बंदरों से निजात दिलाने के लिए जो स्कीमें चलाई है मैं उसके लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, जयहिन्द।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार धूमल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री प्रेम कुमार धमल जी श्री टी0सी0 द्वारा जारी

26/08/2016/1500/TCV/AG/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सारे प्रदेश के चुने हुए प्रतिनिधियों को जिस समस्या का समाधान ढूंढ़ने के लिए लोग कहते हैं, उस समस्या पर इन्होंने चर्चा मांग कर सारे प्रदेश के किसानों/बागवानों की समस्या का ज़िक्र यहां पर किया है। यह भी सही है जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि एक रिचूअल बन गया है। हर सत्र में प्रस्ताव आता है। लोगों की तरफ़ से जो समस्याएं हमें ग्रॉउड लैवल में मिलती है, हम उनका ज़िक्र यहां पर करते हैं। सरकार भी एक सदा-सदाया उत्तर दे देती है क्योंकि इसका समाधान काफी मुश्किल है। पहले हम समझते थे कि कलिंग इसका एक रास्ता है। सारे विश्व में जहां पशुओं की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, वहां कलिंग की जाती है, यहां तक की हाथी तक मारे जाते हैं लेकिन जैसे कहा गया है कि यहां बंदरों और गायों के साथ धार्मिक भावना जुड़ी है, जिसके साथ गाय शब्द लग जाता है, हम उसको भी धार्मिक दृष्टि से देखते हैं। प्रदेश सरकार ने जो प्रयास किया है, उसके लिए इनका धन्यवाद। हम केन्द्र सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने किसानों की समस्या को समझते हुए लगभग 38 तहसीलों में कलिंग की इजाज़त दे दी लेकिन समाधान अभी भी नहीं हो रहा है। इसमें धार्मिक भावना आड़े आ रही है और शूटर्ज़ भी नहीं हैं। एक और बड़ी समस्या यह हो गई है कि जिस बात को हमने समस्या का समाधान समझा था, वह समस्या का मूल कारण बनती जा रही है।

स्टैरेलाईजेशन सैंटर खोले गए थे और सोचा यह गया था कि इनकी स्टैरलाईजेशन हो जाएगी, तो इनकी उत्पत्ति आगे कम होगी। लेकिन अब तो स्थिति यह है कि जिन क्षेत्रों में ये बंदर हैं, वहां बंदर के बच्चों के ढेर लगे हुए हैं, तो स्टैरलाईजेशन किसका हुआ। दूसरा, मैंने जब भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई, तो सदन में बात उठाई। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। जिन अधिकारियो/कर्मचारियों की इस कार्य (स्टैरलाईजेशन) के लिए ड्यूटी लगाई गई थी, उन्होंने बहुत कोताही बरती है। मैंने पिछली बार भी मांग की थी कि जांच होनी चाहिए कि कितने बंदर पकड़कर स्टैरलाईजेशन सैंटर में लाए गए और कितने वापिस छोड़े गये। अभी यहां पर कुछ पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जिस बंदर को स्टैरलाईज कर देते है, वह खूंखार हो जाता है। पैसे के लालच में देश का बेड़ा गर्क़ कैसे हो रहा है, इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया

26/08/2016/1500/TCV/AG/2

जा सकता है कि जो कैरिज़ का पैसा मिलना था और जिसको ठेका दिया जाता है, वह कुछ पैसा कर्मचारियों को देकर फॉलोअप नहीं करते, जहां बंदरों को छोड़ना होता है, वहां पर छोड़कर नहीं आते और वहीं आस-पास के गांव में छोड़कर आ जाते हैं। मैं कल माननीय मंत्री जी से बात कर रहा था। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी स्टैरलाईजेशन सैंटर खुला था। जब यह सैंटर खुला, तो हमें लगा कि बहुत राहत मिलेगी लेकिन जो 2-4 पंचायतें आस-पास की है और हमीरपुर शहर है, उसमें एक और गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। कल इनको विश्वास नहीं हो रहा था और ये हंस रहे थे, जब मैंने कहा कि गांव के लोग आकर कह रहे हैं कि अब तो

श्रीमती नीना सूद द्वारा जारी ----

26/08/2016/1505/NS/AG/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल-------क्रमागत

जो भैंस आदि पाल कर रखी हुई हैं, उनका दूध भी बन्दर पीकर चले जा रहे हैं। एक दिन जब भैंस ने दूध नहीं दिया तो उन्होंने छिप कर देखा कि बन्दर भैंस का दूध पी रहा है। शिमला शहर में बच्चों की रोटी का टिफन बन्दर उनके बैग खोल करके ले जा रहे हैं।

खुंखार बन्दरों के कारण महिलाएं खेतों में काम करने नहीं जा सकती हैं। आवारा पशुओं के कारण लोग फसल नहीं बीज़ रहे हैं। कोई भी घरों के नज़दीक काम करने को तैयार नहीं है। हमारे यहां पहले बन्दर होते ही नहीं थे लेकिन जब यह ज्यादा शोर हुआ तो एक ट्रक हमारे गांव में भी छोड़ गए। वहां पर प्राईमरी स्कूल के साथ पीपल का पेड़ है, उस पेड़ में बहुत ज्यादा बन्दर बैठे रहते हैं। घर से बाहर कभी कहीं घूमने निकलें तो वहां पर भी बन्दर होते हैं। घर की छतों में भी बन्दर बैठे रहते हैं और फलों को खाये जा रहे हैं। खेतों में सब्जियों को उखाड़ रहे हैं। जैसा कि पहले कहा गया कि बन्दर ही नहीं आवारा पशु और मोर भी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक बहुत बड़ा पुल जाहू के पास बना हुआ है जो मण्डी क्षेत्र को कनैक्ट करता है। जब भी जाओ, वहां पर 50-100 गाय और बैल बैठे मिलते हैं। पिछले दिनों जब मैं वहां से गया तो मैंने देखा कि वहां पर कोई पशु नहीं था। मैंने गाड़ी में बैठे अपने कुछ साथियों को कहा कि आज यहां पर कोई पशु नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग पैसा इक्टठा कर रहे हैं और वे अपनी जगह से ट्रकों में भर कर दूसरी जगह छोड़ रहे हैं। जब दूसरे दिन हम वापिस आए तो सचमुच में ही पहले 100 होते थे, उस दिन 150-200 पशु लोगों ने वहां पर छोड़े हुए थे। यह एक चिन्ता का विषय है लेकिन इसका समाधान सरकार भी क्या करे? जो आपने गौशाला खोलने का निर्णय लिया है, उसमें अगर आप गौशाला वालों को चारे का प्रबन्ध करके नहीं देंगे और उसमें सब्सिडी नहीं देंगे तो वे चारा कहां से लाएंगे? मेरे चुनाव क्षेत्र में भी कई वर्षों से एक-दो गौशालाएं खुली हैं,उन गौशालाओं की आसपास की पंचायतों में कोई आवारा पशु नहीं हैं। उसका नाम जमलीधाम है, आप वहां अपनी टीम भेंजे। लोगों ने अपनी और से प्रयास

26/08/2016/1505/NS/AG/2

करके सारे पशुओं को वहां इक्टठा करके रखा है। वे गौमूत्र अर्क निकाल रहे हैं। इसकी मेडिसीनल वैल्यू बहुत है, जो कैंसर को भी ठीक करता है। अगर इस प्रकार से इकोनोमिक एक्टिविटी साथ में शुरू करवाने का सांइटीफिक सहयोग सरकार की और से मिले तो मैं मानता हूं कि गौशाला को भी लाभदायक बनाया जा सकता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के

एक वाइस चांसलर थे और उन्होंने एक पेपर तैयार करके दिया था कि हम गाय का उत्पादन केवल दूध मानते हैं। गाय का गोबर और गौमूत्र भी इकोनोमिक एक्टिविटी है। अगर हम प्रयास करें तो गौमूत्र से गौअर्क निकाल कर दवाई के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। जैविक खाद बनाने के लिए गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल करें तो इसको इकोनोमिकली viable बनाया जा सकता है। आज भी खाद बिकती है लेकिन इसके लिए लोगों को प्रेरित करना होगा। आज नहीं तो कल यह समस्या गम्भीर रूप धारण करेगी जब सब खेतीबाड़ी छोड़ेगें। हमारे गांव में हर घर में बैलों की जोड़ी थी यहां तक कि कईयों ने तो दो बैलों की जोड़ियां रखी हुई थीं। अब हमारे तो क्या आसपास के गांव में भी बैलों की जोड़ियां नहीं हैं। जिस किसी ने रखी हुई है , वह हल जोतने के लिए मनमर्ज़ी के पैसे लेता है। लेकिन अब हम कहते हैं कि घास नहीं है, पहले घास भी होता था। हर घर में भैंस, गाय, भेड़ और बकरी भी थी। लेकिन उस सिनेरियो के बारे में सोचिए अगर लोग खेतीबाड़ी करना ही छोड़ देंगे। बन्दरों से केवल हिमाचल प्रदेश में ही समस्या नहीं है बाकी जगहों पर भी है। जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो आप सबने देखा होगा कि एक महिला को पोलिंग बूथ में ही बन्दर ने काट दिया था। उत्तर प्रदेश के कई स्कूलों में अध्यापक और विद्यार्थी डंडा लेकर जाते हैं।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

26.08.2016/1510/RKS/AS/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः ...जारी

इसलिए मेरा आग्रह है कि जो श्री महेन्द्र सिंह जी ने सुझाव रखा है उस पर सरकार गम्भीरता से विचार करें। "खेत संरक्षण योजना" के तहत फैंसिंग का कार्य शुरू किया गया है लेकिन जो एक टास्क फोर्स, जिन्हें 38 तहसीलों में बंदर मारने की इजाज़त दी गई है, वहां किसी ने कोई बंदर नहीं मारा है। मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि मुझे देखकर ही बंदर भाग जाते हैं। वह व्यक्ति काले कपड़े पहनता है और बंदूक उसके हाथ में होती है। जब वह

हवा में फायर करता है तो बंदर वहां से भाग जाते हैं, जोकि एक सही बात है। यह जरूरी नहीं है कि किलिंग हो जाए। कुछ क्षेत्रों में जहां स्कूल हैं, लोगों की आवादी है और जहां लोगों को बंदर काट रहे हैं, वहां पर इस तरह की टास्क फोर्स बननी चाहिए। आज बेरोज़गारी भी बहुत बढ़ी है। इसलिए आप एक स्पेसिफिक एड्वर्टाइज़ कीजिए कि हम एक ऐसी टास्क फोर्स तैयार करना चाहते हैं जिनका काम बंदर मारने का ही होगा "Culling of Monkeys". जो इस फोर्स में भर्ती होगा वह यह सोचकर ही भर्ती होगा कि मुझे इन जानवरों को मारना ही है। उस व्यक्ति को वेतन तब मिलेगा जब वह अपनी आउटपुट दिखाएगा। उसकी सैलरी का मुल्यांकन उसके काम से किया जाएगा। अगर आप इस तरह से कुछ करेंगे तभी मुझे लगता है कि शायद इसमें कुछ राहत मिलें। यह समस्या पड़ोसी राज्यों में भी हो रही है। अगर सारा देश ही यह सोचने लगेगा कि हम खेतीबाड़ी बंद कर देंगे और मनरेगा की दिहाड़ी लगाकर हमें राशन मिल जाएगा, यह ठीक नहीं है। गरीब को सस्ता राशन मिले, हम इसका विरोध नहीं करते हैं परन्तु लोगों को खेतीबाड़ी तो करनी ही चाहिए। जब लोग खेतीबाड़ी करेंगे तो उन्हें खाद की जरूरत पड़ेगी और तभी उन्हें जैविक खेती और जैविक खाद की जरूरत होगी। अगर सब लोग खेती करना छोड़ देंगे तो सस्ता राशन भी कहां से मिलेगा? अध्यक्ष महोदय, इस समस्या को पूरे प्रदेश की समस्या और एक सामाजिक समस्या मानकर इस प्रकार का समाधान ढूंढा जाए जिसमें लोगों का भी सहयोग हो। लेकिन जब तक सरकार ऐसी टास्क फोर्स क्रिएट नहीं करेगी तो छः महीने और एक

26.08.2016/1510/RKS/AS/2

वर्ष का समय भी ऐसे ही बीत जाएगा और समस्या वहीं-की-वहीं खड़ी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका धन्यवाद।

अध्यक्षः अब श्री जगजीवन पाल जी इस चर्चा में अपने विचार रखेंगे और मैं सभी माननीय वक्ताओं से निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में अपने विचार रखिएगा।

श्री जगजीवन पालः अध्यक्ष महोदय, सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी, जो संकल्प लाए हैं, वह बहुत ही गम्भीर समस्या के ऊपर है। यह समस्या एक प्रजाति के पशुओं से नहीं है अपितु अलग-अलग प्रजाति के पशुओं से है। मैं माननीय सदन को बधाई देना चाहता हूं कि जब हमारा पिछला सत्र हुआ था तब भी बड़ी गम्भीर चर्चा इस विषय पर हुई थी। उस समय कोई भी वक्ता ऐसा नहीं था चाहे वह सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से इस समस्या के बारे में चिंता प्रकट न की हो। सत्ता पक्ष और विपक्ष दानों तरफ से यह बात उठी कि एक संयुक्त संकल्प भारत सरकार को भेजा जाए और इन्हें वर्मिन घोषित किया जाए। मैं दिल्ली सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी भावनाओं को समझते हुए इस समस्या के समाधान के लिए 38 तहसीलों में बंदरों को मारने की अनुमति दी और इसके लिए

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

26.08.2016/1515/SLS-DC-1

श्री जगजीवन पाल (मा0 मुख्य संसदीय सचिव)....जारी

मैं न्यायालय का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। कई एन.जी.ओज. वहां भी चले गए कि यह गलत बात है लेकिन कोर्ट से भी उनकी हौंसला-अफ़जाई नहीं हुई और कोर्ट ने उनको वापिस भेजा कि यह एक गंभीर समस्या है, जिसका समाधान होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसके ऊपर बड़ा सीधा-साधा विचार है।

(श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति के रूप में पदासीन हुए।)

मेरा विचार कोई टेढ़ा-मेढ़ा नहीं है। इसमें हमें 6 महीने का समय मिला है। हिमाचल के किसान चाहते हैं कि अब चर्चाएं न हों बल्कि रिजल्ट सामने आएं। चार-पांच दिन पहले जब हमारी सी.एल.पी. की मीटिंग हुई, उसमें आदरणीय मुख्य मंत्री जी भी चिंतित थे कि समय तो थोड़ा रह गया, इस समस्या को दूर करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। मेरा उस समय भी यही कहना था और मैंने रिक्वैस्ट की कि हमारी पालमपुर तहसील, जो इसमें

चुनी गई है, उसके सुलह क्षेत्र को ही सबसे पहले लिया जाए। हमारे पास बंदूकों वाले शूटर्ज़ और शिकारी तैयार हैं। लेकिन वह कहते हैं कि हम रौंद कहां से लाएंगे।...(व्यवधान)... इंगलिश में कार्टरिज होता होगा लेकिन मैं तो पहाड़ी आदमी हूं। ...(व्यवधान)... असला-रौंद कहां से आएगा। मुख्य मंत्री जी टोपीदार कारतूस कह रहे हैं। फिर बात आई कि यह हम उनको दे देंगे। कुछ शिकारी हैं जो कह रहे हैं कि हमें कुछ मिलना भी चाहिए, इसलिए पर-बंदर कुछ ईनाम उनको दिया जाए। यह बात पहले भी कुछ वर्ष पूर्व आई थी। उस समय हमारे इलाकों में जो नंबरदार थे या इंचार्ज थे या जिम्मेवार आदमी थे, वह बंदर को मरवाते थे, उसे दबाते थे और पीछे से पूंछ का हिस्सा काटकर लाते थे; तब उनको पैसे मिलते थे। बंदरों की यह समस्या कोई आज की ही समस्या नहीं है। लेकिन अब यह ज्यादा हो गई है। पहले बंदरों लोगों को काटते नहीं थे। वह केवल फलों को खाते थे और बगीचों का नुकसान करते थे। अब समस्या यह हो गई है कि इन्होंने बच्चों को काटना शुरू कर दिया और महिलाओं से तो ये डरते ही नहीं हैं। जिसने दुपट्टा ओढ़ रखा है उससे तो बिल्कुल नहीं डरते। लेकिन अब मर्दों से भी डरना बंद कर दिया है

26.08.2016/1515/SLS-DC-2

और काटना शुरू कर दिया है। अब उन्होंने फ्रूट्स छीनना भी शुरू कर दिया है। मरीज से मिलने अगर फ्रूट लेकर आई.जी.एम.सी. जाएं तो वह छीन लेते हैं। मुझसे भी एक बार छीने हैं। मैं केले की दर्ज़न लेकर जा रहा था। बंदर पीछे से आया और केले ले गया। वहां पत्थर बगैरः कुछ नहीं था और मैं उसका मुंह देखता रह गया। जब मैंने उसको देखा तो वह मुझे खाने पड़ गया। मैंने सोचा कि वह बस केले ले जाए और मैं खाली चला गया। यह समस्या बड़ी गंभीर है और मेरे ख़याल में अदालतों ने जो हमारे किसानों के हक में अब फ़ैसला लिया है कि यह मारे जाने चाहिए, वह सही है। मुझे लगता है कि अदालतों में बैठे जज भी तो किसानों के ही बेटे हैं। उनके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते हैं और उनकी घरवालियां भी बाजार में जाती हैं। मेरे ख़याल में बंदरों ने उनसे भी ज़रूर छेड़छाड़ की है। इसलिए अब सारे पक्ष एकमुश्त इस हक में आ गए हैं कि अब इनको खत्म किया जाना चाहिए। अब जनता चाहती है कि रिजल्ट सामने आएं। मुख्य मंत्री जी समस्या को लेकर चिंतित हैं और

हम-सब भी चिंतित हैं। लेकिन अब निणर्य लेने की बात है। मैं तो सुलह चुनाव क्षेत्र को सबसे पहले ऑफर करता हूं। सुलह की जनता सबसे पहले आगे आएगी। इनमें एक को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इनकी कलिंग की जानी चाहिए। इनकी कलिंग करके इनको या तो दबाया जाए या जलाया जाए। इनको बढ़िया रीजि-रिवाज के साथ दफनाया भी जा सकता है या लकड़ी काटकर जलाया भी जा सकता है।

जारी .... श्री गर्ग जी

26/08/2016/1520/RG/DC/1

मुख्य संसदीय सचिव(श्री जगजीवन पाल)-------क्रमागत

उनका अंतिम संस्कार हिन्दू रीति-रिवाज़ के साथ किया जाए और लकड़ी काटी जाए, उन्हें जलाया जाए। सब लोग इकट्ठे होंगे, ढेरों लोग इकट्ठे होंगे। सब माथा टेकेंगे और लकड़ी डालेंगे। इस प्रकार से किसानों को निजात मिल जाएगी और उनको इससे राहत मिलना जरूरी भी है।

सभापति महोदय, श्री महेन्द्र सिंह जी ने एक और समस्या यहां रखी कि कांगड़ा के खनियारा में स्लेट्स बंद हैं। वहां 9-20, 10-20, 12-18 इत्यादि का स्लॉट निकलता था और लोग उसको अपने घरों में लगाते थे। लेकिन जब बंदर छलांग लगाता है, तो वह जिस स्लैट पर छलांग लगाता है, वह टूट जाती है और उसके साथ दूसरी भी टूट जाती हैं और वे कुछ नहीं छोड़ते। उसको कोई परवाह नहीं होती, सब कुछ तबाह कर देते हैं। लेकिन अब ये स्लेट भी नहीं मिल रही हैं। बंदर ने स्लेट तोड़ दी, तो अब क्या करेंगे? बारिश का पानी आ रहा है, कच्चे मकान हैं, स्लेट नहीं है, तो वह बेचारा क्या करेगा? इसलिए अब यह भी एक समस्या पैदा हो गई है। इसके साथ-साथ मैं अपना पक्ष नहीं बदलूंगा। इसलिए इनको मारने के सिवाय इनका और कोई इलाज नहीं है और मारने के लिए भी हम ही जिम्मेवार होंगे।

श्री महेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, माईक नहीं चल रहा है, इसको चलाया जाए।

मुख्य संसदीय सचिव(श्री जगजीवन पाल) : सभापति महोदय, जंगली गाय का जिक्र यहां किया गया। जो जंगली गाय है मैं इस बारे में थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। मैं यह चाहता हूं कि जो जंगली गाय है इसको जंगली या नील गाय न कहा जाए और न ही लिखा जाए। हमारी किताबों में भी इनको न लिखा जाए, कई किताबों में इनको जंगली नील गाय लिखते हैं। किताबों में भी जंगली या नील गाय न लिखा जाए, इसको जंगली बकरी लिखा जाए और बारहसिंघा लिखा जाए। जो मेल है वह बारहसिंघा है और जो नील गाय है वह दो थन वाली हैं। यह चार थन वाली गाय नहीं है। गऊ माता चार थन वाली होती है। इसलिए यह बकरी है और इसको जंगली बकरी कहा जाए और हिमाचल प्रदेश के बोर्ड की किताबों में भी इसको संशोधित किया जाए ताकि अगर कहीं कोई मरी हुई मिले या मारी जाए और अगर उसका कोई मीट खाना चाहे, तो वह उसको बकरी या बकरा समझकर खाए। इसमें किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है।

26/08/2016/1520/RG/DC/2

सभापति महोदय, मैं एक सुझाव यहां देना चाहता हूं जिस पर कृपया माननीय मुख्य मंत्री जी एवं माननीय वन मंत्री जी ध्यान देंगे। कभी-कभी जब खेतों में कोई
सूअर आता है, तो शिकारी मार देते हैं, कोई जंगली बकरी या बारहसिंघा आता है, तो उसको मार देते हैं। वैसे तो वन विभाग के लोग गांवों में नहीं आते हैं, लेकिन इस कारण से जंगलात महक़मे के इतने सारे लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं कि वे पूरे गांव को घेर लेते हैं और पूछते हैं कि बताओ किसने मारा, उसको अंदर कर देंगे और जेल में भेज देंगे। वे इतना डर पैदा कर देते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए उस डर को भी खत्म करो। अब किसानों ने खेतीबाड़ी करना छोड़ दिया है। हम किसानों को कैसे दुबारा खेती करने योग्य बनाएं ताकि वे दुबारा खेती करने लगें, अब हमें यह सोचना चाहिए और जैसा हम चाह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कैसे जैविक खेती हो,

एम.एस. द्वारा जारी

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव)जारी---------

तो यह भी एक डर खत्म करना पड़ेगा और जंगलात विभाग को थोड़े निर्देश दिए जाएं कि आप इतना पीछे मत पड़ जाओ।

इसके साथ-साथ और भी मेरे कुछ सुझाव कुत्तों के बारे में थे। मेरे गांव के साथ ही 10-12 कुत्ते इकट्ठे हो गए हैं और वे कुत्ते जंगली कुत्ते बन गए हैं। उन कुत्तों को 11.00 और 12.00 बजे के बीच में भूख लगती है क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता है। फिर इस समय में वे कुत्ते जंगल की ओर चले जाते हैं और वहां पर जिन लोगों ने बकरियां पाली हुई हैं उनमें से किसी एक बकरी को किनारे कर देते हैं तथा उसको खाने में वे एक घण्टा भी नहीं लगाते हैं। फिर खा-पीकर अपने-अपने रास्तों से वापिस आ जाते हैं। जो पालतु कुत्ते हैं वे तो ठीक हैं लेकिन ये जो आवारा कुत्ते हैं, जब इनमें से कोई कुत्ता पागल हो जाता है और वह किसी एक को काटने लगता है तो फिर वह लाइन में पचासों को काटता हुआ चला जाता है। फिर उसे चाहे गाय मिले, आदमी मिले या बकरी मिले। जो उसके मुंह के सामने आता है वह उसको काट देता है और सब जगह हा-हाकार मच जाती है। हम लोगों को भी फोन आते हैं और आप लोगों को भी आते होंगे कि काट दिया, काट दिया। वह कुत्ता किसी के भी हाथ से मरता नहीं है फिर आखिर में पता नहीं कहां मरता है। जिन लोगों को काटा होता है उन्होंने इंजैक्शन भी लगाए होते हैं लेकिन फिर भी वे डरे होते हैं। अस्पतालों में इसका 4400 रुपये का इंजैक्शन आता है। इतना महंगा इंजैक्शन गरीब लोग कैसे लगाएंगे? मैं विपक्ष के लोगों से निवेदन करूंगा कि केन्द्र में श्रीमती मेनका गांधी जी आपकी पार्टी की मंत्री हैं।

सभापति (श्री कुलदीप कुमार): माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव): सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मुझे एक मिनट का समय दे दीजिए क्योंकि यह बहुत ही गम्भीर विषय है। यह विषय विपक्ष वालों ने भी उठाया है और मैं भी उठा रहा हूं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि

आप लोग बार-बार दिल्ली जाते हैं। मैं विपक्ष के नेता आदरणीय धूमल जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमती मेनका गांधी जी को धरातल का पता नहीं है।

26/08/2016/1525/MS/DC/2

उनको पता नहीं है कि धरातल में जो कुत्ते होते हैं वे कैसे होते हैं। जो घर में कुत्ते पाल रखे हैं और बिस्तरों पर सोते हैं वे कुत्ते अलग तरह के होते हैं। तो चरड़ वाले कुत्ते जिनके शरीर में बीमारी के कारण एक भी बाल नहीं रहता है जब वह कुत्ता आपके बरामदे में आकर सो जाता है तो आपको उसको उठाने के लिए भी हिम्मत नहीं पड़ती है। सारे घर में उसके कारण खारिश फैल जाती है। तो इन कुत्तों को जैसे पहले मारते थे, उस तरीके से मारा जाए। मैं 18 साल तक प्रधान रहा हूं और मैंने कुत्तों को मरवाया है। एक दवाई आती थी जिसको पकौड़े में डालते थे और जैसे ही कुत्ता पकौड़े खाता था उसको मरने में 10 मिनट नहीं लगते थे। फिर एक गड्ढा खुदवाकर उसको दबा देते थे। इस तरह से इन आवारा कुत्तों को भी मारा जाए। इनको क्यों न मारा जाए? मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि ऐसी-ऐसी एन0जी0ओज0 हैं जिनको यही पता नहीं है कि जो हमारी मक्की(छल्ली) होती है यह छल्ली पौधे के ऊपरी हिस्से में लगती है या निचले हिस्से में लगती है और ये उच्च न्यायालय में किसानों के खिलाफ अपील करने चले होते हैं। अब तो सायर में पूजने के लिए भी छल्ली नहीं मिलती है क्योंकि अब वह सिस्टम खत्म हो गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आवारा कुत्तों को मारा जाए यानी आवारा कुत्तों की भी कलिंग की जाए और जिन्होंने कुत्ते पाले हुए हैं वे पंचायतों से 50 रुपये का छोटा सा लाइसैंस ले लें और समय-समय पर उसका सर्टिफिकेट दें कि इस कुत्ते की वैक्सीनेशन करवाई हुई है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद। वैसे मैं इसके बारे में और भी विस्तार से विचार रखना चाहता था लेकिन आपने इतना भी समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। यह बहुत ही गम्भीर संकल्प यहां पर लाया गया है। -(व्यवधान)- इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। मैं सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग जितने मर्जी पुल, सड़कें, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज बना लें लेकिन जब सभा करते हैं और भाषण देते हैं कि मैंने यह कर दिया, वह कर दिया तो आखिर में एक महिला खड़ी हो जाती है कि बंदरों और गायों का क्या किया? तब सब किया-कराया खत्म हो जाता है,

शून्य हो जाता है। इसलिए इसको गम्भीरता से लेते हुए फिर इकट्ठे होकर हम इस मामले को केन्द्र को भेजें।

जारी श्री जे0 एस0 द्वारा----

26.08.2016/1530/जेके/एजी/1

श्री जग जीवन पालः (मुख्य संसदीय सचिव)---जारी------

इस प्रस्ताव को केन्द्र में भेज करके इसका पीछा भी करें। हम भी करें। मैं, मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, वन मंत्री भी करें, सरकार भी करें और आप भी करें। तुरन्त वहां से कोई फैसला आए और इसके ऊपर हम किसी नतीज़े पर पहुंचे। हिमाचल प्रदेश का किसान सुखी हो, उसका उद्धार हो और मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े। सभापति महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

26.08.2016/1530/जेके/एजी/2

सभापतिः अब श्री महेश्वर सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री महेश्वर सिंहः सभापति महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह जी ने जंगली ज़ानवरों एवं पशुधन तथा अन्य ज़ानवरों की संख्या जो निरन्तर बढ़ौत्तरी की ओर अग्रसर है, इस पर चिन्ता व्यक्त करते हुए सरकार से निवेदन किया है कि इससे निपटने के लिए कोई न कोई ठोस कदम उठाए जाए, कोई नीति बनाई जाए। मैं इस सन्दर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, विषय अत्यन्त गम्भीर है। मैं आरम्भ में कहना चाहूंगा कि यह समस्या केवल किसानों व बागवानों तक सीमित नहीं है। अब यह समस्या इतनी भयंकर हो गई है कि स्कूल जाने वाले बच्चों, महिलाओं और शहर में बसे हुए लोगों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो केवल बन्दर और बाघ की बात होती थी। अब धीरे-धीरे अन्य पशु और आवारा पशु भी इसमें जुड़ गए। महोदय, बन्दरों के बारे में सरकार ने अनेकों प्रयत्न किए कि कैसे इस संख्या को नियंत्रण में लाया जाए और वन

विभाग भी इसमें लगा रहा लेकिन विचित्र बात एक है कि न जाने किस प्रकार से गणना होती है। सरकारी आंकड़ों में बन्दरों की संख्या घट गई है और व्यवहारिक रूप से देखो तो हर जगह बढ़ गई है। जहां पर बन्दर नहीं थे वहां पर भी बन्दर पहुंच गए हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। मंत्री महोदय ने तो इसके लिए इतना ज्यादा प्रयत्न किया कि बन्दरों और बंदरियों की अलग से संख्या भी बता दी लेकिन सत्यता यह है कि हर जगह यह संख्या बढ़ गई है। आज घर से बाहर निकलना भी दुभर है और तो बात छोड़ दीजिए आप विधायक सदन की ही बात करिए। विधान सभा की बात करिए। हम घर से आते हैं और विधान सभा में जो हमारे आवास है उसमें जाते हैं तो सीढ़ियों पर रात को बैठे हुए कुत्ते हम सब का स्वागत करते है । हमें डंडा मार कर अपने- अपने घर में घुसना पड़ता है। जब कमरे में जाते हैं, दिन के समय हम भोजन करने लगते हैं तो बन्दर आकर ज़ोर-ज़ोर से नॉक करता है और यदि खाना न दो तो वह शीशा तोड़ देता है। बाहर निकलो तो बन्दर पीछे पड़ जाता है। एक दिन वीरेन्द्र कंवर जी यहां बैंक से पैसे निकालने आए। इनके पीछे एक खुंखार बन्दर लग गया अगर इन्होंने थोड़ा दम नहीं दिखाया होता तो इनसे पैसे लूट के ले जाता। ऐसी

26.08.2016/1530/जेके/एजी/3

स्थिति इस परिसर की है। यह कोई मज़ाक की बात नहीं है। यहां पर कहा गया कि बन्दरों के लिए वाटिकाएं बनाई जाएगी। पैसे खर्च होंगे, न जाने सरकार उनको बनाने में कहां तक सफल हुई होगी और कितने पैसे खर्च हुए होंगे? फिर यह भी कहा गया कि जो किसान तारबन्दी करेगा उसमें करंट छोड़ेंगे, उसमें 60 प्रतिशत पैसा सरकार देगी और 40 प्रतिशत पैसा किसान देगा लेकिन अभी तक कई किसानों को यह पता नहीं है कि कौन सा विभाग पैसा देगा। इस बात पर विचार अवश्य करना चाहिए कि अगर 60 प्रतिशत सरकार देगी और 40 प्रतिशत किसान देगा तो क्या वह किसान के लिए वॉयबल है या नहीं है। कहीं दाढ़ी से लम्बी भाई सुजान सिंह जी की तरह मूंछ तो नहीं हो जाएगी। खर्चा ज्यादा और आय कम तो फिर यह खर्चा कौन करेगा? इसलिए जो जग जीवन पाल जी ने कहा, मैं केवल प्रथम बार शत-प्रतिशत इनकी बातों से सहमत हूं कि इसका हल एक ही है। सभी ने

इस सदन में एक ही जुबान में कहा था कि इनको वर्मिन घोषित करो और कलिंग अवश्य करो।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----

26.08.2016/1535/SS-AG/1

श्री महेश्वर सिंह क्रमागतः

आपने प्रयास किये और भारत सरकार ने आपको अनुमति दे दी। लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसके लिए कुछ-न-कुछ व्यावहारिक करना होगा। जगजीवन पाल जी और हमारे जैसे लोग पहले पंजाब में थे। मैं आपको 1958-59 की घटना सुनाऊंगा। उस वक्त फलों पर, ये जो चमगादड़ है जिसको उल्टा कौवा बोलते हैं, का भारी अटैक पड़ा। सारे फल नष्ट हो गए। सरदार प्रताप सिंह कैरों उस वक्त पंजाब के मुख्य मंत्री थे। उनके आदेशानुसार एस0डी0एम्ज़ की अध्यक्षता में जगह-जगह समितियां गठित हुईं और जितने उप-मण्डल में शिकारी लोग थे सब इकट्ठे किये गये। सब को 25-25 कारतूसों का, चार नम्बर छर्रे वाले का डिब्बा दिया गया और एस0डी0एम0 की अध्यक्षता में एयरपोर्ट एरिया भुन्तर का जहां-जहां वे चमगादड़ बैठते थे वहां जाकर चमगादड़ों को समाप्त किया गया। शर्त यह थी कि कम-से-कम 20 हाथ उस चमगादड़ के जमा करने पड़ेंगे और 25 कारतूस उसके होंगे जो गन लाइसैंस होल्डर है। जब तक आप उनको बारूद नहीं देंगे, लाइसैंस नहीं देंगे तो क्या यह सम्भव है कि आदमी जाकर डंडे से बन्दर को मार दे? जैसे बंदर इकट्ठे होकर यहां हमला करते हैं तो डंडों का काम ही नहीं रहा है। डंडे वगैरह सब छूट जाते हैं अगर बंदर इकट्ठे हो जाएं। अब ऐसा समय आया जैसा इन्होंने (श्री महेन्द्र सिंह) कहा कि जो यहां कुत्ते घूमते हैं उनकी सवारी करके बंदर बगीचे में घूम रहे होते हैं। अब बन्दर को कुत्ता नहीं पड़ता। समझौता इसलिए कर दिया क्योंकि वह उसको भगाने में सफल नहीं हो सकता। इसलिए यह करना आवश्यक है और जब इस प्रकार का अभियान चलेगा तो निश्चित रूप से लाभ पहुंचेगा। अगर आप यह चाहें कि लोग बंदर को मारेंगे तो यह सम्भव नहीं है। हो सकता है कि कुछ की धार्मिक भावनाएं हों। कुछ डरते हैं। कुछ बंदूकें ही नहीं हैं तो क्या करेंगे? इसलिए मेरा सुझाव रहेगा कि जो आपके यहां पर नगर-निगम हैं इनकी अध्यक्षता

में इस कार्य को दे दीजिए। गांव में पंचायत वाले इस काम को करें और सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग हो तो निश्चित रूप से लाभ होगा।

आपने नील गाय की बात कही। नील गाय के लिए मैं आपसे फिर सहमत हूं। यह गाय नहीं है। यह गोट फैमिली की है। एक बार मैंने लोक सभा में यह बात कही थी, धूमल जी को याद होगा कि अरे भईया इस नील गाय को तो मारो, इसमें

26.08.2016/1535/SS-AG/2

कौन-सी धार्मिक भावना है। तो एक व्यक्ति उठा, उसने कहा, यही है भारतीय जनता पार्टी। आप गऊ को मारने की बात करते हो। मैंने कहा भईया पहले नीचे जाकर देखो, इसके दो थन है या चार। बकरी के दो होते हैं। गाय के चार होते हैं जिसको मैमल बोलते हैं। इसलिए यह गोट फैमिली है। क्योंकि साइज़ बड़ा है इसलिए नील गाय। मैं इस बात को कहने में गुरेज़ नहीं करूंगा कि हमारे ऊंचे पहाड़ों में इसको मारते हैं, इसको यामू बोलते हैं, नील गाय नहीं बोलते हैं। मारते और खाते हैं। इसलिए गाय की धारणा तो ठीक है लेकिन नील गाय के बारे में लोगों में जागृति पैदा करनी होगी कि यह गऊ नहीं है, यह बड़ी बकरी है। जंगल में एक करथ होता है, जिसे थार बोलते हैं, उसकी बकरी भी इतनी ही बड़ी होती है। इसका अन्तर एक और है, इसकी दुम गधे की तरह होती है। गाय की तरह लम्बी दुम नहीं है। इसलिए यह लोगों को जानकारी देनी होगी और लोगों की रक्षा करनी होगी। मुझे लगता है कि तभी हमको सफलता मिलेगी अन्यथा इन चीज़ों में सफलता नहीं मिलेगी। इस काम को करना चाहिए।

अब जहां तक कुत्तों का सवाल है, इनकी बहुत संख्या बढ़ गई है। मंत्री जी ने जवाब दिया, 23 तारीख को मेरा प्रश्न था। इन्होंने इस बात को स्वीकारा कि तीन मास में, जो वन विभाग के आंकड़ें हैं, दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाघ की चर्चा यहां किसी ने नहीं की क्योंकि शायद निचले क्षेत्रों में बाघ नुकसान नहीं करता। लेकिन आज हमारे ऊंचे पहाड़ों में बाघ का आतंक भी बहुत भारी है। दिन-दिहाड़ों बच्चों को उठा कर ले जा रहा है। कई लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया।

जारी श्रीमती के0एस0

26.08.2016/1540/केएस/एएस/1

श्री महेश्वर सिंह जारी---

कइयों को घायल कर दिया और दो महीने में 14 लोग गम्भीर रूप से घायल हुए। साधारण रूप से 51 लोग घायल हुए। कुल मामले 67 । अब मैं पशु पालन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं। महोदय, आप इन सारे कामों में सबसे आगे हैं। दो महीने में दो की मृत्यु, गम्भीर रूप से घायल 18, साधारण रूप से घायल 8796 और कुल मामले 8816 हैं। ये जो साधारण रूप से और गम्भीर रूप से घायल हैं, इनमें थोड़े से लोग बिल्लियों ने काटे हैं बाकी सारे कुत्तों ने काटे हैं। इन कुत्तों के साथ कौन सी धार्मिक भावना जुड़ी है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई? एक समय था कि जिस कुत्ते के गले में टैग नहीं होता था, जो रजिस्टर्ड नहीं होता था, उसको म्युनिसिपल कमेटी के सफाई कर्मचारी मार देते थे। उनको छोड़ते नहीं थे । जिसके टैग लगा होता था वही रजिस्टर्ड होता था। अब सारे के सारे कुत्ते अनरजिस्टर्ड हैं इनको मारने में क्या दिक्कत है? दूसरे, अगर इनकी नसबन्दी कर दें तो कौन सी दिक्कत है? कम से कम संख्या तो रुकेगी और मारने में भी कोई हर्ज नहीं है इसलिए क्यों नहीं आप केन्द्र सरकार से इसकी अनुमति ले लेते?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः इसके लिए केन्द्र में मेनका गांधी जी इन्कार करती है।

श्री महेश्वर सिंहः अभी भी तो आपको परमिशन मिली है। आप क्यों एक महिला के पीछे पड़े हुए हैं? आपको भारत सरकार ने जब बन्दरों को मारने की परमिशन दी है तो यह भी मिल जाएगी। यह बहाना मत बनाएं। आप अनुमति लीजिए और मारने वाले बनिए।

सभापति महोदय, मुझे लगता है कि पशु-पालन मंत्री महोदय इस चर्चा का जवाब देंगें तो जो कुत्ता काटता है, जिसको कसौली की वैक्सीन लगती है, जिसकी कीमत 20 से 25 हजार रुपये है, उसको कौन निःशुल्क लगाएगा? यह आपका काम है। अभी तक डिपार्टमैंट यह नहीं देता है। आप कन्फर्म करिए। कहते हैं कि यह महंगा

है बाहर से लाओ। कौन 20 हजार रुपये खर्च करेगा? आपने जिन्होंने ये आवारा कुत्ते पाले हैं, आप दें। यह इंजैक्शन सरलता से मिलना चाहिए। कुत्ते के काटने का आपको संज्ञान लेना चाहिए। लोगों का चलना दुभर है और हम जो लोग यहां सदन में बैठे हैं, सभी को मालूम है कि रात को कितने कुत्ते हमारे मेहमान होते हैं। रात को इकट्ठे हो कर सारे भौंकते हैं, सोना हराम है। इस प्रकार की समस्या की तरफ ध्यान देना चाहिए।

सभापतिः माननीय सदस्य, वाइंड अप करिए।

श्री महेश्वर सिंहः सभापति महोदय, आज भी एक व्यक्ति को शिमला में कुत्ते ने काटा है और मुख्य मंत्री महोदय के ओ.एस.डी.को भी एक दिन कुत्ते ने काटा है, उनको कई इंजैक्शन लगे हैं। यह कोई नई बात नहीं हुई कि उनको काटा। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है इसलिए इस ओर ध्यान देने की जरूरत है ताकि लोगों की रक्षा हो।

सभापति महोदय, मनाली में मेन सर्किट हाऊस के पीछे का सारा जंगल आवारा कुत्तों से भरा हुआ है। वहां कोई मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा सकता क्योंकि कुत्ते जख्मी कर देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उदार हृदय से इन कामों को करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, अन्त में मैं सांडों की समस्या के बारे में कहना चाहूंगा। जब सांड का नाम आता है तो यहां पर सभी हंसने लगते हैं। जहां तक सांड का सवाल है, यह सब पशु-पालन विभाग की विफलता है। जब ये छोटे-छोटे बछड़े आवारा छोड़े थे, उस वक्त क्यों उनको स्टेरलाइज़ नहीं किया गया? कौन रोकता था ? फिर वे गौसदन में रखे जा सकते थे। चार साल में जो बछड़ा पूरा सांड बन गया, आज तो उसको गौसदन में भी ले जाएंगें तो सर्वनाश कर देगा। वह गौसदन वाले को भी मारेगा और गायों को भी मारेगा । अभी भी समय है कि आवारा बछड़ों को पकड़कर सटेरलाइज़ करके गौसदन में भेज दो। नहीं तो ये

सांड जीने नहीं देंगें । कोई पैदल नहीं चल सकता। मॉर्निंग वॉक करनी हो तो सारे सांड पीछे लग जाते हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

26.8.2016/1545/av-ag/1

श्री महेश्वर सिंह-------- जारी

ऊना में भी ऐसी ही समस्या है। इसलिए ये कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जिसके समाधान के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। गऊ सदन स्थाई हल नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर ये गऊ सदन ज्यादा बनेंगे तो लोगों में गायों तथा दूसरे पशुओं को छोड़ने की प्रवृत्ति और बढ़ जायेगी। इसलिए 'गऊ' जिसको हम माता कहते हैं वह इस प्रकार से आवारा/बेसहारा न बनें इसके लिए सख्त-से-सख्त कानून लाएं, उसमें हम सभी आपका साथ देंगे। मगर कानून ऐसा लाएं कि जो अपना पालतू पशु छोड़ेगा उसके पकड़े जाने पर कम-से-कम 5 हजार रुपये जुर्माना व एक साल की क़ैद होगी। लेकिन पहले इनका रजिस्ट्रेशन करवाइए। कभी चिप की बात की जाती है मगर इसका समाधान चिप से नहीं होगा। पक्के दाग़ लगते हैं, आप इनकी नम्बरिंग कीजिए। चिप निकाल देते हैं लेकिन यदि आप दाग़ देकर नम्बर तथा पंचायत का नाम अंकित करेंगे तो सही रहेगा। अनेकों सामाजिक संस्थाएं हैं, इनके जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन का काम इन संस्थाओं को दे दीजिए। उसके पश्चात भी यदि कोई अपना पशु छोड़ता है और उसके लिए कोई जुर्माना/सजा होती है तो इसमें शायद विराम लगेगा।

आपने मुझे बोलने का समय दिया इसलिए आपका आभार और माननीय सदन के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।

26.8.2016/1545/av-ag/2

मुख्य संसदीय सचिव (श्री सोहन लाल) : सभापति महोदय, इस सदन में बहुत ही गम्भीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है। जब भी इस विधान सभा का सत्र होता है तो इस विषय पर चर्चा अवश्य होती है तथा इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास भी कया जाता है। यह नहीं कि सरकार इस समस्या से अनभिज्ञ है। सरकार भी चाहती है और जो सुझाव आते हैं उस पर काम करती है इसीलिए सरकार ने बंदरों की समस्या से निजात पाने के लिए उनकी नसबंदी का काम शुरू किया। यह बात अलग है कि उसके जितने अच्छे परिणाम सोचे थे वह नहीं आए। वैसे भी किसी समस्या के समाधान हेतु जो योजना शुरू की जाती है उसके परिणाम जल्दी नहीं मिलते, उसमें समय लगता है। इसीलिए यह समस्या अभी कम नहीं हुई है। इसी के साथ, सरकार इस विषय को लेकर यानि आवारा पशुओं से जो किसानों को नुकसान हो रहा है, इसके बारे में गम्भीर है। इसीलिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस वर्ष के बजट में किसानों की कृषि योग्य भूमि के संरक्षण हेतु योजना बनाई है ताकि उस बाड़ से उनकी खेती सुरक्षित हो सके। यह इस बात को दर्शाता है कि सरकार इस समस्या का हल चाहती है। मगर जो यह समस्या बढ़ रही है अगर इसके पीछे का कारण देखें तो इससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। बंदरों को हम धार्मिक भावना से नहीं मार रहे हैं। जैसे कि यहां पर आवारा पशुओं की बात कही गई है जिसमें बेसहारा गायों की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है, वह भी आस्था से जुड़ा हुआ है। यहां पर एक माननीय सदस्य ने कहा कि यदि इन आवारा पशुओं के साथ लोगों की धार्मिक भावना न जुड़ी होती तो शायद यह समस्या इससे भी ज्यादा गम्भीर रूप धारण कर चुकी होती। इसलिए जब आस्था का प्रश्न है और उसकी वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और जहां हर सत्र के दौरान इस बारे में चर्चा होती है तो इसके समाधान के लिए भी इस बात को मद्देनज़र रखते हुए समाधान ढूंढने चाहिए। सरकार ने तो अपनी तरफ से इसके लिए दो प्रयास शुरू किए हैं और तीसरा जो हमने पालतू पशुओं को जिसमें गाय मुख्यता है। वह दूध देने के बाद जब नकारा हो जाती है तो हम उसे छोड़ देते हैं उसके लिए कार्यक्रम चला है

श्री टी0सी0 द्वारा जारी

26/08/2016/1550/TCV/AG/1

श्री सोहन लाल (मुख्य संसदीय सचिव)--- जारी।

लेकिन अभी उसके भी परिणाम हमें नहीं मिल रहे हैं। उनको कैसे आईडैंटिफाई किया जाये? उनका पंजीकरण हो, टैगिंग लगे ताकि आईडैंटिफाई हो कि किस आदमी ने अपना पशु छोड़ा है। ये जो समाधान ढूंढे जा रहे हैं, इनमें अभी समय लगेगा और तब तक ये जो हमारी आस्था है, ये भारी पड़ रही है। एक आकलन के अनुसार हमारे प्रदेश में कृषि और बागवानी के क्षेत्र में तकरीबन 500 करोड़ रूपये का नुकसान प्रतिवर्ष इस समस्या के चलते हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कई जगह तो ऐसा हो गया है कि किसानों ने फसलें बीजना बन्द कर दी है, क्योंकि वह अपने खेतों को आवारा पशुओं/बंदरों से सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आगे यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी और लोग फसल बीजना बहुत कम कर देंगे। अभी बंदरों को वर्मिन घोषित किया गया है। उनको मार सकते हैं और उनको मारने पर कोई पाबंदी नहीं है लेकिन इसमें लोग आगे नहीं आ रहे हैं। सरकार इसके बारे में सोचे और कोई समाधान निकाले। जैसाकि अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि शूटर्ज़ लाये जायें, तो शायद कोई अच्छे परिणाम निकलें । यहां पहले भी सदन में चर्चा हुई है और जिन्होंने यह संकल्प लाया है, उन्होंने भी इस बात को सुझाया है कि केन्द्र सरकार से बन्दर के एक्सपोर्ट पर हमें अगर इजाज़त मिल जाये तो बहुत जल्द इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से केन्द्रीय सरकार से इजाज़त मांगी जाये और इनका एक्सपोर्ट हो। दूसरा, ये जानवार फसलों को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। इस समस्या से अब जान-माल की भी हानि हो रही है। बन्दर आए दिन खासकर औरतों और बच्चों को अटैक करते हैं। जैसाकि आज भी बंदर ने विधान सभा के गेट पर किसी आदमी पर अटैक किया है। इसके अलावा बंदर ही नहीं कुत्तों का भी यहां पर ज़िक्र हुआ। कुत्तों के साथ- साथ जैसे हमारे माननीय सदस्य श्री महेश्वर जी कह रहे थे, सांड और गाय भी जगह-जगह पर आदमियों पर अटैक करते हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र सुन्दर नगर में कुछ दिन पहले एक गाय ने एक स्कूल की बच्ची के ऊपर अटैक किया और उसके पीछे भागी। उस बच्ची ने पार्क हुई बस के नीचे घुसकर अपनी जान बचाई। उसकी

26/08/2016/1550/TCV/AG/2

मदद के लिए जो आदमी आगे आया, उसको तो गाय ने बुरी तरह से रौंदा दिया और उसको काफी ज़ख्मी किया। उसने दिमाग से काम लिया और सड़क पर लेट गया। उसके बाद वहां काफी लोग इक्ट्ठे हो गये, तब जाकर उस आदमी की जान बची। इस तरह से ये समस्या एक विकराल रूप लेती जा रही है। मेरा शहरी क्षेत्रों के लिए सुझाव रहेगा, अभी सब जगह गोसदन नहीं है, लेकिन हम यह ज़रूर करें कि उनकी डि-हॉर्निंग की जाये। उनकी कॉस्ट्रेशन की जाये, क्योंकि ऐसा एनिमल्ज़ में पाया जाता है कि यदि उनकी कॉस्ट्रेशन हो जाये तो वह कम खूंखार हो जाते हैं। दूसरे, उनको नोज-रिंग डाला जाये ताकि जब कभी वह उत्तेजित हों, तो उनको कंट्रोल किया जा सकें।

श्रीमती नीना सूद द्वारा जारी ----

26/08/2016/1555/NS/DC/1

श्री सोहन लाल (मुख्य संसदीय सचिव)-------जारी

मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा। एक बार एक सांड ने कई लोगों को ज़ख्मी किया। हमने फोरैस्ट विभाग की तरफ से उसको tranquilizer gun के द्वारा शांत किया और फिर उसको बांध के कहीं दूर छोड़ा। अभी एक हफ्ते पहले की एक ऐसी ही घटना है। उस गाय को भी फोरैस्ट विभाग की मदद से ट्रकुलाईज़र के माध्यम से शांत किया और तब वह गाय पकड़ में आई। ऐसे उसे पकड़ना लोगों के वश की बात नहीं थी। इसलिए मेरा यह सुझाव रहेगा कि कोई भी विभाग चाहे एनिमल हसबैंडरी या कोई अन्य विभाग काम करे जितने भी पशु हैं, कम-से-कम जानमाल की सुरक्षा के लिए इनके सींग की डीहोर्निंग बहुत जरूरी है। इनके लिए नोज़-रिंग बहुत जरूरी है क्योंकि हम अपने आप गांव में पशु पालते रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी ज़ानवर के नज़दीक पहुंचता है और उसके नाक में रिंग डाली गई है तो वह काबू आ जाता है। ऐसे-ऐसे समाधान हमें ढूंढने होंगे ताकि इनसे हमारा बचाव हो सके। हर सत्र में इस समस्या को ले करके चर्चा होती है। इस समस्या को ले करके पूरा

सदन गम्भीर है और इससे निज़ात पाना चाहता है। इन समस्याओं से भी कोई इन्कार नहीं करता है। सरकार प्रयास कर रही है और अब ज़रूरत इस बात की है कि जो यह समस्या आस्था के साथ जुड़ी हुई है, इसको थोड़ा-सा अलग करके देखें तभी हम इसे कर पाएंगे। जहां तक आवारा कुत्तों की बात है, तो अब जो एन.जी.ओज़. बनी हैं और वे कहते हैं कि ज़ानवरों को नहीं मारा जाए। मेरा यह सुझाव यह रहेगा कि 10-12 कुत्ते और बन्दर उन एन.जी.ओज़. के पास भेजे जाएं तब उनको पता चलेगा कि लोगों को वास्तविक में क्या समस्याएं आ रही हैं, तब वे इस चीज़ से अवगत होंगे और वे इसका विरोध नहीं करेंगे। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ, आपका धन्यवाद करता हूं।

26/08/2016/1555/NS/DC/2

श्री इन्द्र सिंहः माननीय सभापति महोदय, जो संकल्प हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री महिन्द्र सिंह जी इस सदन में लाए हैं, उसमें चर्चा में भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही बड़ा सामायिक विषय है और समस्या बहुत ही गम्भीर है। लेकिन यहां पर जो मेरा तजुर्बा रहा है कि बार- बार हर सत्र में यह समस्या डिस्कस होती है और एक रिचुअल बतौर palm off कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि अब की बार जिस ढंग से तथ्यों को माननीय ठाकुर महिंन्द्र सिंह ने इस सदन के समक्ष रखा है और बाकी वक्ताओं ने रखा है, इसका कोई-न-कोई रिज़ल्ट अवश्य निकलेगा। सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की जो इकोनोमी है, मैं कहूं जो fruit growing areas हैं, वहां पर apple economy है और वे अरबों में हैं लेकिन हमारे कुछ ज़िलों के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जैसे कि मण्डी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, सिरमौर , सोलन और बिलासपुर हैं, यहां की economy is totally based on agriculture products. इन क्षेत्रों में कुछ मनीऑर्डर इकोनोमी भी है। जैसा कि यहां बताया गया है और मैं भी महसूस करता हूं कि एग्रीकल्चर फील्ड shrink हो रहा है, लोग खेती करना बन्द कर रहे हैं तो यह इकोनोमी को बहुत बड़ा प्रहार हो रहा है। हम इसमें अनदेखी नहीं कर सकते हैं। अब कृषि करना भी बहुत मंहगा पड़ रहा है। खेती के लिए लेबर चाहिए और लेबर हिमाचल प्रदेश में मिलती ही

नहीं है। उसके लिए अच्छी किस्मों के बीज़ चाहिए जोकि यहां पर कम ही पाए जाते हैं। यहां पर कभी नकली बीज़ मिलते हैं। उसके लिए fertilizers चाहिए, वे भी यहां कम ही मिलते हैं।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

26.08.2016/1600/RKS/AG/1

श्री इन्द्र सिंहः ...जारी

उसके लिए जो खड़पात्र होता है उसको हटाने के लिए स्प्रे करना पड़ती है परन्तु वह भी हमें समय में उपलब्ध नहीं होता है। संक्षेप में, मैं यह कह सकता हूं कि आजकल खेती करना बहुत मुश्किल और महंगा हो गया है। जब खेती की बिजाई की जाती है और उसके बाद जब बीज निकलना शुरू हो जाता है तो जितने भी पशु-पक्षियों के नाम इस सदन में लिए गए वे सब सक्रिय हो जाते हैं। किसान को किसी तरह की सहायता नहीं मिलती है। जो भी बातें इस माननीय सदन में हुई हैं चाहे वे जंगली जानवरों, आवारा पशुओं और चाहे पक्षियों की हो, कोई-न-कोई परिणाम जरूर निकलना चाहिए। ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। खेतों में मौसम की मार एक प्राकृतिक आपदा है, जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन जो पशुओं और जंगली जानवरों की मार है उसे हम कम कर सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि 60:40 में बाड़-बंदी कर सकते हैं। इसमें यह था कि 60 प्रतिशत सरकार और 40 प्रतिशत खर्चा किसान स्वयं करेगा। मेरे ख्याल से वह घोषणा भी किताब में ही रह गई। इसकी कोई भी इन्फोर्मेशन ग्राउंड लैवल तक नहीं गई है। हमारी लैंड समेकित नहीं है। हमारा एक खेत इधर है और दूसरा उधर। इस दिशा में हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से माननीय राजस्व मंत्री जी को बहुत कुछ करने की आवश्यक्ता है। यदि सरकार इस दिशा में ध्यान दें तो यह सब हो सकता है परन्तु इसमें सरकार की भी थोड़ी बेपरवाही है और न ही इसके लिए कोई NGOs आगे आ रहे हैं। किसान के पास एक ही साधन रह गया है कि वह अपनी खेती

करना बंद कर दें। जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तब हम देखते हैं कि 1/3rd of the land is lying fallow. उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। मेरे क्षेत्र में इतनी उपजाऊ भूमि है जैसे हरियाणा और जालंधर की भूमि है लेकिन वह भूमि आवारा पशुओं के कारण खाली पड़ी हुई है। किसान असहाय हो गया है। सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए। मुझे यह कहने में अतिश्योक्ति नहीं होगी कि हिमाचल के लोगों ने आजकल काम करना छोड़ दिया है। हमारी सारी लेबर यू.पी. बिहार की है। मशीनरी वर्कर यू.पी., बिहार, तरखान जम्मू और

26.08.2016/1600/RKS/AG/2

लौहार राजस्थान से हमारे प्रदेश में आए हैं। हमारे बच्चे आगे जाकर क्या करेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सारा काम दूसरे प्रांत के लोगों ने ले लिया है। ऐसी स्थिति में अगर हम खेती न करे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। खेती को बचाने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। आज खेती मॉडरनाइज हो गई है और मैन्यूअल मोड से टैक्निकल मोड पर आ गई है। जो काम पहले एक सप्ताह के भीतर होता था आज वह काम एक घण्टे के अंदर हो रहा है। किसान बहुत सा समय फ्री रहता है और किसान को रोजगार नहीं मिल रहा है। वह दूसरी चीजों में ध्यान दे रहा है। शराब की दुकानों में लम्बी-लम्बी लाइनें लगी होती है। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे वे आज शराब की दुकानों के आगे खड़े होते हैं। जब हम इधर-उधर घूमते हैं तो देखते हैं कि कई लोग ताश खेलने में अपना समय व्यतीत करते हैं। इसके लिए सरकार को सज़ग रहना चाहिए। जब व्यक्ति के पास कोई काम न हो तो वह इवन माईंड होता है और कुछ भी कर सकता है । कई जगह चोरी हो रही है। हमें लोगों को इम्प्लॉयबिलिटी देना चाहिए और इम्प्लॉयबिलिटी देने के लिए मैं समझता हूं कि जो आवारा पशु हैं, जो किसान की जमीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको रोकने के लिए हमें समाधान निकालना पड़ेगा।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

26.08.2016/1605/SLS-AG-1

श्री इन्द्र सिंह....जारी

मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में 3 गौशालाएं खोल रखी हैं। कभी आपको मौक़ा मिले, आप जाइए और देखिए। मेरे चुनाव क्षेत्र में भांवला नाम की जगह है जहां हमने मॉडल गौशाला खोली हैं। उसमें हमने 20-30 लाख रुपया इकट्ठा करके काम किया है और वह सामूहिक रूप से चल रही हैं। वहां के गोबर को हम बेचते हैं और वह गौशाला सैल्फ-सस्टेनिंग है। गौमूत्र को हम अर्क बनाकर बेचते हैं। It is almost self-sustaining. उसकी एक छोटी-सी सोसाइटी बनी हैं। They manage it. About 100 cows are there in that. यह कौन नहीं कर सकता; सब कर सकते हैं लेकिन उसमें सरकार का सहयोग बड़ा ज़रूरी है। सब जगह सोसाइटियां नहीं बन सकती। आपने कहा था कि हर पंचायत में एक गौशाला खोलेंगे। वह गौशालाएं कहां हैं? इसलिए यह काम करना ज़रूरी है।

सभापति महोदय, जब आप अपनी सीट पर बैठे थे तो जो बात ठाकुर महेन्द्र सिंह जी ने कही थी, उसको आपने पोलिटिकल टिंज दे दी। आपने कहा कि जो सब्सिडाइज्ड राशन देते हैं, उससे बड़ी तकलीफ़ हो रही है। महोदय, हमारे सारे-के-सारे लोग बेकार हो गए हैं; काम करने लायक नहीं रहे हैं। मैं आपको इतिहास का एक उदाहरण देता हूं। यू.एस.एस.आर. वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी कंट्री और पॉवर हुआ करती थी। Gorbachev was the Agriculture Minister. Brezhnev was the President. Brezhnev asked Gorbachev what about the agriculture front. He says it is very dismal. There is nothing on the agriculture front. He asked him why it is dismal. The product is dismal. He says because people are not working. He asked since when people are not working. He said from 1917. जब से रैवोल्यूशन आया है। क्योंकि उनको राशन फ्री मिल जाएगा, मैडिकल फ्री मिल जाएगा और अकॅमोडेशन फ्री मिल जाएगी; फिर वह काम क्यों करेंगे? Same is the situation cropping up in India, particularly, in our State at least. I can watch for it. इसलिए उनको काम करने दीजिए। वह खेती का काम तभी करेंगे जब आप इन आवारा पशुओं और जंगली जानवरों को रोकेंगे या कम करेंगे। उसके लिए सरकार का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। कागज़ों में तो हम बहुत सुन

चुके हैं। यहां जितनी बार बंदर-बंदर उच्चारण हुआ, मैं कहता हूं कि उतनी बार भगवान् का उच्चारण करते तो भी काम हो जाता। इसका कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसा समझता हूं। 26.08.2016/1605/SLS-AG-2

सभापति महोदय, बंदरों की और सुअरों की गिनती से क्या फायदा है जब तक आप उनको कर्टेल नहीं करेंगे? मैं समझता हूं कि, जैसे इन्होंने कहा, इसका एकमात्र समाधान कलिंग है। आप कलिंग करिए। यह सब देशों में और हर जगह होती है। जब स्ट्रैंथ बढ़ जाती है और हम उसको ससटेन नहीं कर सकते तो you cull them. वैसे ही, आप बंदरों को एक्सपोर्ट करिए; इसके लिए सरकार कदम उठाए। मैं समझता हूं कि इनको कम करने का और कोई तरीका नहीं है। नशबंदी इसका तरीका नहीं है जिसे आपने करके देख लिया। हर वक्ता यहां पर अपनी-अपनी स्टोरी सुनाकर चला गया और उसका रिजल्ट कुछ नहीं है। आपको on the ground काम करना पड़ेगा।

Chairman: Please wind up.

श्री इन्द्र सिंह : सरकार को उसके लिए एक्टिव होना पड़ेगा। जब तक उसमें सरकार भागीदारी नहीं करेगी, माननीय मंत्री जी ठीक ढंग से इसका संज्ञान नहीं लेंगे, यह संकल्प यहीं तक सीमित रहेगा; तब तक इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। फिर अगली बार हम वही भाषा बोलेंगे जो अब बोली है या पीछे बोलते रहे हैं।

मैं महेन्द्र सिंह ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जिस समस्या से पूरा हिमाचल ग्रसित है, यहां लाए हैं । आप ग्राऊंड पर जाइए, वहां देखिए कि किसान की हालत क्या है। वह रोता है। हमारी तरफ बहुत अच्छी मक्की होती है लेकिन रात में सुअरों की पार्टी आती है और सारे-के-सारे खेत को तबाह करके चली जाती है। किसान बेचारा क्या करेगा?

Chairman: Wind up please.

श्री इन्द्र सिंह : मेरी आपसे, माननीय मुख्य मंत्री और संबंधित मंत्री से विनती है कि आप इस दिशा में गंभीरता से सोचिए। अगर आप गंभीरता से नहीं सोचेंगे, इसको रिच्वली लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा और अगली बार हम फिर उसी पोजिशन में उसी बात को बार-बार डिसकस करते रहेंगे।

26.08.2016/1605/SLS-AG-3

माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : अब श्री राम कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जंगली जानवरों तथा आवारा पशुओं की जो चर्चा माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी द्वारा लाई गई है, मैं उसमें भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह चर्चा इससे पूर्व भी इस माननीय सदन में कई बार हुई और हर सत्र में यह चर्चा होती है। सभी सदस्य अपनी चिंता व्यक्त करते हैं लेकिन इसका ट्रीटमैंट कोई लेकर नहीं आता।

जारी .... श्री गर्ग जी

26/08/2016/1610/RG/AS/1
श्री राम कुमार-------क्रमागत

सरकार चलाने वाले चाहे हमारे अधिकारीण हैं, चाहे हमारी मंत्रीगण या माननीय मुख्य मंत्री महोदय हैं, उनको पता है कि पूरे प्रदेश में यह समस्या है। यहां ठीक कहा गया कि प्रदेश के किसानों ने खेती करना छोड़ दिया है। दिन में बंदरों की राखी और रात को सूअर व अन्य जानवरों की राखी करने के लिए किसान मजबूर हैं। आज प्रदेश में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि है, लेकिन वहां खेती नहीं हो पा रही है। इसमें विशेषकर हमारा सोलन जिला सब्जी के लिए जाना जाता है। लेकिन अब वहां लोगों ने खीरे उगाना व सब्जी करना छोड़ दिया है। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। जब हम लोग जाते हैं या हमारे अधिकारीगण क्षेत्र में जाते हैं, तो उनका एक ही सवाल होता है कि बंदरों

के लिए सरकार क्या कर रही है? इसलिए इस पर सरकार को कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा।

सभापति महोदय, जब हम इस बारे में माननीय मंत्री जी से केबिन में चर्चा करते हैं, तो उनकी चिन्ता इस पर होती है। जैसे यदि हम गऊ या आवारा पशुओं की बात करें कि उनके लिए गौ सदन बन जाएंगे। पशुओं को रखने की जगह बन गई, लेकिन उनको चलाएगा कौन? उनको चलाने के लिए करोड़ों रुपये की राशि पूरे प्रदेश के लिए चाहिए, लेकिन वह कहां से आएगी? यह भी एक चिन्ता का विषय है। उसके बाद यदि हम बंदरों की बात करें। सबने कहा कि यह धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, मैं भी कहता हूं, लोग भी कहते हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें मारने के लिए लाईसेंस भी दे दिए, सरकार चाहती भी है कि इनको मारा जाए, लेकिन मारे कौन? इसके लिए पहले 100/-रुपये की राशि तय की गई थी, अब शायद आज माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से इसके लिए 500/-रुपये की घोषणा होने वाली है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी इस समस्या का समाधान हो पाएगा। हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य यहां बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र में सरकार है। जो लोग कोर्ट में गए हैं जिन लोगों ने कोर्ट से इस पर स्टे लिया है कि इनका ऐक्सपोर्ट बंद होना चाहिए, मेरा माननीय धूमल साहब से अनुरोध है कि वे वहां संयुक्त रूप से जाएं, चाहे तो वे हमारे माननीय वन मंत्री जी को ले जाएं या स्वयं चले जाएं और केन्द्र से इस पर बात की जाए और माननीय न्यायालय में इसके लिए एक अर्जी दायर की जाए कि जब से इनका ऐक्सपोर्ट बंद

26/08/2016/1610/RG/AS/2

हुआ है तब से इनकी संख्या बढ़ गई है। यहां इनकी संख्या के ऊपर चर्चा होती है और सरकार के ऊपर दोषारोपण होता है कि पहले इनकी संख्या इतनी थी और आज इतनी हो गई। मैं कहता हूं कि कोई नहीं बता सकता, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, इनकी गिनती करना असंभव है। क्योंकि ये काई बंधुआ पशु नहीं हैं। यह बहुत चालाक जानवर है। हर जगह धोखा देकर निकल जाता है।

सभापति महोदय, सरकार ने इनकी नसबंदी का काम शुरू किया और इस पर पैसे खर्च किए। इस कार्य में कई जगह सफलता भी मिली। फिर इनको छोड़ने की बात आई कि इनको वहां न छोड़कर जहां से उठाया गया है, कहीं और छोड़ दिया गया।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

तो इस गंभीर समस्या को देखते हुए हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि इसका परमानेंट ट्रीटमेंट यही है कि जब तक बंदरों का ऐक्सपोर्ट भारत सरकार के माध्यम से नहीं खुलता है तब तक इस समस्या का समाधान मुश्किल है। हमारे प्रदेश सरकार के वन विभाग की तरफ से लिखा जाए कि यहां बहुत गंभीर समस्या पैदा हो गई है और हमारा जो मुख्य पेशा कृषि है उसके लिए आ गई है, तो मैं समझता हूं कि जब तक इसका ऐक्पोर्ट नहीं खुलता तब तक इसका समाधान करना संभव नहीं बल्कि नामुमकिन है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी आवारा पशुओं की समस्या है। जैसे यहां कहा गया कि हम गाय का दूध पीते हैं और उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद गौसदन भी बनें, हाई कोर्ट ने डायरैक्शन दी, पंचायतें भी जागरुक हैं और लोग इसमें आगे आ रहे हैं। कई स्वयंसेवी संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं। विशेषकर हमारे क्षेत्र में 3-4 गऊशालाएं हैं जिनमें 2,000 पशु पाले जा रहे हैं। उनके लिए लोग अपना सहयोग करके अपनी सहयोग राशि से उनको चला रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे सांड़ हैं जो सूअर की नसल से बने हुए हैं जैसे उनके सिर में इतना जोर है कि उन्होंने लोगों के घरों में जाकर उनकी भैंसों को खराब कर दिया, अच्छी-अच्छी भैंसे जो डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की थीं, उनको उन सांडों ने खराब कर दिया और कई दुर्घटनाएं उनके कारण हो रही हैं। जैसे कोई स्कूटर का ऐक्सीडेंट उनके सड़कों पर खड़े होने के कारण हो रहा है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार को कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। जैसे सांडों की समस्या है। अब हम यह भी नहीं कह सकते कि जैसे लोग इनको बूचड़खाने ले जाते हैं, तो

एम.एस. द्वारा जारी

26/08/2016/1615/MS/As/1

श्री राम कुमार जारी----------

उसके लिए भी हमारे जो गो-रक्षक हैं वे इनको रोक रहे हैं। इसके अलावा कई धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं उन्होंने भी गो-रक्षा के नाम पर एक रैकिट चलाया हुआ है और वे गाड़ियां रोककर उनसे पैसे एंठते हैं और उनकी पुलिस स्टेशन में भी सैटिंग है। वे वहां से

टेलीफोन करते हैं कि फलां गाड़ी है और फिर उसको रोका जाता है। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि बंदरों की समस्या तो अहम है ही उसके साथ-साथ जो आवारा पशुओं की समस्या है जिसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, इसके लिए हम सब मिलकर केन्द्र सरकार को उनके रख-रखाव के लिए कोई ऐसी डी0पी0आर0 तैयार करके दें जिससे कोई परमानैंट समाधान हो जाए। वहां से हमें पैसा रेगुलर तरीके से वार्षिक तौर पर आए। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद। यह बहुत गम्भीर समस्या है। इसके लिए मैं समझता हूं कि हर बार सदन का समय बर्बाद न करके आज इसी सत्र में इस पर कोई ऐसा माकूल डिसीजन लिया जाए ताकि इस समस्या का समाधान हो सके क्योंकि समस्या सबके सामने है। माननीय मुख्य मंत्री जी, सभी मंत्रीगण और सभी माननीय सदस्यों को समस्या का पता है तथा अध्यक्ष महोदय, आपको भी पता है। मैं ज्यादा न कहते हुए पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

26/08/2016/1615/MS/AG/2

अध्यक्षः अब हमारे अन्तिम वक्ता चर्चा में भाग लेंगे। इससे पहले मैं सदन में एक एनाऊंसमैंट करना चाहता हूं। वह यह है कि आप सभी 7.00 बजे पीटरहॉफ होटल में Indian Association of Parliamentarians on Population and Development (IAPPD) यह एक संस्था है जिसमें United Nations Consultative Status with ECOSOC इन्होंने सभी मैम्बर्ज को डिनर और मीटिंग के लिए इन्वाइट किया है। ये टी0वी0 पर चर्चा करेंगे और आपके विचार भी सुनेंगे। वहां पर सैंटर से एम0पीज0 भी आए हैं। इसके अलावा वहां माननीय मुख्य मंत्री और सभी मंत्रीगण भी होंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि you are cordially invite to be there for dinner और इस गोष्ठी में आप सबने आना है। मुझे पूरी आशा है कि काड्र्ज आप सबके पास रख दिए होंगे। वहां धूमल साहब भी आएंगे और आप सभी आएंगे।

अब अन्त में चर्चा में श्री सुरेश कुमार जी भाग लेंगे।

26/08/2016/1615/MS/AG/3

श्री सुरेश कुमारः अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री महेन्द्र सिंह जी ने इस सदन में जो संकल्प लाया है कि "प्रदेश में जंगली जानवरों और आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान की रोकथाम के लिए एक वृहत योजना बनाकर केन्द्र सरकार को भेजी जाए" इस पर मैं भी बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष जी, मुझसे पूर्ववक्ताओं ने भी बड़े विस्तार से इसके ऊपर चर्चा की है। वास्तव में आज इस समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इससे पहले भी हर सत्र में इस विषय पर विस्तार से चर्चा होती रही है। हिमाचल प्रदेश जहां के अधिकतर लोग खेती-बाड़ी करते हैं वे आज जंगली जानवरों जिनमें मुख्यतः बंदर, सुअर, खरगोश, कक्कड़, सियार और लंगूर हैं, से बहुत परेशान हैं। जिस प्रकार से इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है उसकी वजह से आज फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। निश्चित रूप से यह चिन्ता का विषय है। आज इनकी बढ़ती संख्या के कारण किसानों ने खेती करनी छोड़ दी है और लोग फैक्ट्रीज में नौकरी करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि वैसे ही आज लैंटाना ग्रास और दूसरी जो खरपतवार है उसकी वजह से किसानों की भूमि पहले ही कम हो गई है और अब इन जंगली जानवरों के प्रकोप के कारण लोगों को खेती से विमुख होना पड़ रहा है। पहले किसान खेती करते थे जैसे आजकल मक्की का सीजन है। मैं अपने गांव की बात करना चाहूंगा,

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

26.08.2016/1620/**जेके**/**एजी**/1

श्री सुरेश कुमारः----**जारी**-----

मेरे गांव में लगभग 10-12 परिवार थे। सभी लोग खेती करते थे लेकिन जैसे-जैसे इन जंगली ज़ानवरों की संख्या बढ़ती गई, आज मुश्किल से दो-तीन परिवार ही ऐसे रह गए हैं जो कि खेतीबाड़ी करते हैं बाकी सभी लोग शहरों की ओर पलायन कर गए। आज कल

फैक्टरियों में काम कर रहे हैं या छोटा-मोटा धंधा करके अपनी आजीविका कमा रहे हैं। जब भी सत्र में यह विषय आता है, इसके ऊपर सभी लोग अपने-अपने विचार रखते हैं। हर बार बन्दरों की नसबन्दी करना, जंगलों में बन्दरों के लिए फलदार पौधे लगाना और बहुत सारी योजनाओं के बारे में यहां पर जिक्र होता है लेकिन इस ओर कोई बहुत ज्यादा प्रगति अभी तक नहीं हुई है। पिछले सत्र में ही एक सौर ऊर्ज़ा से आधारित बाड़ लगाने का ज़िक्र किया गया था जिसमें कि सरकार की ओर से 60 प्रतिशत अनुदान देने की बात की गई है, उसमें भी अभी बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। अभी केन्द्र सरकार ने बन्दरों को वर्मिन घोषित किया। उसमें प्रदेश में लगभग 39 जगह, जहां पर कि उनको वर्मिन घोषित किया गया है, उस ओर भी अभी कोई बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। कुल मिला कर मेरा निवेदन रहेगा कि इस बन्दरों की समस्या से निज़ात दिलाने के लिए सरकार शीघ्रातिशीघ्र कोई पग उठाए। इसके अलावा न केवल बन्दर अपितु बन्दर की तरह लंगूर, खरगोश आदि जानवर जो दिन को फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से रात को सूअर और सायल फसलों को बहुत भारी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि आज कल मक्की का सीज़न है तो दिन में बन्दर और रात को सूअरों का प्रकोप खेती के ऊपर पड़ जाता है। कुल मिला कर आज किसान मज़बूर है और खेती से विमुख होता जा रहा है। इसके अलावा यहां पर आवारा पशुओं की भी बात कही गई है। आज आवारा पशुओं की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि अभी पिछले दिनों ही मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र में एक पंचायत के दौरे पर था तो वहां पर जो मुख्य मुद्दा वहां की महिलाओं ने रखा कि आजकल सेब का सीज़न है और हमारा जो

26.08.2016/1620/जेके/एजी/2

ऊपर का शिमला का क्षेत्र है वहां से सेब की गाड़ियां आती हैं। उन गाड़ियों में भर-भर कर गाय और बैलों को रात के अंधेरे में छोड़ दिया जाता है और इन आवारा पशुओं की वजह से हमारे राजगढ़ क्षेत्र में फसलों की तबाही हो रही है तथा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए। इसके अलावा जैसे कि आज

आवारा कुत्तों की बात यहां पर कही गई । इस समय अगर आप देखें, न केवल शहरों में अपितु गांवों में भी यही स्थिति है और लगातार उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। वे बच्चों को काट जाते हैं, महिलाओं को काट जाते हैं और किसी को भी काट जाते हैं। लोगों को मंहगी-मंहगी दवाईयां और इंजैक्शन लगवाने पड़ते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि मैं एक फौजी हूं, कर्नल धनी राम शांडिल जी यहां पर बैठे हैं, कर्नल इन्द्र सिंह जी यहां पर बैठे हैं, फौज़ में भी जब कुत्तों की संख्या बढ़ जाती है, विशेषरूप से मैं एयरफोर्स में था तो बताना चाहूंगा कि जब बहुत ज्यादा संख्या कुत्तों की हो जाती थी तो वहां पर डॉग शूटिंग का एक अभियान चलाया जाता था। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि यहां पर भी इस प्रकार की योजना बनाई जाए ताकि जो आवारा कुत्ते हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उनकी शूटिंग के लिए भी कोई इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। जैसे कि अभी से पूर्व के सत्रों में भी कहा गया कि बन्दरों के लिए जंगलों में फलदार पौधे लगाए जाएं । लेकिन योजनाएं ही बनती है। कब ये पौधे लगेंगे और कब उनमें फल लगेंगे, यह भी सोचने का विषय है। क्योंकि जब तक ये योजनाएं इम्पलीमैंट होंगी तब तक बहुत ज्यादा समय हो जाएगा और किसान तबाह हो जाएंगे। कुल मिला करके मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जहां-जहां बन्दरों को वर्मिन घोषित किया गया है, वहां शीघ्रातिशीघ्र सरकार कदम उठाए और कोई कार्रवाई की जाए।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

26.08.2016/1625/SS-DC/1

श्री सुरेश कुमार क्रमागतः

इसी प्रकार से जो बंदरों के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा है उसके बारे में भी कोर्ट में मुद्दे को उठाया जाए। सरकार इसमें कदम उठाए और इन बंदरों का निर्यात किया जाए ताकि इनकी संख्या कम हो। बाकी बहुत सारी बातें अन्य सदस्यों ने भी रखी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस सदन में उठाया गया है। मेरा भी माननीय मुख्य मंत्री और सरकार से यही निवेदन रहेगा कि कोई बृहद्ध/बड़ी योजना बनाई जाए ताकि इन जंगली जानवरों,

आवारा पशुओं की जो जनसंख्या बढ़ रही है उस पर नियंत्रण किया जा सके। एक बड़ी योजना बनाकर केन्द्र सरकार को प्रेषित की जाए ताकि इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बजट का प्रबन्ध किया जाए। यही निवेदन करते हुए, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

26.08.2016/1625/SS-DC/2

अध्यक्षः अब इस चर्चा का उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी देंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यहां पर महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा हुई है। महेन्द्र सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा, उस पर चर्चा हुई है। सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों ने इसमें खुलकर भाग लिया और अपने विचार रखे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो आवारा पशु हैं और जंगली जानवर खासकर बन्दर हैं इनकी वजह से फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है। स्थिति इतनी गम्भीर है कि कई जगह पर किसानों ने अनाज बीजना छोड़ दिया। ऐसे तो शुरू से ही भारत कृषि प्रधान देश रहा है। खेती को हमेशा व्यवसाय के रूप में उत्तम माना गया है और आज भी देश के सभी राज्यों में खेती एक प्रमुख व्यवसाय है, जिस पर लोग अपना जीवन-यापन करते हैं। अनाज पैदा करते हैं, फल पैदा करते हैं, फूल पैदा करते हैं और कई किस्म की फसलें पैदा करके अपना गुजारा कर रहे हैं तथा देश में भी जो अनाज की ज़रूरीयात हैं उनको पूरा करते हैं। मगर जब प्रश्न सरवाइवल का आता है तो कहते हैं कि survival is the "survival of fittest". यह भी हमारा दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए क्योंकि मनुष्य सबसे ज्यादा विकसित है। उसके पास साधन/संसाधन हैं, औजार हैं, हथियार हैं और वह उसके जोर से जो दूसरे स्पीसिज़ हैं जैसे पक्षी हैं, जानवर हैं, उनका जीवन खतरे में डालें, यह भी कोई सुखद बात नहीं है। We have to strike a balance. हमको इसके बीच में संतुलन लाने की आवश्यकता है और इसीलिए संसार भर में यह होता है कि जब जानवर पैदा हो जाते हैं, चिड़ियां होती हैं या पशु होते हैं जिनकी वजह से खेती को नुकसान होता है तो उनकी कलिंग की जाती है। यह कोई नई बात नहीं है और मैं समझता हूं कि हमें भी इस देश के अंदर इस चीज़ को अपनाने की आवश्यकता है।

जारी श्रीमती के0एस0

26.08.2016/1630/केएस/एएस/1

मुख्य मंत्री जारी-----

मैं प्रदेश की ही बात नहीं करता, देश के अन्य राज्यों में भी यह समस्या देखने को मिलती है। उसके बाद संतुलन रखना पड़ेगा कि पशु भी रहे, पक्षी भी रहे और इन्सान भी रहे। सभी इस संसार के अन्दर ठीक से रहें। अगर इसमें ज्यादा फ़लॉसफ़ी में जाएंगें तो फिर तो कहेंगें कि सभी को जीने का हक है मगर आज क्योंकि अगर किसी की वजह से भी नुकसान पैदा होता है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए या उसको खत्म करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार ने इसके बारे में गम्भीरता से सोचा है और तभी हमने भारत सरकार से कहा है कि बन्दर और दूसरे जानवर जो कि फसलों का नुकसान कर रहे हैं, लोगों का जीना दुभर कर रहे हैं उनको कलिंग करने की अनुमति दी जाए। भारत सरकार ने बन्दर मारने की हमें अनुमति दी है लेकिन अभी इस बारे में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया। पहली जो अवधि दी गई थी कि इतने महीने के अन्दर मारो, वह अवधि तो खत्म हो गई है या होने वाली है। इस समय रेखा को आगे बढ़ाने के लिए हम भारत सरकार को लिखेंगें ताकि हम इस पर अमल कर सके और इस समस्या के समाधान के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए जा सकें।

अध्यक्ष महोदय, आज जो सदन में चर्चा हुई है, सदन के दोनों तरफ से यही कहा गया है कि हमें पशुओं से जो नुकसान हो रहा है, उसके बारे में कदम उठाए जाने चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूं । जहां तक गाय और बैल की बात है, इसको हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाकर रोकना चाहिए। पहले से इस सम्बन्ध में बहुत कोशिश हुई है। पहले ऑर्डर दिया गया कि पंचायत के रजिस्टर में दर्ज किया जाए कि किसके पास कितनी गाय व बैल है। यह भी था कि उनको मार्क किया जाए। यह भी सुझाव आया कि उनके खाने के साथ एक माइक्रोचिप उनके पेट में डाली जाए ताकि बाद में मालूम हो सके कि यह गाय किसकी है। उसमें सारी सूचना होगी कि वह किसकी गाय है, किस पंचायत से है, इत्यादि-इत्यादि।

तो ये सभी विकल्प हमारे सामने हैं। कौन सा विकल्प कारगर होगा उसको हमें अपनाना पड़ेगा क्योंकि

26.08.2016/1630/केएस/एएस/2

अगर हम गाय या बैल या उस नसल के और जानवरों को मारेंगें तो उससे एक धार्मिक प्रश्न भी पैदा होता है इसलिए उसको अलग तरीके से देखने की आवश्यकता है क्योंकि वे भी नुकसान कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन्सान से ज्यादा खुदगर्ज़ आज कोई दूसरा जीव नहीं होगा। जब हल चलाने के लिए बैल की जरूरत होती है तो उसको रख लेते हैं। इसी तरह से दूध चाहिए तो गाय को रख लेते हैं लेकिन जब गाय या बैल बूढ़े हो जाते हैं, नकारा हो जाते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं रहती तो डंडे मारकर उनको बाहर भेज देते हैं। इस मानसिकता की मैं भर्त्सना करता हूं। अगर यह मानसिकता बढ़ती रहेगी तो लोग अपने बूढ़े माता-पिता या दादा-दादी को भी डंडा मारकर घर से बाहर निकाल देंगें। यह मानसिकता है और यह हो भी रहा है, यह बढ़ रहा है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

26.8.2016/1635/av-ag/1

मुख्य मंत्री -------- जारी

यह बहुत ही गलत मानसिकता है। अगर हमारे पास कोई जीव है तो जब तक वह जिन्दा है उसका पालन-पोषण करना आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि उसको डंडा मारकर घर से बाहर निकाल दो और सड़कों पर छोड़ दो। मैं समझता हूं कि इसमें मनुष्य और किसान की भी एक जिम्मेवारी बनती है। उसको सीखना चाहिए कि जिस पशु ने उसकी सेवा की है, जिसका दूध पीया तथा जिस बैल ने खेत में हल चलाया अगर बूढ़ा होने पर / नकारा होने पर हम उसे बाहर निकाल देंगे तो बताओ उसकी क्या हालत होगी? उसको एक गांव से

डंडा मारकर दूसरे गांव में भेज दिया जाता है। दूसरे गांव से तीसरे गांव में छोड़ दिया जाता है। इस तरह से सिलसिला चलता रहता है और अन्ततः ये पशु सड़कों पर घूमते हुए नज़र आते हैं। वैसे भी इनसानी तौर पर उनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। Human life is a most evolved life in the world. We are the superior species. इनकी हिफ़ाजत करना हमारा फर्ज़ है। जो लोग अपनी गाय/बैल का पूरा फायदा उठाकर यानि उसका दूध पीकर और उससे हल चलवाकर बूढ़ापे में डंडा मारकर बाहर निकाल देते हैं, मैं समझता हूं कि उनके अंदर मनुष्यता की कमी है तथा यह सही बात नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि वह ऐसा करने के लिए मज़बूर है। कल को आदमी की हत्या करना शुरू कर देंगे और कहेंगे कि हमारी मज़बूरी थी। हमारे सामने दो-तीन समस्याएं हैं। इसमें नम्बर एक बंदर, नम्बर दो नील गाय और नम्बर तीन सूअर; ये हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और इनकी कलिंग होनी चाहिए। इनकी कलिंग में कोई भी गुरेज नहीं होनी चाहिए। जहां तक पशुधन की बात है तो कुछ नासमझ लोग अपनी नासमझी की वजह से इनको अपने घर से डंडा मारकर भगा देते हैं तो हमें उस बारे में भी कुछ सोचना है। मैं तो यह कहता हूं कि काफी देर हो चुकी है मगर अभी भी कदम उठाये जा सकते हैं। पशुओं को फिर से पंजीकृत किया जाना चाहिए। पशुओं का पंजीकरण सख्ती के साथ होना चाहिए। उनके ऊपर यदि हम कोई मार्क लगा सकें तो वह भी सही रहेगा ताकि उससे यह मालूम हो कि किस घर, गांव या पंचायत का पशु है। ऐसा करने से भी थोड़ा-बहुत चैक हो जायेगा। हमें

26.8.2016/1635/av-ag/2

इस पर भविष्य के लिए रोक लगानी चाहिए और जो पशु सड़कों पर आ गये हैं उनकी देखभाल करना समाज का कर्त्तव्य है। उसके लिए पंचायत स्तर, तहसील स्तर या जिला स्तर पर गोशालाओं का होना आवश्यक है। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता तब तक इनकी रक्षा करना हमारा परम् कर्त्तव्य है और यह इसलिए नहीं है कि हमारा धर्म इस बात को कहता है। बल्कि मानवता के तौर पर भी हमें ऐसे पशु जो बेचारे अपने घर से भगाये गये हैं, उनकी रक्षा और देखभाल करने के साथ-साथ इस बात को सुनिश्चित करें

कि भविष्य में ऐसा न हो। अगर यह सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा तो यह कभी खत्म नहीं होगा। आज तक सड़कों पर जितने पशु आ गये हैं, चलो वह तो आ गये हैं मगर भविष्य में अपने पशु को डंडे मारकर घर से बाहर न भेजें। इसके लिए हमें सख्त कानून लाना पड़ेगा और उसका पालन करना पड़ेगा। मैं यह समझता हूं कि यह तभी हो सकता है जब सदन के दोनों पक्षों के लोग इसका समर्थन करते हुए इसको जनान्दोलन के रूप में आगे लाएं और लोगों के अंदर यह अहसास पैदा करें कि जब तक पशु जीवित है उसको अपने घर में पालें।

श्री टी0सी0 द्वारा जारी

26/08/2016/151640/TCV/AS/1

मुख्य मंत्री--- जारी।

वे घरों में पल सकते हैं। वे घास ही खाएंगे, अनाज़ तो नहीं खाएंगे। आज तक भी तो लोग पशु पालते रहे हैं और सदियों से ये परम्परा चली है। इस चीज़ को करना बहुत आवश्यक है। सभी पशुओं की कलिंग कर देंगे या सबको मार देंगे, ये एटिट्यूड भी ठीक नहीं है। We have to strike a balance between this. जहां तक जंगली पशु हैं जो जंगलों में रहते हैं और गांव में आकर खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी कलिंग होनी चाहिए। जहां तक पशुधन है जो घरों/गांव से बाहर निकला है,उसके बारे में हमें लोगों को समझाना चाहिए कि वह आपकी गाय/बैल है और उसकी गांव के अंदर देखभाल करें। ये बताना बहुत आवश्यक है और जो बाहर आ चुके हैं, उनकी देखभाल करना, मैं समझता हूं ये समाज/सरकार का कर्त्तव्य है। इस तरह से इस समस्या का समाधान हो सकता है। We can't do culling of cows. That is not possible. This problem can only be solved if we all cooperate. The Gram Panchyat should cooperate. The Zila Parishad should cooperate; the intencia at large cooperate and the people at large cooperate in this issue. तभी जाकर इसका समाधान हो सकता है। बाकी जो आज इस माननीय सदन में चर्चा हुई है, बड़ी पॉज़िटिव चर्चा हुई है। हम कलिंग के बारे में भारत

सरकार को लिखेंगे। जहां तक Culling of wildlife and other things का सवाल हैं, जहां तक गाय/गोवंश का सवाल है जो घर से बाहर निकाल दिए गए हैं, जब तक वह जिवित है, तब तक उनकी देखभाल करने का दायित्व समाज/सरकार का है और इस दायित्व को निभाना पड़ेगा। जहां तक कलिंग का सवाल है, इसके बारे में संकल्प भारत सरकार को भेजा जाएगा। ताकि वह और ज्यादा अवधि इसकी बढ़ाएं, क्योंकि यह मसला एक ही जगह का नहीं है। ये कई जगह का मसला है। इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ समय लगेगा। हमें इतना समय मिले ताकि हमारे लिए इस स्कीम को चालू करना/सफल बनाना संभव हो सकें। हम आपके प्रस्ताव को मानते हैं और हम इसको केन्द्र सरकार को भेजेंगे with such modifications that we are not in favour of culling of cows क्योंकि कलिंग का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। गऊओं की रक्षा की जाये। उनके लिए गोशाला बनाई जाये और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाये कि जिनकी गाय हैं, जब तक वह

26/08/2016/151640/TCV/AS/2

जीवित है, उसकी सेवा करें। एक व़क्त आएगा जब बच्चे अपने बूढ़े मां-बाप और दादा-दादी को घर से बाहर निकालेंगे और सरकार को उनके लिए जगह-जगह वृद्धा आश्रम खोलने पड़ेंगे। जो व्यक्ति अपने माता-पिता का पालन-पोषण/सेवा नहीं करते, उनको घरों से बाहर निकाल देते हैं और वे बे-सहारा हो जाते हैं, उनको दण्डित करने का और उनके ऊपर दायित्व डालने का कानून इसी सदन में पास हुआ है। This is not a simple issue. This attitude has to be changed; mindset has to be changed about all these matters.

श्रीमती नीना सूद द्वारा जारी ----

26/08/2016/1645/NS/AS/1

मुख्य मंत्रीः मैं एक और बात कलिंग और गौशाला के बारे में भी कहना चाहूंगा कि इसकी हम डिटेल प्रोजैक्ट रिर्पोट बना करके केंद्र को भेजेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि यह

हमारा दायित्व नहीं है, यह हमारा भी दायित्व है, मगर, यह काम इतने बड़े पैमाने पर होना है और यह हमारे संसाधनों से बाहर है। इसके लिए केंद्र भी हमारी सहायता करे। इस मसले को हम केंद्र सरकार से भी टेकअप करेंगे।

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, इसमें मैं थोड़ी-सी बात जोड़ना चाहूंगा कि इस सारे कार्यक्रम के लिए आप एक समय सीमा निर्धारित कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जो बन्दरों की समस्या है, उसके लिए आपने कुछ ही क्षेत्र चिन्हित किए हैं। जो बाकी शेष क्षेत्र बच गये हैं, आप उसको द्वितीय चरण में ज़रूर भेजें। जहां तक आपने आवारा पशुओं के बारे में कहा है कि गौशाला बनाने के लिए डी.पी.आर. भारत सरकार को भेजेंगे, उसका मैं स्वागत करता हूं। तीसरा, इसके अलावा नीलगाय या बकरी और जंगली ज़ानवर सुअर आदि हैं, उनकी कलिंग के बारे में भी आप एक प्रस्ताव भेजें।

Speaker: You seek a clarification, do not restart your speech.

श्री महेन्द्र सिंहः माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय वन मंत्री जी ने विशेषकर दोनों प्रस्तावों को स्वीकार किया है। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। इन प्रस्तावों के साथ-साथ भारत सरकार से टेकअप के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और वन मंत्री जी आप स्वयं जितनी जल्दी फोलो करेंगे, उतनी ही जल्दी यह काम सिरे चढ़ सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि "यह सदन सरकार से मांग करता है कि प्रदेश में जंगली जानवरों/आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान की रोकथाम के लिए एक वृहद योजना बना कर वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार को भेजी जाए।"

26/08/2016/1645/NS/AS/2

प्रस्ताव स्वीकार।

आज सदन के सभी माननीय सदस्यों के लिए बहुत अच्छा दिन था। यह दोनों संकल्प माननीय मुख्य मंत्री जी ने पारित कर दिए हैं। यह दोनों ही संकल्प बहुत महत्वपूर्ण थे।

अब इस माननीय सदन की बैठक शनिवार, 27 अगस्त, 2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

दिनांकः 26 अगस्त,2016 **सुन्दर सिंह वर्मा**

शिमला-171004. **सचिव।**